हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

HVS Lib
12/9/2k

खण्ड 4, अंक 2,

अधिकृत विवरण

विषय सूची

मंगलवार, 16 नवम्बर, 1999

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(2)1
वाक-आऊट	(2)3
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)	(2)3
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव—	
(1) हरियाणा सरकार द्वारा हाल ही में बनाई गई औद्योगिक नीति में कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा न देने संबंधी	(2)12
वक्तव्य—	
मुख्य मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी	(2)12
(2) हरियाणा राज्य में बिजली की सप्लाई नियमित रूप में न होने संबंधी	(2)16
वक्तव्य—	
वित्त मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी	(2)17
नियम 15 के अधीन प्रस्ताव	(2)23
नियम 16 के अधीन प्रस्ताव	
सदन की मेज पर रखे गये कागज-पत्र	(2)24

मूल्य : 87.00

वर्ष 1994-95 के अनुदानों तथा विनियोजनों से अधिक मांगों पर चर्चा तथा मतदान	(2)25
बिल्ज—	
(1) दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं० 4) बिल, 1999	(2)27
(2) दि हरियाणा म्युनिसिपल (सैकिण्ड अमैंडमैंट) बिल, 1999	(2)29
(3) दि हरियाणा म्युनिसिपल कारपोरेशन (सैकिण्ड अमैंडमैंट) बिल, 1999	(2)43
वैयक्तिक स्पष्टीकरण—	
श्री राम बिलास शर्मा द्वारा	(2)50
दि हरियाणा म्युनिसिपल कारपोरेशन (सैकिण्ड अमैंडमैंट) बिल, 1999 (पुनरारम्भ)	(2)51
वाक-आउट	(2)51
दि हरियाणा म्युनिसिपल कारपोरेशन (सैकिण्ड अमैंडमैंट) बिल, 1999 (पुनरारम्भ)	(2)52
(4) दि हरियाणा लोकायुक्त बिल, 1999	(2)53
दैनिक ट्रिब्यून के सम्पादक का स्वागत	(2)70
दि हरियाणा लोकायुक्त बिल, 1999 (पुनरारम्भ)	(2)70
वाक-आउट	(2)72
दि हरियाणा लोकायुक्त बिल, 1999 (पुनरारम्भ)	(2)72
(5) दि हरियाणा पंचायती राज (सैकिण्ड अमैंडमैंट) बिल, 1999	(2)77
(6) दि पंजाब शिड्यूल्ड रोडज एंड कंट्रोल्ड एरियाज रिस्ट्रिक्शन औफ अनरैगुलेटिड डिवैल्पमैंट (हरियाणा सैकिण्ड अमैंडमैंट) बिल, 1999	(2)78
(7) दि पंजाब न्यू कैपिटल (पैराफैरी) कन्ट्रोल (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल ,1999	(2)80
(8) दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं०-3) बिल, 1999	(2)81

HVS/Lib/9
12/9/2K

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 16 नवम्बर, 1999

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर 1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री अशोक कुमार अरोड़ा) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सवाल होंगे।

Withdrawal of Taxes

***997. Capt. Ajay Singh Yadav :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to withdraw all the taxes imposed in lieu of prohibition by the previous Government?

मुख्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : राज्य सरकार द्वारा मद्य निषेध नीति के दौरान अतिरिक्त राजस्व प्राप्ति हेतु लगाए गए करों पर पुर्नविचार और कारोबारियों, व्यापारियों, किसानों व अन्य समाज के वर्गों की कठिनाईयों को दूर करने के लिए सुझाव देने हेतु सरकार के द्वारा एक कैबिनेट सब-कमेटी का गठन किया गया है। कैबिनेट सब-कमेटी इस उद्देश्य को सामने रखते हुए बैठकें कर रही है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने जिन दिनों में स्टेट के अन्दर प्रोहिबिशन लगाई थी उस समय मुख्य मंत्री महोदय विपक्ष के नेता हुआ करते थे और ये कहा करते थे तथा हम भी कहा करते थे कि सरकार ने प्रोहिबिशन की आड़ में बहुत सारे टैक्स लगा दिये हैं। क्या मुख्य मंत्री महोदय बताएंगे कि ऐसे कौन-कौन से टैक्स थे जो चौधरी बंसीलाल जी की सरकार ने प्रोहिबिशन के दौरान लगाए थे और उनका टोटल अमाउंट कितना था ? मेरा दूसरा सवाल है ? मुख्य मंत्री महोदय ने कुछ नई स्कीमज़ के बारे में अखबारों में बताया है जैसे बुढ़ापा पैंशन बढ़ाई है और चुंगी माफी की है इससे स्टेट एक्सचैकर पर कितना बर्डन पड़ा है। इसके अलावा पावर पर सबसिडी की वजह से कितना बर्डन पड़ा है ? जिस कमेटी का जिक्र इन्होंने अपने जवाब में किया है उसको क्या गाइडलाइन्ज़ दी हैं, उस कमेटी द्वारा रिपोर्ट देने के बारे में कोई टाईम फ्रेम किया है या नहीं ? वह कमेटी कर बढ़ाने के लिये बनाई गई है या कर कम करने के लिये बनाई गई है ?

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि पुरानी सरकार ने शराबबन्दी की आड़ में जो टैक्स बढ़ाए थे उन टैक्सों को नये सिरे से रिव्यू करने के लिये हमने कैबिनेट की एक सब-कमेटी का गठन किया है। उस कमेटी की चार बैठकें भी हो चुकी हैं। हमारी सरकार की मंशा पुरानी सरकार की तरह नहीं है कि केवल कमेटी मुकर्रर कर दें और उसकी रिपोर्ट को इम्पलीमैंट न करें। हम बिल्कुल ईमानदारी से इस बात के पक्षधर हैं कि पुरानी सरकार द्वारा टैक्सों का जो नाजायज बोझ बढ़ाया गया है हम उन सारे टैक्सों को रिव्यू करेंगे। जहां तक पावर पर सबसिडी वाली बात है यह इर-रेलिवेंट बात है। माननीय सदस्य एक जिम्मेवार सदस्य हैं ये बीच में पावर पर सबसिडी की बात कहां से ले आए।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्पैसिफिक प्रश्न यह है कि पिछली सरकार ने प्रोहिबिशन के दौरान टोटल कितने टैक्स लगाए जिनकी वजह से स्टेट के लोगों पर बर्डन पड़ा है। उस समय हम सब विपक्ष में बैठकर कहा करते थे कि प्रोहिबिशन की आड़ में चौ० बंसी लाल की सरकार ने 1500 करोड़ रुपये के टैक्स लगा दिये, आज के मुख्य मंत्री इस समय उन सब टैक्सों को विद-ड्रा करने की बात किया करते थे। मैं तो सिर्फ इनसे यह जानना चाहता हूं कि ऐसे टोटल टैक्स कितने हैं और कमेटी के लिये कितना टाईम फ्रेम रिव्यू करने के लिये रखा गया है। वह कमेटी कर बढ़ाने के लिये बनी है या कर कम करने के लिये बनी है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी माननीय सदस्य को बताया भी है और इस बात को पुनः दोहरा रहा हूं कि पुरानी सरकार ने जो टैक्स गैर-जरूरी तरीके से लगाये थे उनको रिव्यू करने के लिये ही हमने उस कमेटी का गठन किया है। जहां भी यह महसूस होगा कि गलत तरीके से टैक्स लगाये गये जिसकी वजह से व्यापारियों को नुकसान हुआ, उपभोक्ताओं को नुक्सान हुआ उस किस्म के टैक्सों को हम घटायेंगे। कमेटी अपनी जो रिपोर्ट देगी उसको हम ज्यों का त्यों लागू करेंगे।

श्री अत्तर सिंह सैनी : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्पैसिफिक सवाल है। क्या माननीय मुख्य मंत्री महोदय बताएंगे कि पिछली सरकार ने प्रोहिबिशन के नाम पर कितने टैक्स लगाये हैं ?

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, अमाउंट तो हर साल बदलता है। हमने इसीलिये कमेटी मुकर्रर की है। वह सारी जांच पड़ताल करेगी और देखेगी कि कहां-कहां कितने-कितने टैक्स लगाए गये हैं उसको पूरी तरह से रिव्यू करेगी ताकि हम व्यापारियों को और उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचा सकें।

श्री जगन नाथ : स्पीकर साहब, मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उस कमेटी की रिपोर्ट कब तक आ जाएगी ?

श्री ओम प्रकाश चौटाला : यह कोई बाइंडिंग नहीं है कि उस कमेटी की रिपोर्ट कब तक आ जाएगी। यह बहुत अहम मुद्दा है। आप भी उस समय की सरकार में शामिल थे। उस समय आप लोगों ने शराबबंदी के दौरान शराब की बड़ी भारी तस्करी की थी। आप लोगों ने उस समय स्टेट का बड़ा भारी नुक्सान किया था। आप लोगों ने उस दौरान अपनी जेबें भरी थीं। हम उस कमेटी को ये अख्तियार भी देने के बारे में विचार कर रहे हैं कि उस समय तस्करी करने वाले लोगों के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाए ताकि इस मामले को भी वह कमेटी देख सके।

श्री जय सिंह राणा : स्पीकर साहब, शराबबंदी की आड़ में प्रदेश की जनता पर जो टैक्स लगाए गए वह कितने थे। इस बारे में भी मुख्य मंत्री जी जवाब दें।

श्री अध्यक्ष : यह सवाल पहले आ चुका है।

श्री जय सिंह राणा : स्पीकर साहब, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया है। (शोर)

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर साहब, मैं सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं हूं। आप सरकार से कहें कि वे इस बारे में सही जवाब दें।

श्री अध्यक्ष : इस सवाल का जवाब पहले ही आ चुका है अतः आप अपनी सीट पर बैठें। अब अगला सवाल होगा।

वाक-आऊट

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर साहब, अगर सरकार की तरफ से मेरे इस सवाल का सही तरीके से जवाब नहीं दिया जाता है, तो मैं इसके विरोध में सदन से वाक-आऊट करता हूं।

(इस समय कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य कैप्टन अजय सिंह यादव सदन से वाक-आऊट कर गये)

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

Construction of Roads

***1023. Shri Balbir Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the following incomplete roads of district Rohtak on priority basis :—

(i) from Nidana to Bahu-Akbarpur;
(ii) from Bahu-Akbarpur to Kharkara (via Mokhra);
(iii) from Ajaib to Girawar;
(iv) from Bahlba to Kalinga;
(v) from Sisar to Rahlaba;
(vi) from Bhaini-Chandarpal to Bhaini-Surjan;
(vii) from Bainsi to Ajaib; and
(viii) from Pharmana to Gugaheri ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : हां श्रीमान जी, क्रम संख्या 5 पर वर्णित सड़क के अतिरिक्त।

श्री बलबीर सिंह : स्पीकर साहब, मैं मुख्य मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट हूं।

Withdrawal of Cases from Supreme Court

***998. Capt. Ajay Singh Yadav :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to withdraw the writ petition regarding implementation of decision of Eradi Tribunal or any other writ petition pending in the Supreme Court in respect of the Ravi-Beas water dispute with Punjab or any other State ?

मुख्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : जी नहीं, हरियाणा सरकार के विचाराधीन, वर्ष 1996 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एस०वाई०एल० नहर को शीघ्र मुकम्मल करवाने के लिये दायर किये गये मुकदमे को वापिस लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इसके अतिरिक्त इराडी ट्रिब्यूनल के फैसले को लागू करवाने के लिए हरियाणा सरकार ने किसी और न्यायालय में कोई और मुकदमा दायर नहीं किया।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार से कावेरी ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट थी उसको लागू करवाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा एक

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

कमेटी बनाई गई थी क्या उस प्रकार की कोई कमेटी इराडी ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट लागू करवाने के लिए बनाने के बारे में मुख्य मंत्री जी ने केन्द्रीय सरकार से कोई बातचीत की है ताकि एस०वाई०एल० नहर का पानी हरियाणा को मिल सके। क्या मुख्य मंत्री जी ऐसी कोई कमेटी गठित करवाएंगे ? मुख्य मंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के पंजाब के मुख्य मंत्री जी के साथ अच्छे संबंध हैं क्या केन्द्र सरकार से ऐसी कोई कमेटी गठित करवाएंगे जो इराडी ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट को लागू करवाए ताकि हमें एस०वाई०एल० का पानी मिल सके।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि इराडी ट्रिब्यूनल ने अपनी रिपोर्ट जून 1987 में दी थी जिसके अन्तर्गत पंजाब रीवर्ज का पानी बांटा गया था। उस रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब को 5 एम०ए०एफ० पानी मिलना था और हरियाणा को 3.63 एम०ए०एफ० पानी मिलना था। इसी मुद्दे को लेकर सरकार 1996 में सुप्रीम कोर्ट में चली गई। उसके बाद वहां से 1998 में उसका जवाब आया था। (विघ्न)

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय मुख्य मंत्री से सीधा सा सवाल पूछना चाहता हूं कि जिस प्रकार से कावेरी ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट को लागू करवाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी क्या इसी प्रकार की कोई कमेटी यहां पर बनवा कर उसको लागू करवाने बारे सरकार ने भारत सरकार को कहा है ?

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि उस वक्त जो फैसला हुआ था वह आपकी पार्टी की सरकार के समय में हुआ था। उसके बाद भी कई दफा आपकी पार्टी की सरकार बनी। केन्द्र में हमारी पार्टी की तो एक दफा सरकार बनी थी। उस वक्त हमने इस नहर को मुकम्मल करवाने का काम बी०आर०ओ० को दे दिया था। उसके बाद जब आपकी पार्टी की सरकार आई तो आप लोगों ने हमारे उस फैसले को वापिस ले लिया ताकि हरियाणा प्रदेश बर्बाद हो जाये। इसी सदन के सदस्य रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला ने, जो इस समय राज्य सभा के सदस्य हैं, इस नहर का काम बी०आर०ओ० से न करवाने की रिकवैस्ट राज्य सभा में की थी। अध्यक्ष महोदय, जिस ढंग से ये लोग काम करते हैं उस ढंग से तो इनके लिए अच्छी बात नहीं है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : मेरी तो मुख्यमंत्री जी से यही प्रार्थना है कि कृपया वे बताएं कि क्या इराडी ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट को लागू करवाने के लिए इनकी तरफ से कोई कदम उठाये गए हैं या नहीं। यदि इस बारे में कोई कार्यवाही की गई है तो वह सदन को बताएं।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : बदकिस्मती से ये ला-ग्रेजुएट हैं। जब कोई मामला सब-जुडिस हो तो उस पर क्या ऐक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, यह इनको पता ही नहीं है।

श्रीमती करतार देवी : अध्यक्ष महोदय, बार-बार समाचार पत्रों में इस प्रकार की बातें आ रही हैं कि प्रकाश सिंह बादल और चौटाला साहब बातचीत के जरिये इस मसले को सुलझा लेंगे। मैं जानना चाहती हूं कि इस मामले में इनकी पंजाब के मुख्य मंत्री से कितनी बार बातचीत हुई है ? क्या इनका उनके साथ बातचीत करने का इरादा है या नहीं। साथ ही साथ ये यह बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला किस स्टेज पर है ?

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात का पक्षधर हूं कि जो भी ऐसे डिस्प्यूटिड मसले हैं उनको बातचीत के जरिये हल कर लिया जाये। हम लाठी-गोली से कोई मामला हल करना नहीं चाहते। हम आपसी बातचीत में विश्वास रखते हैं। हर मामले का हल बातचीत से जरूर निकलेगा।

श्रीमती करतार देवी : आप यह बताएं कि इस मामले को हल करने के लिए आप कितनी दफा बादल साहब से मिले। कितनी दफा मंत्रियों की बात हुई और कितनी दफा सैक्रेटरीज लैवल पर बात हुई, वह आप बताएं ?

श्री ओम प्रकाश चौटाला : करतार देवी जी शायद आप अखबार ठीक ढंग से नहीं देखतीं। 28 तारीख को प्रकाश सिंह बादल शाहबाद में आए थे। उस दिन का अखबार आप पढ़ कर देखें। उसमें उन्होंने कहा है कि हम ऐसे डिस्प्यूटिड मसलों का हल बातचीत से निकाल लेंगे।

Construction of Water Works

***1010. Shri Balbir Singh :** Will the Minister of State for Public Health be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the foundation stone for the construction of water works, Behlamba was laid down in the year, 1990;

(b) whether it is also a fact that the aforesaid water works have not been made functional so far;

(c) if so, the time by which the water works referred to in part (a) above is likely to start functioning; and

(d) the time by which the regular supply of water will be made in Bhairon-Bhaini, Khari Meham, and outer colony of Meham Town, Kishangarh, Ganga Nagar and Titri ?

जन स्वास्थ्य राज्य मन्त्री (श्री जसवन्त सिंह बावल) :

(क) जी नहीं।

(ख और ग) जी नहीं, मार्च, 1997 से बहलम्बा जलघर के पहले चरण में पीने के पानी की सप्लाई 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन की दर से कार्यान्वित कर दी गई थी जल घर का शेष कार्य प्रगति पर है तथा यह मार्च, 2000 तक सम्पन्न कर लिया जायेगा।

(घ) गांव भैरों भैणी और तितरी को 40 लीटर प्रति-व्यक्ति प्रति-दिन की दर से पीने का पानी दिया जा रहा है। गांव खेड़ी महम और गंगानगर को 25 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन की दर से पानी दिया जा रहा है। नहरी पानी की कमी के कारण गांव किशनगढ़ में पीने के पानी की कुछ कमी थी जिसके लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

महम शहर की तीन बाहरी बस्तियों को इस समय पीने का पानी नहीं दिया जा रहा, जिसके लिए मामला विचाराधीन है। (विघ्न)

श्रीमती करतार देवी : मैंने वह अखबार भी पढ़ा है। आप यह बताएं कि इस मसले को हल करने के लिए आपने कोई पत्र उनको लिखा है या नहीं ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : हम दोनों मुख्य मंत्री मिले हैं। हम इस मसले का समाधान कर रहे हैं। आपकी ही पार्टी के पंजाब के मुख्य मंत्री ने तो यहां तक कह रखा है कि हम एक बून्द पानी भी नहीं देंगे। (शोर एवं विघ्न) जो ब्यान देने वाले होते हैं वे किसी मसले का समाधान नहीं करते। मुझे यकीन है कि हम आपसी बातचीत से इस मसले का हल निकालने में सफल होंगे।

श्रीमती करतार देवी : हमारी पार्टी के पंजाब के किसी मुख्य मंत्री ने नहीं कहा कि एक बून्द पानी नहीं देंगे।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : पंजाब में सरदार हरचरण सिंह बराड़ जो मुख्य मंत्री रह चुके हैं उनका ब्यान पढ़ कर देखें। इसी प्रकार से स्वर्गीय बेअन्त सिंह का ब्यान पढ़ें। उन्होंने कहा है कि हम एक बून्द पानी हरियाणा को नहीं देंगे। साथ लगता सचिवालय पंजाब का भी है आप वहां से उनके समय का रिकार्ड निकलवा कर देख लें कि उन्होंने ऐसा कहा है या नहीं कहा है।

श्रीमती करतार देवी : मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि चाहे एस०वाई०एल० नहर बनाने की बात हो, चाहे इराडी ट्रिब्यूनल का फैसला हो या इसके लिए जमीन एक्वायर करने की बात हो, यह सब कांग्रेस पार्टी की सरकार के वक्त ही फैसले हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : बहन जी, आप अपना सवाल पूछें। अगर आप सवाल पूछना नहीं चाहती हैं तो आप अपनी सीट पर बैठें। (विघ्न)

श्रीमती करतार देवी : अध्यक्ष महोदय, मैं सवाल ही पूछ रही हूं कि सरकार ने जो बातचीत की है वह किस स्तर पर हुई है। इस बातचीत में कोई प्रगति भी हुई है या केवल अखबारों की ही ब्यानबाज़ी है ?

श्री अध्यक्ष : ठीक है, अब आप अपनी सीट पर बैठें।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं बहन जी के हर सवाल का जवाब दूंगा। वे चाहे जितने भी प्रश्न पूछें, मैं इनकी तसल्ली करवाऊंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं इनसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि 21-02-1991 को जब केन्द्र सरकार के मुखिया श्री चन्द्र शेखर जी थे तो उनसे हमने यह कहा था कि एस०वाई०एल० नहर को जल्दी से जल्दी मुकम्मल करवाया जाए। उन्होंने इसका काम बी०आर०ओ० को सौंप दिया था। बहन जी कम-से-कम मुझे यह बताएं कि जब केन्द्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी तो उन्होंने उस बात को विदड्रा क्यों किया था। अगर लोग इस मामले में बहुत ही सीरियस थे तो उस बात को विदड्रा करने का क्या कारण था ? जल के बटवारे का फैसला कांग्रेस सरकार का ही था हमने कांग्रेस सरकार के फैसले को भी इम्पलीमैंट करने के लिए उस वक्त भरसक प्रयास किया था लेकिन आपकी पार्टी की सरकार ने हर बार वक्त आने पर उसमें बाधा डालने का काम किया। बहन जी बताएं कि आपकी पार्टी की सरकार ने वह फैसला विदड्रा क्यों किया ?

श्री अत्तर सिंह सैनी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने अभी बताया है कि पंजाब का हिस्सा 5 एम०ए०एफ० है और हरियाणा का हिस्सा 3.63 एम०ए०एफ० है तथा जल-विवाद के बारे में पंजाब सरकार से बातचीत चल रही है। अध्यक्ष महोदय, बातचीत से मसलों का हल निकाला जाए, यह बहुत ही अच्छी बात है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि पानी के बटवारे में हरियाणा का अपना स्टैंड क्या है तथा क्या हमारा जो 3.63 एम०ए०एफ० का हिस्सा है वह कम तो नहीं होगा ?

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि इरौडी ट्रिब्यूनल के तहत हमें जो हिस्सा मिला था, उस बात को इम्पलीमैंट करवाने के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई है। हम अपना हिस्सा किसी को भी देने को तैयार नहीं हैं। हम अपना हक लेना जानते हैं और हमने अपने हक लिये हैं, हम इन लोगों की तरह भागने वाले नहीं हैं।

श्री बलबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि महम के बाहरी ऐरिया में कई बस्तियां बस गई हैं लेकिन उनमें पीने के पानी का प्रबन्ध नहीं है वहां पर पीने का पानी कब तक दिया जाएगा ?

श्री जसवन्त सिंह बावल : स्पीकर सर, समय के साथ-साथ महम नगरपालिका की सीमा के बाहर तीन नई कालोनियां बस गई हैं। वहां पर उजाला नगर, सुभाष नगर तथा भगत सिंह नाम की कालोनियां निर्मित हो गई हैं। इन कालोनियों में अभी तक पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। अभी तक इन कालोनियों को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं हुई है। सरकार की नीति के अनुसार पेयजल की आपूर्ति केवल मान्यता प्राप्त कालोनियों में या शहरों में की जाती है। स्पीकर सर, यह सुविधा अमान्य कालोनियों को भी प्रदान की जा सकती है यदि इन कालोनियों के निवासी अपनी नगरपालिका को विकास देय धन उपलब्ध करवाएं और इन कालोनियों को सरकार मान्यता प्रदान करे तो इन कालोनियों को सरकारी मान्यता प्राप्त करने के बाद पेयजल की आपूर्ति की जा सकती है। इसके लिए अनुमानतः 5 लाख रुपये के लगभग राशि की आवश्यकता होगी।

श्री कृष्णपाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, कल मुख्य मंत्री जी ने प्रति दिन प्रति व्यक्ति 50 से 70 लीटर पानी देने की बात कही थी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास कोई ऐसा मामला विचाराधीन है कि जिन-जिन गांवों में 50 से 70 लीटर पानी दिया जाएगा उन गांवों में लोगों को पीने के पानी के घरेलू कनैक्शन दिए जाएंगे यदि हां, तो कब तक देंगे ?

श्री जसवन्त सिंह बावल : स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से अपने साथी विधायक को बताना चाहूंगा कि 1996 से पहले प्रति व्यक्ति प्रति-दिन के हिसाब से 40 लीटर पानी देने का डिसीजन था। फिर 1996 के बाद 50 लीटर पानी प्रति व्यक्ति प्रति-दिन कर दिया गया। जिन गांवों में 40 लीटर पानी प्रति व्यक्ति प्रति-दिन और 30 लीटर प्रति पशु प्रति-दिन यानि कुल मिलकर 70 लीटर हो गया उन गांवों में सरकार हर घर में पीने के पानी के कनैक्शन देने के लिए तैयार है। अगर ऐसा कोई मामला विधायक जी की नालेज में है तो हमें बता दें हम उस गांव में पानी के घरेलू कनैक्शन देने पर विचार करेंगे। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए और सदन की जानकारी के लिए यह भी बताना चाहूंगा कि कुछ पर्टीकूलर एरिया में और खासतौर पर जिस एरिया के बारे में यह प्रश्न पूछा गया है वहां पर 110 लीटर पानी प्रति व्यक्ति प्रति-दिन देने का भी प्रस्ताव विचाराधीन है।

श्री सत नारायण लाठर : स्पीकर सर, जीन्द जिले में कुछ वाटर वर्कस की स्कीमें हैं, जैसे डगाना है क्या वहां पर भी 110 लीटर पानी प्रति व्यक्ति प्रति-दिन देने का कोई प्रावधान है ?

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि यह सवाल केवल महम का है और इसके बारे में बता दिया गया है। (विघ्न)

श्री बलबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि महम की बाहरी बस्तियों में पीने के पानी की सप्लाई देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, अगर है तो वह कब तक दे दी जाएगी ?

श्री जसवन्त सिंह बावल : मैं माननीय सदस्य को इसके बारे में पूरी डिटेल बता चुका हूं। महम शहर की जो 3 बस्तियां हैं जिनमें इस समय पानी नहीं दिया जा रहा है उसके बारे में मामला सरकार के विचाराधीन है।

श्री धर्मबीर गाबा : अध्यक्ष महोदय, कुछ कालोनीज में वाटर वर्कस का पानी सालटिश हो गया है। उसके लिए इन्होंने क्या प्रबन्ध किया है। क्या ये वहां पर नहरों से पीने का पानी देंगे। क्या ऐसा कोई मामला सरकार के विचाराधीन है ?

श्री ओम प्रकाश चौटाला : मैं गाबा साहब की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि सरकार इस बात के प्रयास में है कि हर किसी को पीने का स्वच्छ पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। कल भी मैंने सदन को बताया था कि जिन वाटर वर्क्स में खालों द्वारा नहरों से पानी आता है हम उन वाटर वर्क्स को जमीन के अन्दर से पाईप द्वारा पानी भेजेंगे। (विघ्न) जहां कहीं फलड की वजह से वाटर वर्कस खराब हो गए वहां पर भी सरकार कोशिश कर रही है कि नए वाटर वर्कस बनाए जाएं ताकि पुरानी सरकार जो लोगों की जान से खेलती थी वह हमारे द्वारा न हो। हम ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएंगे। (विघ्न)

श्री धर्मबीर गाबा : अध्यक्ष महोदय, कुछ ऐसी कालोनीज हैं जो न तो पंचायत में आती हैं और न ही म्यूनिसिपल कमेटी में आती हैं। उनके पास पीने का पानी बिल्कुल नहीं है। ऐसी कालोनीज मेरी कांस्टीचुएंसी में बहुत हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि क्या आपके पास उनके लिए पीने का पानी देने का कोई मामला विचाराधीन है ?

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, सरकार इस बात के लिए वचनबद्ध है कि हरियाणा प्रदेश के हर आदमी को पर्याप्त मात्रा में पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाए।

श्री अध्यक्ष : आनरेबल मैम्बर्ज, अब प्रश्न समाप्त होते हैं।

मुख्य मंत्री (श्री ओमप्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, क्योंकि अब कोई प्रश्न बाकी नहीं रहा इसलिए अब यह सदन साढ़े दस बजे तक के लिए उठ जाएगा। (विघ्न) मेरे विरोधी पक्ष के भाईयों के लिए इससे ज्यादा बेइज्जती की बात कोई और नहीं हो सकती है। इनका तो दिवाला ही पिट गया। मेरे विरोधी पक्ष के भाई किसी भी मामले में सीरियस नहीं हैं। अब 40 मिनट तक हमें बाहर इन्तजार करना पड़ेगा। आप प्रदेश की जनता को जाकर क्या जवाब दोगे। अगर माननीय सदस्य बलबीर सिंह के प्रश्न न होते तो प्रश्न काल बहुत ही जल्दी समाप्त हो गया होता। अध्यक्ष महोदय, यह तो इनके हालात हैं। (विघ्न) कायदे के मुताबिक तो जीरो आवर शुरू हो गया है और प्रश्न काल समाप्त हो चुका है। (विघ्न)

श्री सतपाल सांगवान : मेरे पास ये क्वैश्चंज हैं और आपके सैक्रेटरी ने भी ऐग्री किया था कि अगर आप शोर्ट नोटिस पर क्वैश्चंज दे देंगे तो आपके क्वैश्चनज लग जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, दिवाला हमारा नहीं बल्कि इनका पिटा है।

श्री अध्यक्ष : लेकिन आपके तो शोर्ट नोटिस पर भी क्वैश्चन नहीं आए हैं। (विघ्न)

श्री सतपाल सांगवान : अध्यक्ष महोदय, आप अपने सैक्रेटरी से पूछें। कैप्टन साहब और बिजेन्द्र कादयान भी मेरे साथ थे।

श्री अध्यक्ष : किसी ने भी अपने क्वैश्चंज लगाने के लिए शोर्ट नोटिस नहीं दिया है। (शोर एवं व्यवधान) मैं आप सबको आपके क्वैश्चंज दिखा दूंगा। (विघ्न) आप मेरे चैम्बर में आ जाना। मैं आपको सारे क्वैश्चंज दिखा दूंगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सम्पत सिंह : सर, मैं भी कुछ सबमिट करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : जो भी क्वैश्चन हमारे पास आये थे, वह सारे लग गये हैं।

श्रीमती करतार देवी : अध्यक्ष महोदय, कल से मुख्य मंत्री जी बार-बार यही बात कह रहे हैं कि विरोधी पक्ष के सदस्य सीरियस नहीं है। हम तो सीरियस हैं। हमने अपने चार सवाल दिये थे लेकिन ये एडमिट ही नहीं किये गये हैं। सबसे ज्यादा दुर्भाग्य की बात तो यह है कि ये दस सवालों के जवाब कहां से देंगे इनसे आज के चार सवालों की सप्लीमैंट्रीज़ के जवाब ही नहीं दिये जा रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बहन जी, 15 दिन के नोटिस पर क्वैश्चन आते हैं इस दौरान हमारे पास जितने क्वैश्चंज आये थे, वे सारे एडमिट कर लिये हैं।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो मुख्य मंत्री जी हमारे ऊपर बार-बार आरोप लगा रहे हैं कि अपोजिशन वाले सीरियस नहीं हैं और दूसरी तरफ हमारे कम से कम 50 क्वैश्चंज जो हमने दिये हुए थे, उनको एडमिट नहीं किया गया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, आपके जो क्वैश्चंज आये थे हमने माने हैं। (शोर) आपके यह क्वैश्चंज पहले इसलिए ले लिए गये थे कि सैशन लम्बा चलेगा लेकिन सैशन केवल दो दिन ही चलेगा इसलिए आपके दिए हुए क्वैश्चंज आज की लिस्ट में नहीं आ सकते थे।

श्रीमती करतार देवी : जब आपने हमारे चार क्वैश्चंज एडमिट कर लिये तो हमारे और क्वैश्चंज भी आप एडमिट कर सकते थे। (शोर)

श्री जगन नाथ : अध्यक्ष महोदय, विकास पार्टी के चार सदस्य जो मंत्री बनाए थे वे गायब हो गये हैं सरकार हमें बताए कि वे कहां पर हैं। (शोर)

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह) : स्पीकर सर, अभी मैम्बर साहेबान ने अपने-अपने सवालों के बारे में चर्चा की, लेकिन मुख्य मंत्री जी ने इस बारे में सही फरमाया था। वैसे इस बारे में रूल्ज भी हैं और ये रूल्ज केवल हमारे ही बनाये हुए नहीं हैं। छत्तर सिंह चौहान भी अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठते थे यह दूसरी बात है कि इस कुर्सी का इन्होंने क्या हाल किया ? लेकिन हरियाणा विधानसभा के रूल्ज ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस की बुक में इस बारे में दिया हुआ है।

प्रो० छत्तर सिंह चौहान : स्पीकर सर, ये बार-बार हाउस को गुमराह कर रहे हैं। इन्होंने बिजली के बारे में भी असत्य बातें कहीं हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सतपाल सांगवान : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो ये बार-बार चौहान साहब को श्रद्धांजलि देने की बात करते हैं तो कहीं, इनका उनको मारने का तो कोई चक्कर नहीं है। (शोर)

10.00 बजे **श्री ओम प्रकाश चौटाला :** अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार के फैसले के मुताबिक जानवरों और पशुओं को मारने पर पाबंदी लगी हुई है। मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा। (हंसी)

Shri Sat Pal Sangwan : Such Comments are not expected from your side. (शोर एवं व्यवधान) मुख्य मंत्री जी अपने शब्द विदड्रा करें। (शोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष : सांगवान साहब, आप बैठ जाइए।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, विदड्रावल का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कोई विदड्रावल नहीं होगी। मैंने जो कहा है उसे रिकार्ड में से निकालकर देखा जाए। मैंने कोई गलत बात नहीं कही है। (शोर एवं विघ्न)

श्री सतपाल सांगवान : आप लीडर ऑफ दि हाउस हैं। आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मैं कह दूंगा तो कैसा लगेगा।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : मैं पुनः अपनी बात पर जोर देकर फिर कह रहा हूं कि हरियाणा सरकार का फैसला है कि हम किसी जीव और जानवर को नहीं मारेंगे। (शोर एवं विघ्न) जीव और जानवर को मारने में जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ ऐक्शन लिया जाएगा।

श्री सतपाल सांगवान : मैंने आपसे श्रद्धांजलि के बारे में पूछा था। आप बार-बार कह रहे थे कि इनको श्रद्धांजलि दी जाए।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : श्रद्धांजलि मरने के बाद दी जाती है जीवित आदमी को श्रद्धांजलि नहीं दी जाती है।

श्री सतपाल सांगवान : आप बार-बार कह रहे थे कि छत्तर सिंह चौहान को श्रद्धांजलि अर्पित करो। (शोर एवं विघ्न)

श्री मनी राम गोदारा : आप टॉटिंग-वे में लफ्ज़ कहते हैं, हर किसी पर अटैक करते हैं तो उसका रिएक्शन तो होगा।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : जो सम्मानित सदस्य हैं, उनका मैं पूरा सम्मान करता हूं। मैं अपनी बात को बार-बार दोहराऊंगा और फिर दोहरा रहा हूं कि हरियाणा सरकार का फैसला है कि हम किसी जीव और जानवर को नहीं मारेंगे।

श्री सतपाल सांगवान : श्रद्धांजलि कहने का क्या मतलब है। मेरा क्वैश्चन यह नहीं था। (शोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष : सांगवान साहब, आप बैठ जाइए।

नगर एवं ग्रामीण आयोजना मंत्री (श्री धीरपाल सिंह) : मुख्य मंत्री जी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि मुढांल खुर्द के लोगों ने पूर्व स्पीकर साहब का जनाजा निकाला। (शोर एवं विघ्न)

प्रो० छत्तर सिंह चौहान : मेरा कोई जनाजा नहीं निकाला। जनाजा आपका भी निकाला था। 1996 के चुनाव में आज के मुख्य मंत्री की तीनों पीढ़ियां साफ हो गई थीं। (शोर एवं विघ्न)

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने तो यही कहा है कि प्रदेश के अन्दर हम जीवों और पशुओं को नहीं मारेंगे। (विघ्न)

श्री सतपाल सांगवान : अध्यक्ष महोदय, इस हाउस में पशु और जानवर नहीं बैठे, बल्कि विधायक बैठे हुए हैं।

श्री बीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, विधायक भी तो जीव ही हैं।

श्री मनीराम गोदारा : अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अगर मुख्य मंत्री जी की मन्शा हर बात टौंटिंग-वे में कहने की है, तो यह वैसे भी दिखाई दे जायेगा। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मेरी बात खत्म नहीं हुई है। सवाल यह नहीं है कि भेजे नहीं हैं या भेजे हैं मगर हमने इस सदन की कार्यवाही में हिस्सा तो लिया है। परन्तु आप जब विपक्ष में होते थे तो पिछले तीन सालों में आप इस सदन में तीन घण्टे भी नहीं बैठे थे। (विघ्न)

श्री सतपाल सांगवान : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैंने इनके सवाल का जवाब दे दिया है।

श्री सतपाल सांगवान : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी मेरी बात नहीं सुन रहे हैं बल्कि गोदारा साहब की बात सुन रहे हैं।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, गोदारा साहब मेरे बाप के फौलोवर हैं और सतपाल सांगवान जी तो दिन में चौधरी बंसीलाल जी के साथ रहते हैं और रात को मेरे पास आ जाते हैं। (विघ्न)

श्री मनीराम गोदारा : स्पीकर सर, यह छेड़ाछेड़ी का माहौल तो चलता ही रहेगा, आप अपनी कार्यवाही चलने दें। (इस समय हरियाणा विकास पार्टी के कई सदस्य बोलने के लिए खड़े हो गये)

श्री अध्यक्ष : मेरी सभी माननीय सदस्यों से अपील है कि वे एक-एक करके बोलें, ऐसा न हो कि एस साथ चार-चार सदस्य खड़े हो जायें।

प्रो० छत्तर सिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, आप दो दिन से देख रहे हैं कि माननीय मुख्य मंत्री जी कितने अप-शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। ये कभी किसी एम०एल०ए० को जानवर कहते हैं, किसी एम०एल०ए० की शहादत करने को कहते हैं और किसी एम०एल०ए० को कूड़ा करकट कहते हैं। इन्होंने कहा कि हरियाणा विकास पार्टी से सही आदमी तो मैंने अपनी पार्टी में ले लिए बाकी तो उसमें कूड़ा करकट रह गया। स्पीकर साहब, मेरी आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से गुजारिश है कि हाउस की कुछ मर्यादाएं होती हैं और एक मुख्य मंत्री होने के नाते उनका उत्तरदायित्व बनता है कि वे इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल न करें। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मुख्य मंत्री जी को कहें कि वे अपने शब्दों को वापस लें वरना हम इस सदन को छोड़कर चले जायेंगे।

श्री ओमप्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सम्मानित सदस्य श्री छत्तर सिंह चौहान से एक बात पूछना चाहता हूं कि जब वे पिछली सरकार के शासन के दौरान अध्यक्ष की चेयर पर बैठा करते थे तो कितनी गरिमा में रहते थे। ये कहा करते थे कि मैं किसी के रहमोकरम से अध्यक्ष की कुर्सी पर नहीं बैठा बल्कि अपने बलबूते पर बैठा हूं।

प्रो० छत्तर सिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, यह बात तो मैं अब भी कहता हूं कि मैं किसी के रहमोकरम से कुर्सी पर नहीं बैठा था।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, अब ये विपक्ष में किस के रहमोकरम से बैठे हैं। इनके इस सवाल का जवाब इनको मिल गया है क्योंकि चौहान साहब अपनी हैसियत के मुताबिक विपक्ष में आ गये हैं। इन्होंने अध्यक्ष पद की गरिमा को बिगाड़ा है, इस बात का पता पुराना रिकार्ड उठाकर लगाया जा सकता है।

प्रो० छत्तर सिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, मैंने हाउस की गरिमा की बात कही है। शायद मुख्य मंत्री जी को सुनाई नहीं दिया। (विघ्न)

श्री सतपाल सांगवान : अध्यक्ष महोदय, चौटाला साहब इस हाउस के लीडर हैं और इनका हर शब्द काउंट होता है इसलिए इनको जो भी बात बोलनी है, वह सोचकर बोलनी चाहिए। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, कहीं ये सिख समाज से सम्बन्धित होते तो ये तनखैया करार दिए जाते और ये गुरद्वारे में जूते साफ करते, बर्तन साफ करते। प्रायश्चित के भी कई तरीके होते हैं। (शोर)

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

(1) हरियाणा सरकार द्वारा हाल ही में बनाई गई औद्योगिक नीति में कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा न देने संबंधी

श्री अध्यक्ष : मुझे श्री कर्ण सिंह दलाल, एम०एल०ए० की ओर से हरियाणा सरकार द्वारा हाल ही में बनाई गई औद्योगिक नीति में कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा न देने के बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का नोटिस प्राप्त हुआ है। मैं इसे मंजूर करता हूं। श्री कर्ण सिंह दलाल अपना नोटिस पढ़ें, उसके बाद मुख्य मंत्री उसका जवाब देंगे।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस महान सदन का ध्यान एक अत्यावश्यक लोक महत्व की ओर दिलाना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार द्वारा हाल ही में बनाई गई औद्योगिक नीति में कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा न देने के कारण हरियाणा के बेरोजगार युवकों में मायूसी छाई हुई है तथा कृषि आधारित उद्योग चौपट होने के कगार पर हैं। जिसके परिणामस्वरूप हरियाणा के सभी लोग विशेषकर किसान सरकार की उक्त नई औद्योगिक नीति से बहुत ज्यादा मायूस हैं। इसलिए सरकार से मैं निवेदन करता हूं कि वह सदन में इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य देकर अपनी स्थिति स्पष्ट करे।

वक्तव्य—

मुख्य मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण संबंधी

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं श्री कर्ण सिंह दलाल की और सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि सरकार ने नई औद्योगिक नीति 11-11-99 से लागू की है। आपको शायद याद नहीं होगा कि 12-10-99 को आप मेरे साथ थे जब हम पी०एच०डी० चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्रीज की मीटिंग में गए थे। उसके बाद मैं हरियाणा चैम्बर आफ कामर्स की मीटिंग में गया था और उनसे विचार विमर्श किया था। उसके बाद सी०सी०आई० की मीटिंग में हम गए थे और उनसे विचार विमर्श हुआ था। अभी रिसैन्टली 12 तारीख को यह औद्योगिक नीति लागू की है। मुझे आश्चर्य और प्रसन्नता हो रही है कि नीति लागू होते ही आपने हाथ के हाथ ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश कर दिया। मीटिंगों में उन सब लोगों से परामर्श करके हमने एक ऐसी नीति लागू की है जिससे सही मायनों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। यह देश कृषि प्रधान देश है। इस देश के अधिकतर उद्योग-धन्धे कृषि

पर आधारित हैं। खेत की पैदावार बढ़ती है तो कृषि से सम्बन्धित उद्योग धन्धों को बढ़ावा मिलता है। हमने उसके दृष्टिगत एक अच्छी नीति बनाई है। जिसकी उद्योग जगत के सभी लोगों ने सराहना की है। आप भी उस मीटिंग में शामिल थे। हमने पूरी तरह से विचार विमर्श करके एक ऐसी नीति बनाई है जिससे प्रदेश की सरकार को लाभ मिलेगा। 1997 की औद्योगिक नीति में हमने संशोधन और सुधार किया है, उसके परिणाम आप देखेंगे तो पूरा सदन ही नहीं बल्कि पूरा प्रदेश इस बात को मान कर चलेगा कि हम औद्योगिक विकास की तरफ काम कर रहे हैं।

माननीय सदस्य ने हरियाणा सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति में कृषि पर आधारित उद्योगों की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं देने की वजह से बेरोजगारी और जनता में पनप रहे असंतोष की ओर ध्यान दिलाया है। उन्होंने यह भी कहा है कि कृषि पर आधारित उद्योग हरियाणा में समाप्ति की ओर अग्रसर हैं। इस कथन का पहला भाग माननीय सदस्य की नई औद्योगिक नीति के बारे में गलत धारणा पर आधारित है। जबकि वास्तव में पहली बार राज्य की औद्योगिक नीति में राज्य के सम्पूर्ण विकास के लिए कृषि उद्योग व सर्विस सैक्टर के सामेंकित विकास की बात कही गई है। हरियाणा सरकार को यह विदित है कि राज्य (जो एक कृषि प्रधान राज्य है) का औद्योगिक विकास तब तक संभव नहीं है जब तक कृषि पर आधारित उद्योगों की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाए। इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए नई औद्योगिक नीति में आर्थिक विकास बोर्ड की स्थापना प्रस्तावित है, जो कि राज्य में सामेंकित विकास की देख-रेख करेगा और आर्थिक मूल्यों में वृद्धि के लिए कृषि उद्योगों और सर्विस सैक्टर का सामेंकित विकास करेगा। राज्य में कृषि पर आधारित व फूड प्रोसैसिंग उद्योगों को पांच थ्रस्ट एरिया में रखा गया है, जिससे कि राज्य में इन क्षेत्रों में पूंजीनिवेश हो सके।

इस क्षेत्र में विशेष रियायतें दी गई हैं। औद्योगिक नीति 1999 में इस क्षेत्र में स्थापित इकाइयों को संचित पूंजीनिवेश के 250 प्रतिशत तक विक्रय कर की छूट देने का प्रावधान रखा गया है। जबकि अन्य क्षेत्रों में यह दर यदि इकाई मध्यम या उच्च स्तर की है तो 100-125 प्रतिशत, अगर औद्योगिक इकाई लघु स्तर की है तो यह संचित निवेश छूट 125 से 150 प्रतिशत है। आश्चर्य की बात है कि इस प्रकार की छूट कृषि आधारित उद्योगों पर 1997 की औद्योगिक नीति में नहीं दी गई थी। नीति में यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि कोई औद्योगिक इकाई जिसमें निवेश 30 करोड़ या इससे ऊपर है तो ऐसी औद्योगिक इकाई को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा।

सरकार को यह ज्ञात है कि बिना आधारभूत सुविधाओं के विकास के कृषि उद्योग उन्नति नहीं कर सकता। इस बात के लिए प्रयास किये जा रहे हैं कि विशेष औद्योगिक सम्पदा स्थापित की जाए जिसमें कोल्ड भण्डारण, फसल भण्डारण व फल तथा सब्जियों के एयर फ्रेट आदि आधारभूत सुविधायें हों। भण्डारण की कोल्ड चेन और कृषि उत्पादों के यातायात के लिए सुविधाओं को बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र में निवेश को भी बढ़ावा दिया जाएगा। संस्थागत विकास के लिए उद्योग निदेशालय में इस क्षेत्र के विकास के लिए विशेष प्रकोष्ठ का गठन किया जा रहा है इन प्रकोष्ठों के लिए बाहर से विशेषज्ञों की सहायता भी ली जाएगी।

वर्तमान सरकार की नई औद्योगिक नीति में कृषि क्षेत्र के विविधिकरण को प्राथमिकता प्रदान की गई है। राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र से उपयोगिता के क्षेत्र में अग्रणी संबध स्थापित करने बारे विशेष सहमति जताई है ताकि आविष्कार एवं विकास के माध्यम से विविधिकरण लाते हुए कृषि उत्पादन बढ़ाया जा सके। सर्विस सैक्टर का विकास विशेष रूप से कृषि से संबंधित जैसे कि वस्तु बाजार, खाद्य एवं सब्जी विपणन का इस औद्योगिक नीति में विशेष उल्लेख है।

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

लघु स्तरीय क्षेत्र जिसमें मुख्यतः कृषि आधारित उद्योग शामिल हैं, के विकास को विशेष प्राथमिकता प्रदान की गई है। प्रारम्भ में, इसके अन्तर्गत लघु एवं मध्यम उद्यमी नवीकरण कोष की स्थापना की जायेगी। नई सरकार ने कृषि क्षेत्र को पहचाना है, जिसके जरिये हरियाणा के युवकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।

यह सत्य है कि कृषि आधारित उद्योग बिखराव पर है। यह भी रिपोर्ट है कि रूग्णता अवस्था की स्थिति फूल एवं मशरूम क्षेत्र में फैल रही है। पिछले तीन वर्षों के दौरान औद्योगिक क्षेत्रों में रोजगार अवसरों की प्रतिशतता में कमी आई है। बाईफर में गये बड़े एवं मध्यम उद्योगों में वृद्धि हुई है। लघु स्तरीय उद्योगों में पिछले तीन वर्षों के दौरान रूग्ण प्रतिशतता की स्थिति में विस्तार हुआ है। इसका मुख्य कारण इस क्षेत्र की प्राथमिकता, छूट, प्रोत्साहन, आधारभूत सुविधा, विपणन की सुविधाओं में कमी आदि है। हमारी सरकार वचनबद्ध है कि वह कृषि आधारित उद्योगों को प्राथमिकता एवं इस क्षेत्र के उद्योगों को हो रही कठिनाइयों से छुटकारा दिलाया जाए।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, जो बात मुख्य मंत्री महोदय ने बताई, वह ठीक है। आपने पिछले दिनों हरियाणा प्रदेश के आस-पास के उद्योग-पतियों के साथ बैठकर विचार विमर्श किया। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि हमारे देश की 70 प्रतिशत आबादी गांवों में बसती है लेकिन दिक्कत की बात यह है कि आज गांवों में रहने वाले बेरोजगार नौजवान जो किसान और मजदूर परिवार से सम्बन्ध रखते हैं, के सामने अपनी आजीविका कमाने का बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। अर्थ-शास्त्रियों ने देश में आने वाले जितने भी अखबार हैं उनके माध्यम से यह माना है और समय-समय पर यह सुझाव दिए हैं कि दुनिया में किसी भी देश की तरक्की तब तक नहीं हो सकती जब तक कृषि पर आधारित खाद्य पदार्थ और उद्योगों को बढ़ावा न दिया जाए। मैं मुख्यमंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि उनका स्वयं का गांवों के विकास में अच्छा लगाव रहा है। आज हरियाणा के जो जिले दिल्ली के चारों तरफ लगते हैं क्या मुख्यमंत्री महोदय उन तमाम जिलों के अन्दर कोई ऐसी नीति देने की कोशिश करेंगे जिसके तहत उन जिलों के कुछ कृषि उत्पादक कृषि पर आधारित उद्योग धन्धे गांवों में जाकर लगाएं। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि ये जब तक औद्योगिक कृषि पर आधारित इकाईयां गांवों में नहीं लगायेंगे तब तक गांवों में बेरोजगारी दूर नहीं होगी। अध्यक्ष महोदय, हालैंड और इजराइल दोनों ही छोटे-छोटे देश हैं लेकिन ये दुनिया के कृषि प्रदान देश बने हुए हैं। बड़े-बड़े देश भी अपने प्रतिनिधि या अपने किसान को वहां पर जानकारी लेने के लिए भेजते हैं। मैं मुख्य मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि उन्होंने जो औद्योगिक नीति बनाई है, मैं उसका विरोधी नहीं हूं लेकिन जिस दिन मुख्य मंत्री महोदय ने यह औद्योगिक नीति लागू की, उस दिन दैनिक जागरण के सम्पादकीय पृष्ठ पर इसकी चर्चा की गई कि हरियाणा प्रदेश की नई औद्योगिक नीति कृषि पर ज्यादा आधारित नहीं है। इस नीति में कृषि पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि क्या मुख्य मंत्री महोदय गांवों में रहने वाले नौजवानों की बेरोजगारी की समस्या को दूर करेंगे ? क्या किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिलेगा ? अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में सोयाबीन की फसल होती है लेकिन हमारे यहां सोयाबीन का कोई भी कारखाना नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहूंगा कि फलोरीकल्चर उत्पादन और जो नौजवान गांव में रहकर सब्जियां उगा सकते हैं उनके बारे में मुख्य मंत्री महोदय का क्या नजरिया है ?

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार कृषि को बढ़ावा देने की पक्षधर है क्योंकि हरियाणा प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश

है। अगर यहां पर कृषि उत्पादन बढ़ेगा तो निश्चित रूप से कृषि के औद्योगिक धन्धों में भी बढ़ौतरी होगी। अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि हमारे प्रदेश में फ्लोरीकल्चर का उत्पादन हो, सब्जियां भी अधिक मात्रा में हों। हमारे यहां जीरी का उत्पादन भी धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, किसान के पास जमीन कम होने के कारण उसके सामने बहुत ज्यादा समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं।(शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, जो पुरानी औद्योगिक नीति थी उसके तहत 7.5 लाख लोगों को रोजगार मिलता लेकिन हमारी नई औद्योगिक नीति के तहत 9 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी श्री कर्ण सिंह दलाल को बताना चाहूंगा कि अगर ये दैनिक जागरण अखबार के सम्पादकीय पेज को ठीक तरह से पढ़ते तो इन्हें यह कालिंग अटैंशन मोशन लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन इन्होंने वह ध्यान से नहीं पढ़ा। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी और इस सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार को यह विदित है कि राज्य का औद्योगिक विकास तब तक संभव नहीं है जब तक कृषि पर आधारित उद्योगों की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाए। इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए नई औद्योगिक नीति में आर्थिक विकास बोर्ड की स्थापना प्रस्तावित है, जो कि राज्य में सामेकित विकास की देख रेख करेगा और आर्थिक मूल्यों में वृद्धि के लिए कृषि उद्योगों और सर्विस सैक्टर का सामेकित विकास करेगा। राज्य में कृषि पर आधारित व फूड प्रोसैसिंग उद्योगों को पांच थ्रस्ट एरिया में रखा गया है, जिससे कि राज्य में इन क्षेत्रों में पूंजीनिवेश हो सके। इस क्षेत्र में विशेष रियायतें दी गई हैं। औद्योगिक नीति 1999 में इस क्षेत्र में स्थापित इकाइयों को संचित पूंजीनिवेश के 250 प्रतिशत तक विक्रय कर की छूट देने का प्रावधान रखा गया है। जबकि अन्य क्षेत्रों में यह दर यदि इकाई मध्यम या उच्च स्तर की है तो 100-125% अगर औद्योगिक इकाई लघु स्तर की है तो यह संचित निवेश छूट 125 से 150 प्रतिशत है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, एक कालिंग अटैंशन मोशन पर एक सदस्य दो सप्लीमैंटरी पूछ सकता है ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब आप तो एक प्रश्न के अंदर ही चार प्रश्न पूछ चुके हैं।

प्रो० छत्तर सिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, कल हमारी पार्टी के 8 सदस्यों ने पी०आर०आई० के बारे में कालिंग अटैंशन मोशन दी थी। इसलिए हमें भी बोलने का मौका दिया जाये।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन को एक जानकारी और देना चाहूंगा कि पुरानी सरकारों ने औद्योगिक नीति को छिन्न-भिन्न कर दिया था जिसके कारण हमारे उद्योग-धन्धे पलायन करके दूसरे प्रदेशों में जा रहे थे। हमने नई औद्योगिक नीति लागू की जिसके कारण होण्डा कम्पनी 500 करोड़ रुपए की लागत का एक बड़ा उद्योग हमारे प्रदेश में लगाने जा रही है और 150-150 करोड़ रुपए की लागत की दो अन्य औद्योगिक ईकाइयां भी लगाने जा रही है। इसी तरह से दूसरे बड़े-बड़े उद्योग धन्धे भी आ रहे हैं। कुटीर उद्योगों को भी हम बढ़ावा दे रहे हैं। हमने औद्योगिक नीति 1999 के तहत इस क्षेत्र में स्थापित ईकाइयों को संचित पूंजीनिवेश के 250 प्रतिशत तक विक्रय कर की छूट देने का प्रावधान रखा है। इसी तरह लघु स्तर की औद्योगिक ईकाइयों के लिए भी संचित निवेश छूट 150 प्रतिशत तक रखी है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : चौहान साहब, आपकी पार्टी और दूसरी पार्टियों के विधायकों ने जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिए थे उनमें से एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कल और दो आज मंजूर कर लिए गए हैं। आपकी कालिंग अटैंशन मोशन्ज डिसअलाउ कर दी गई है। हमने 2 दिन के अन्दर आपकी 3 कालिंग अटैंशन

[श्री अध्यक्ष]

मोशन मंजूर की हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके समय में 1996 से लेकर 1999 तक टोटल 46 सिटिंग्ज हुई थी जिनमें 4 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मंजूर हुए थे। (विघ्न) ये रिकार्ड की बात है। मैं आपको डेटवाइज बता देता हूं। (विघ्न) 1996 में 5 बैठकें हुई थीं उनमें एक कालिंग अटैंशन मोशन मंजूर हुई थी। 1997 में 16 बैठकें हुई थीं उनमें 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मंजूर हुए थे। 1998 में 7 बैठकें हुई थीं जिनमें कोई कालिंग अटैंशन मोशन नहीं मानी गई थी। जुलाई, 1998 में 7 बैठकें हुई थीं जिनमें एक कालिंग अटैंशन मोशन मंजूर हुई थी। जनवरी, 1999 में 10 बैठकें हुई थीं, उनमें कोई कालिंग अटैंशन मोशन मंजूर नहीं हुई थी। (विघ्न)

(2) हरियाणा राज्य में बिजली की सप्लाई नियमित रूप में न होने सम्बन्धी

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे श्री कर्ण सिंह दलाल, एम०एल०ए० की ओर से हरियाणा राज्य में बिजली की सप्लाई नियमित रूप में न होने सम्बन्धी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का नोटिस प्राप्त हुआ है। मैं इसे मंजूर करता हूं। श्री कर्ण सिंह दलाल कृपया अपना नोटिस पढ़ें उसके बाद कंसर्न्ड मिनिस्टर इसका जवाब देंगे। (शोर)

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, हमने भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है जिस पर मुझे बोलने का मौका दिया जाए। (शोर)

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, आप कृपया बैठिए और श्री कर्ण सिंह दलाल को अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पढ़ने दें। जिन माननीय सदस्यों का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव इसी विषय से सम्बन्धित है उस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को इसके साथ क्लब कर दिया गया है। वे इस विषय में एक-एक सप्लीमैंटरी पूछ सकते हैं।

श्री कर्ण सिंह दलाल : मैं इस महान् सदन का ध्यान एक अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि हरियाणा राज्य में बिजली की सप्लाई नियमित रूप में नहीं की जा रही है विशेषतः सुबह और शाम जब इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। बिजली की उपलब्धता न होने कारण किसानों तथा गांवों व शहरों के लोगों को क्रमशः अपने खेतों तथा पीने के पानी के उद्देश्य के लिए बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह सदन में इस संबंध में एक वक्तव्य देकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें।

सर्वश्री अजय सिंह, राव नरेन्द्र सिंह, सतविन्द्र राणा, जय सिंह राणा, खुर्शीद अहमद तथा श्रीमती करतार देवी; हम इस महान् सदन का ध्यान एक अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहते हैं। राज्य में किसान तथा ज्यादातर लोग बिजली की भारी कमी का सामना कर रहे हैं। राज्य में प्रायः ब्लैक आऊट है तथा बिजली की सप्लाई पूर्णतया अनियमित है।

किसान सिंचाई के लिये बिजली की सप्लाई की भारी कमी का सामना कर रहे हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां राज्य में बिजली की कमी तथा अनियमितता के विरुद्ध धरने, विरोध तथा रैलियां हुई हैं। बिजली की कमी ने किसानों को सिंचाई के लिए डीजल पम्पों पर निर्भर कर दिया है। बिजली की कमी के साथ डीजल मूल्यों में वृद्धि ने किसानों की पीड़ा को और बढ़ा दिया है। फसल की विफलता तथा सिंचाई के लिए बढ़े हुए मूल्य के कारण किसानों की आर्थिक दशा ने उन्हें असहाय बना दिया है। किसानों का बहुत मोह भंग हो गया है।

वर्तमान सरकार के लोक सभा चुनाव से पहले किसानों को निःशुल्क बिजली देने के वायदे की असफलता ने उन्हें चौटाला-भाजपा समर्थित सरकार से विमुख कर दिया है। लोग कहते हैं कि चौटाला भुगतान करने पर भी बिजली उपलब्ध करवाने में समर्थ नहीं हो रहे हैं, वह निःशुल्क बिजली कैसे दे सकते हैं। किसानों में बहुत मायूसी है तथा वे वर्तमान सरकार द्वारा ठगे गए महसूस करते हैं।

सरकार घरेलू तथा औद्योगिक इकाइयों को बिजली की शुल्क दर में कमी करके राहत देने में भी असफल हुई है जैसा कि उसके द्वारा लोक सभा चुनाव से पूर्व वायदा किया गया था। हरियाणा राज्य में घरेलू तथा औद्योगिक क्षेत्र में बिजली की शुल्क दरें दिल्ली, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के राज्यों की अपेक्षा ज्यादा हैं। घरेलू तथा औद्योगिक इकाइयां बिजली की लंबी कटौतियां तथा ब्लैक आऊट का सामना कर रही हैं। बिजली की कमी के कारण औद्योगिक उत्पादन प्रभावित हुआ है तथा यहां तक कि तालाबंदी भी हुई हैं। औद्योगिक इकाइयां ऊंची शुल्क दर, प्रायः बिजली कटौतियां तथा ब्लैक आऊट के कारण अन्य राज्यों को स्थानान्तरित हो रही हैं।

किसान गेहूं के लिए बिजाई पूर्व सीजन के दौरान तथा सरसों की फसल की सिंचाई हेतु पानी देने के लिए गम्भीर समस्या का सामना कर रहे हैं। किसान अब रबी की फसलों के लिए अपने सूखे खेतों की सिंचाई करने के लिए डीजल पम्पों पर निर्भर हो रहे हैं। डीजल मूल्यों की बढ़ौतरी ने उनके दुःखों को और बढ़ा दिया है।

बिजली की प्रायः विफलता के कारण छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हुई है। शहरों में 10-12 घंटों के अन्तराल की लम्बी बिजली कटौतियों, ब्लैक आऊट द्वारा वहां पर व्यापारियों को प्रभावित करने के कारण अधिकतर जनता में भारी रोष है। सरकार ने लोकसभा चुनाव के दौरान निर्वाचकों से वायदा किया था कि वह 24 घंटे निरन्तर बिजली उपलब्ध करवाएगी। राज्य के किसानों को निःशुल्क बिजली उपलब्ध करवाने की सरकार की नीति क्या है। लोगों के दिमागों में पूर्णतया भ्रम है। सरकार को उक्त शंकाओं पर सदन में एक वक्तव्य देना चाहिए ताकि भ्रम दूर हो जाए तथा बिजली क्षेत्र की नीति स्पष्ट हो जाए। सरकार को हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम तथा अन्य निगमों को विश्व बैंक से प्राप्त हुए ऋण का ब्यौरा देना चाहिए तथा बिजली सुधार परियोजना के अन्तर्गत बिजली क्षेत्रों द्वारा कितनी निधियां उपयोग में लाई गई हैं। यह भी बताना चाहिए।

वक्तव्य—

वित्त मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण संबंधी

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह) : आज के दिन नित्य प्रति 380-400 लाख यूनिट बिजली की उपलब्धता की वजह से बिजली की उपलब्धि की स्थिति सुखद है जोकि पिछले वर्ष की तुलना में 60 से 65 लाख यूनिट अधिक है। राज्य सरकार ने विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली की उपलब्धि को सुनिश्चित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

पूरे राज्य में शहरी क्षेत्रों में घरेलू तथा गैर-घरेलू उपभोक्ताओं पर कोई बिजली की कटौती नहीं है। शिखर घंटों/पीक आवर्स/के समय के दौरान के अलावा उद्योगों को बिजली 24 घंटे दी जा रही है। इस प्रकार उद्योगों को 5.30 बजे सायं से लेकर 9.00 बजे रात तक शिखर भार कटौती के अलावा शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं की किसी श्रेणी पर कोई बिजली की कटौती नहीं है। कृषि क्षेत्र को बिजली की आपूर्ति नियमित आधार पर दो समूहों में दी जा रही है। दक्षिणी बैल्ट में जहां सिंगल फसल उगाई जाती

[प्रो० सम्पत सिंह]

है, ट्यूबवैलों को 8 से 10 घंटे तथा अन्य क्षेत्रों को 7 से 9 घंटे प्रतिदिन बिजली दी जा रही है। इसमें जल आपूर्ति के उद्देश्यों के लिए विशेष बिजली की आपूर्ति शामिल है। इसके अतिरिक्त ऐसे ग्रुप को जो दिन के समय परिचालित होते हैं उसको दो फेस बिजली की आपूर्ति 5.30 बजे सायं से 8.00 बजे अगले दिन तक रोशनी के उद्देश्य के लिए दी जा रही है। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में भी सुबह एवं सायं के घंटों के दौरान कोई कटौती नहीं है।

वर्तमान सरकार के कार्यभार संभालने के बाद बिजली की औसत उपलब्धता 60-80 लाख यूनिट प्रतिदिन से भी अधिक बढ़ी हैं। पूर्ण रूप से वर्षा न होने के परिणामस्वरूप सिंचाई के लिए नलकूपों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस अतिरिक्त बिजली का अधिकतम हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र को दिया जा रहा है। उदाहरणार्थ अगस्त से अक्तूबर, 1999 तक औसतन/नित्य प्रति के आधार पर/कृषि क्षेत्र को वर्ष 1998 के इन्हीं महीनों के दौरान दी गई बिजली की तुलना में 51.93 और 83 लाख यूनिट से अधिक बिजली प्रदान की गई है। अगले 4-5 महीनों अर्थात शेष रबी फसल के मौसम के लिए बनाई गई योजना से यह संकेत मिलता है कि राज्य में वर्तमान रबी फसल सीजन के दौरान बिजली की कोई कमी नहीं होगी और उपभोक्ताओं की समस्त श्रेणियों की बिजली की मांग को पूरा करना संभव होगा।

राज्य में निम्नलिखित अतिरिक्त बिजली उत्पादन की उपलब्धि हुई है/हो रही है :—

* अपने थर्मल उत्पादन केन्द्रों पानीपत तथा फरीदाबाद में बिजली उत्पादन में सुधार आया है। पिछले वर्ष की 89 लाख यूनिट प्रति दिन की उत्पादन की तुलना में औसत उत्पादन में 104 लाख यूनिट प्रतिदिन का सुधार हुआ है।
* फरीदाबाद गैस पर आधारित केन्द्र यूनिट-2 (143 मैगावाट) नवम्बर, 1999 में चालू हो गई है जिससे 30 लाख यूनिट बिजली की उपलब्धि प्रतिदिन और बढ़ गई है।
* केन्द्रीय पूल से अनियतित बिजली के कोटे के 19 प्रतिशत से 27 प्रतिशत बढ़ाकर तथा एन०टी०पी०सी० के गैस पर आधारित अंटा थर्मल स्टेशन से 88 मैगावाट बिजली बहाल करा कर केन्द्रीय उत्पादन परियोजनाओं से 10-12 लाख यूनिट बिजली प्रतिदिन अतिरिक्त रूप से उपलब्ध करवाई गई है।
* 15 नवम्बर, 1999 से 15-25 लाख यूनिट बिजली प्रतिदिन अतिरिक्त रूप से प्राप्त करने की व्यवस्था पंजाब राज्य से की गई है। हालांकि एडवांस पैमेंट पर हमने यह बिजली उपलब्ध कराई है।
* पानीपत थर्मल केन्द्र की 110 मैगावाट की यूनिट नं0 2 जोकि नवीनीकरण तथा पुनर्स्थापनाधीन है, दिसम्बर 1999 के अन्त तक तैयार हो जाएगी तथा यह जनवरी, 2000 के प्रथम सप्ताह तक राज्य के ग्रिड में 24-25 लाख यूनिट बिजली की और वृद्धि करेगी।
* पानीपत थर्मल केन्द्र की 210 मैगावाट की यूनिट-6 दिसम्बर, 2000 तक चालू करने के लिए उपलब्ध होगी, जिससे विद्युत उपलब्धता में 45 लाख यूनिट बिजली की और वृद्धि हो जाएगी।

वास्तव में राज्य में अब तक का अधिकतम रिकार्ड बिजली आपूर्ति 518.4 लाख यूनिट दिनांक 25-9-99 को उपलब्ध करवाई गई थी। इसलिए आज विद्युत आपूर्ति की स्थिति सुखद है तथा यह आने वाले समय में भी ऐसी ही रहेगी।

किसी राज्य का बिजली टैरिफ का मुद्दा निम्नलिखित मूल रूप से महत्वपूर्ण तत्वों पर निर्भर करता है :—

1. **बिजली क्रय करने की लागत** — बिजली क्रय सबसे सस्ता स्रोत जलीय बिजली है। राज्य में बड़ी मुश्किल से पश्चिमी यमुना नहर पर 48 मैगावाट के बिजली घर को छोड़कर कोई बड़ा जलीय उत्पादन केन्द्र नहीं है, इसलिए राज्य को अधिक खर्चीले अपने थर्मल केन्द्रों से/थर्मल/गैस बिजली उत्पादन पर या केन्द्रीय क्षेत्र परियोजनाओं से बिजली क्रय करने पर निर्भर करना पड़ता है।

2. **लोड की प्रणाली** — औद्योगिक क्षेत्र तथा कृषि क्षेत्र की प्रतिशतता की तुलना में, हरियाणा देश में कृषि क्षेत्र को सबसे उच्चतम औसत प्रतिशत बिजली देने वाला प्रदेश है अर्थात समस्त भारत की 26 प्रतिशत औसत की तुलना में 45 प्रतिशत है।

इसलिए एक राज्य की दूसरे राज्य के साथ टैरिफ की तुलना नहीं की जा सकती है क्योंकि उनके बिजली की लागत व मूल्य ढांचे में मूलभूत अंतर होता है। राज्य में बिजली टैरिफ को भी स्थानीय शर्तों के अनुसार मार्गदर्शित किया जाता है।

हरियाणा में किसानों को मीटर्ड आपूर्ति के लिए नलकूपों की गहराई पर निर्भर करते हुए बहुत ही रियायती 50 पैसे से 23 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली दी जा रही है। इसी प्रकार गैर मीटर्ड बिजली आपूर्ति के लिए टैरिफ दर 65 पैसे प्रति बी०एच०पी० से 30 पैसे प्रति बी०एच०पी० प्रति मास की क्रम से है जबकि राजस्थान राज्य में कृषि टैरिफ 70 पैसे प्रति यूनिट है, जो हरियाणा से कहीं अधिक है। हरियाणा में किसानों के हितों को सर्वोपरि माना जाता है।

औद्योगिक इकाइयों का सफलतापूर्वक चलना कई फैक्टरों पर निर्भर करता है जिसमें राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई सुविधाएं, स्थल की शर्तों/स्थिति/में प्रतिस्पर्धा लाभ तथा अन्य ढांचागत विभिन्न सुविधाएं सम्मिलित हैं। हरियाणा में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेषताएं हैं। अधिकतर उद्योगों के पास अपने कैप्टिव विद्युत प्लांट हैं। हरियाणा में कैप्टिव विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया को साधारण किया गया है। कृषि तथा औद्योगिक उपभोक्ताओं की डीजल की मांग को ध्यान में रखते हुई राज्य सरकार ने इसकी कीमतों में वृद्धि का दृढ़ता से विरोध किया है तथा इसे वापिस लेने की मांग की। कैप्टिव पावर प्लांटस की स्थापना की अनुज्ञा स्वीकृति लेने के लिए प्रक्रिया को भी आसान कर दिया गया है। हरियाणा में अधिकतर वर्तमान औद्योगिक यूनिटें अधिक विद्युत उपभोग करने वाली यूनिट नहीं हैं और अब तक राज्य सरकार का ध्यान ऐग्रो बेस्ड साफ्टवेयर उच्च इन्जीनियरिंग तथा गारमैंट हौजरी यूनिटों की ओर है। इसलिए यह सही नहीं है कि औद्योगिक इकाइयां राज्य से बाहर गई हैं।

राज्य सरकार विद्युत उपभोक्ताओं को अधिकतम विद्युत उपलब्ध करवाने पर ज़ोर दे रही है ताकि राज्य में ज्यादा से ज्यादा औद्योगिक यूनिटें स्थापित हो सकें। राज्य ने अभी-अभी बहुत उदार औद्योगिक नीति की घोषणा की है ताकि अपने यहां नए औद्योगिक उद्यमियों को आकर्षित कर सकें। दिनांक 12-11-99 से सायं में पीक घंटे कटौतियों के अलावा किसी भी औद्योगिक उपभोक्ता पर कोई कटौती नहीं लगाई गई है।

जनवरी, 1998 में हरियाणा विद्युत सुधार क्षेत्र के लिए विश्व बैंक सहायता के अंतर्गत 60 मिलियन यू०एस० डालर/240 करोड़ रुपए/के ऋण की बातचीत की गई थी। इस ऋण में से

[प्रो० सम्पत सिंह]

130 करोड़ रुपए की राशि पहले ही सामान क्रय करने, आपूर्ति के लिए ठेका देने, प्रसार व वितरण प्रणाली को इरैक्शन करने के लिए खर्च कर दी गई है। अब तक 190 करोड़ रुपए के ठेके उपकरण इरैक्शन तथा सेवाओं की आपूर्ति के लिए दे दिए गए हैं। ऋण की कुल राशि दिसम्बर, 2000 तक प्रयोग की जानी है। ऋण राशि प्राथमिक रूप से नए उपकेन्द्रों, लाइनों को इरैक्ट करने, चालू उपकेन्द्रों की वृद्धि करने, 50 नं० ओवरलोडिड 11 के०वी० फीडरों की पुनर्स्थापना करने, वितरण ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाने तथा घिसे हुए एल०टी० केबलों के प्रति-स्थापना करने के लिए प्रयोग की गई है। यह सभी कार्य उपभोक्ताओं को दी गई विद्युत सेवा की किस्म में सुधार लाने के उद्देश्य से किए गए हैं।

बिजली की उच्च लागत तथा राज्य की सीमित उत्पादन क्षमता विशेषकर पन बिजली को ध्यान में रखते हुए, मुफ्त बिजली के मुद्दे पर बहस तथा इसके लिए समाज के विभिन्न भागों के साथ विचार विमर्श की आवश्यकता होगी। राज्य सरकार उपभोक्ताओं की सभी श्रेणियों को स्थायी तथा गुणवत्ता बिजली देने के लिए पूर्णतया वचनबद्ध है, जिसमें कृषि की मौसमी मांग का विशेष ध्यान रखा जाएगा।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, अभी सम्पत सिंह जी ने माना है कि स्टेट में बिजली की कमी है और इस बात को कल मुख्यमंत्री जी ने भी माना था। अभी पिछले दिनों भारत के प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से मुख्य मंत्री और मंत्रियों व भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की मीटिंग हुई थी। उस बैठक में प्रधान मंत्री ने हरियाणा प्रदेश के प्रति बहुत बड़ी उदारता बिजली के बारे में दिखाई और बहुत बड़ी राहत हमारे प्रदेश को दी। पिछले दो दिनों से बिजली में कुछ सुधार भी हुआ है। लेकिन मैंने आज बिजली की सप्लाई के बारे में हल्के में बात की थी। उन्होंने बताया कि सुधार तो हुआ है लेकिन सवेरे के वक्त बच्चों को स्कूल जाने के लिए जल्दी तैयार होना पड़ता है या और वे लोग जिन्हें जल्दी उठ करके काम करना होता है उस वक्त बिजली नहीं रहती है। दिन में अगर बिजली चली जाए तो काम चल सकता है और लोग उसको बर्दाश्त कर लेते हैं लेकिन सवेरे शाम बिजली का न होना लोगों के लिए काफी दिक्कत पैदा करता है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का लोगों को बिजली देने के मामले में काफी नाम है और सबसे ज्यादा ये बिजली के मामले में गम्भीर रहे हैं। इनका राज जब पहले आया था तब भी लोगों को पूरी बिजली मिलती थी। लोगों को आज भी पूरी बिजली मिलने की उम्मीद है। पिछले दिनों बिजली की बहुत दिक्कत रही है। इस बात को माननीय वित्त मन्त्री जी तथा माननीय मुख्य मन्त्री जी ने भी माना है कि बिजली की कमी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चौधरी सम्पत सिंह जी से यह आश्वासन चाहता हूं कि सवेरे और शाम के समय जब लोगों के काम धन्धे और खाना बनाने खाने का समय होता है और बच्चों के पढ़ने का समय होता है उस समय पलवल के गांवों और शहरी क्षेत्रों में बिजली न जाए इसकी व्यवस्था करने की मेहरबानी करें।

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य चौधरी कर्ण सिंह जी ने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। उन्होंने इस बात को माना है कि बिजली की व्यवस्था में सुधार हो रहा है और उन्होंने यह भी कहा है कि यह सरकार बिजली के मामले में सदा से ही गम्भीर रही है। इस बात की भी मुझे खुशी है कि वे अपने लोगों के साथ पूरा सम्पर्क रखते हैं। बिजली के मामले में उन्होंने अपने हल्के के लोगों के साथ निरन्तर सम्पर्क बनाए रखा है। टैलीफोन के द्वारा वहां से लगातार जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। लगातार दो दिन से टैलीफोन पर बात कर रहे हैं। उनकी रिपोर्ट बहुत बढ़िया है और उन्होंने बिजली की सवेरे और शाम की सप्लाई की समस्या को उठाया है। अध्यक्ष महोदय, 12 नवम्बर से हमने बिजली के बारे में जो पोलिसी बनाई है उससे लोगों को पूरा फायदा होगा। पिछले दिनों बिजली की कमी रही इस

बात को माननीय मुख्य मन्त्री जी ने भी माना है कि प्रदेश में पूरी बिजली की व्यवस्था नहीं रही क्योंकि हमारे साधन सीमित है। लेकिन उन सीमित साधनों का हमने इस्तेमाल किया है। हमें जहां से भी, जैसे भी बिजली मिल सकती थी वहां से प्राप्त करने की कोशिश की। दूसरे ग्रिड जहां से हम बिजली ले सकते थे वह ली है। यह ठीक बात है कि अगर फालतू बिजली लेंगे तो उसके लिए ज्यादा चार्जिज देने पड़ते हैं। यह रिकार्ड की बात है कि हमने महंगी बिजली खरीद कर भी लोगों की मांग को पूरा करने का प्रयास किया है। चाहे यह बिजली ट्यूबवैल्ज के लिए थी चाहे उद्योगों के लिए थी या डोमैस्टिक यूज़ के लिए थी हमने वह खरीद कर सप्लाई की। फसलों के लिए हमने बिजली उपलब्ध करवाई, उसके लिए चाहे हमें डोमैस्टिक या कमर्शियल यूज़ पर कट भी लगाना पड़ा तो वह भी लगाया, लेकिन किसानों को पूरी बिजली दी गई। हम इस बात को मानते हैं कि बिजली की कमी थी लेकिन फिर भी जो उपलब्ध साधन थे, उनसे हम जितनी अधिक से अधिक बिजली ले सकते थे, वह ली। हम पिछली सरकार की तरह बात नहीं करते कि 24 घण्टे बिजली दे रहे हैं जबकि 24 घण्टे बिजली नहीं मिल रही थी। बिजली की डिमाण्ड भी बहुत ज्यादा है और लोगों को सुविधा भी मिलनी चाहिए। पिछले वर्ष हरियाणा में बरसात कम हुई जिसकी वजह से बिजली उत्पादन पर भी असर पड़ा है लेकिन बिजली के इस्तेमाल को प्रायोरिटी देने का भी हमने प्रयास किया है। फसल के काम के लिए बिजली को प्रायोरिटी दी गई। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि अगर फसल को एक दिन भी पानी देने में देरी हो जाए तो उससे बहुत नुकसान होता है इसलिए फसल को प्रायोरिटी देते हुए किसानों को पूरी बिजली दी गई जिस के कारण फसल का रिकार्ड उत्पादन हुआ है। हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था कृषि पर आधारित है। दूसरे मुल्कों की अर्थ-व्यवस्था तबाह हो सकती है क्योंकि वह कृषि पर आधारित नहीं है लेकिन हिन्दुस्तान को इस बात का श्रेय सबसे ज्यादा है कि कृषि पर आधारित होने के कारण हमारी अर्थ-व्यवस्था तबाह नहीं हो सकती। हालात कभी भी अच्छे या माड़े हो सकते हैं लेकिन हमारी अर्थ-व्यवस्था कोरिया या जापान जैसे देशों की तरह कभी भी ठप्प नहीं हो सकती है। यही कारण है कि हमें कृषि क्षेत्र को मजबूत करना पड़ेगा और वह हम सब को मिल कर करना पड़ेगा। इस समस्या का हल भी मिल कर ही निकालना पड़ेगा। हमारे माननीय मुख्य मन्त्री जी इस समस्या के प्रति पूरी तरह से जागरूक हैं। बिजली की समस्या के बावजूद कृषि का रिकार्ड उत्पादन हुआ है। इससे पहले भी जब ये मुख्य मन्त्री रहे तो इन्होंने बिजली का पूरा प्रबन्ध करने का प्रयास किया था और किसानों को पूरी बिजली मिलती थी जिससे फसल का उत्पादन बढ़ा था। उससे पहले जब चौधरी देवी लाल जी मुख्य मन्त्री थे उस वक्त भी बरसात कम हुई थी जिसकी वजह से बिजली का उत्पादन कम हो गया था लेकिन तब भी चौधरी देवी लाल जी ने पूरी बिजली सप्लाई करके किसानों के फसल का रिकार्ड तोड़ उत्पादन करवाया था। खासकर के जुलाई-सितम्बर और अक्तूबर में बिजली की जरूरत किसानों को ज्यादा होती है। जीरी लगाने से ले कर फसल पकाने तक बिजली की जरूरत किसान को होती है और किसान ने रिकार्ड तोड़ फसल का उत्पादन किया है। इस रिकार्ड तोड़ उत्पादन का कारण भी मैंने यहां पर बताया है। बिजली की समस्या के बारे में हमारे मुख्यमंत्री जी प्रधान मंत्री जी से मिले। प्रधानमंत्री जी की हमारे ऊपर बहुत दया है उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। हमने 12 नवम्बर से बिजली के बारे में नीति बना दी है। आपकी जो चिन्ता है वह मैं दूर करना चाहता हूं। शाम 4.30 बजे से सुबह 9.00 बजे तक हरियाणा प्रदेश का चाहे वह शहरी क्षेत्र है, चाहे वह देहाती क्षेत्र है, सभी जगह लगातार बिजली सप्लाई की जाएगी। यह दूसरी बात है कि अगर किसी लाइन में कोई लोकल डिफैक्ट है या कहीं पर ट्रांसफार्मर जल जाए या कोई और कमी आ जाती है या कोई घर का ही बिजली की फिटिंग का सिस्टम खराब हो जाता है बिजली नहीं आती है तो वह अलग बात है। लेकिन बिजली शाम 4.30 बजे से सुबह 9.00 बजे तक मिलती रहेगी। शहर के अन्दर जो औद्योगिक और डोमैस्टिक क्षेत्र के लिए

[प्रो० सम्पत सिंह]

सामूहिक फीडर्ज हैं उन पर बिजली का कट नहीं है। लेकिन अकेले इन्डस्ट्रीयल क्षेत्र वाले फीडर्ज पर कट है। जो अकेले इन्डस्ट्रीयल क्षेत्र के लिए फीडर्ज हैं उन पर शाम को 5.30 बजे से 9.00 बजे तक कट है। बाकी टाईम कट नहीं है। आपकी बात को ध्यान में रखते हुए हमें भी इस बात की चिन्ता है। चाहे कोई स्टुडेंट है, गृहिणी है, खाना खाने का समय है, हर आदमी को उस समय बिजली चाहिए। हमने देखा है कि शाम के टाईम ही ज्यादा से ज्यादा बिजली इस्तेमाल होती है या सुबह 5 बजे से 9 बजे तक ज्यादा बिजली इस्तेमाल होती है। इन दोनों पीक आवर्ज में हमने शाम साढ़े तीन घंटे का इन्डस्ट्रीज पर बिजली का कट रखा है। बाकी कोई कट नहीं है। सबको पूरी बिजली मिलेगी, पढ़ने वाले को कोई दिक्कत नहीं होगी, खाने वाले को कोई दिक्कत नहीं होगी और खाना बनाने वाले को कोई दिक्कत नहीं होगी। इतनी बिजली उपलब्ध करवाने का हम संकल्प कर चुके हैं। (विघ्न) मुझे अपना उत्तर पूरा करने दें। (विघ्न)

श्री मनीराम गोदारा : सी०एम० साहब आपकी पार्टी में एक ही बोलने वाला है और बाकी का * * क्यों रखा हुआ है।

श्री अध्यक्ष : यह शब्द कार्यवाही में रिकार्ड न किया जाए।

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : चौधरी मनीराम जी अगर ये इस मामले में सीरियस होते तो कल सदन का बहुमूल्य समय खराब नहीं करते। कल नो-कांफिडैंस मोशन पर हुई चर्चा के दौरान बिजली के बारे में जो बातें हुई, उससे ज्यादा कभी सदन में चर्चा हुई हो तो बता दो। आज इस काल अटैंशन मोशन की जरूरत ही नहीं थी। इसके बारे में कल काफी चर्चा हो चुकी है। उसके बाद भी आप कुछ और जानना चाहते हो तो बता दें। जो वस्तु स्थिति है वह तो हम बताएंगे ही। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : मलिक जी, आप बैठ जाएं बिना इजाजत के मत बोलें। (विघ्न)

श्री सम्पत सिंह : स्पीकर साहब मैं यही कह रहा था कि 12 नवम्बर से हमने बिजली नीति लागू की है। उस नीति के अनुसार आपको कहीं कोई कमी नजर आती है तो हमें बताएं। हम बाकायदा उसको ऑनर करेंगे। यही मैंने आपको कहना था। धन्यवाद।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, खासतौर पर जो हमारा दक्षिणी हरियाणा है, वहां पर सरसों की बिजाई 15 अक्तूबर से 25 अक्तूबर के बीच में की जाती है उस दौरान वहां पर बिजली की कमी कैसे हुई। सर, 25 नवम्बर के बाद गेहूं की बिजाई भी शुरु हो जाती है और सरसों की फसल को पहला पानी देने का समय भी शुरू हो जाता है। दोनों में पानी दिया जाता है इन दिनों वहां पर बिजली की कमी कैसे हुई ? इसके अलावा मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि हमारे यहां बिजली का जो इन्डस्ट्रीयल टैरिफ है, जो डोमैस्टिक टैरिफ है, वह दूसरी स्टेट्स से फालतू है। हमारे आज के मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने चुनावों से पहले जगह जगह कहा था कि मैं निःशुल्क बिजली दूंगा। अब ये बताएं कि इनकी इस बारे में क्या राय है। इसके अलावा मैं इनसे, यह भी जानना चाहता हूं कि पावर रिफोर्म्ज के बारे में इस सरकार की क्या पोलिसी है। पिछले दिनों जो टैरिफ के बारे में पिछली सरकार ने ऐग्रीमैन्ट किया था तो अब क्या ये ऐग्रीकल्चर या डोमैस्टिक टैरिफ को बढ़ाएंगे ? इसके अलावा पावर के जो और प्रोजैक्ट्स हैं जैसे यमुनानगर का पावर प्रोजैक्ट है क्या इनके बारे में इस सरकार ने कोई ग्लोबल टैंडर कॉल किए हैं ?

---

*चेयर के आदेशानुसार कार्यवाही में रिकार्ड नहीं किया गया।

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, इन्होंने एक साथ ही कई सवाल कर लिये। जहां तक दक्षिणी हरियाणा का सवाल इन्होंने किया है इसमें कोई दो राय नहीं है कि दक्षिणी हरियाणा में अब तक बिजाई कम्पलीट हो चुकी है वहां पर अब तक पावर सप्लाई से ही बिजाई हुई है। (विघ्न) ठीक है डीजल से भी बिजाई हुई है, नहर के पानी से भी बिजाई हुई है। स्पीकर सर, इसमें एक फैक्टर कंट्रीब्यूट नहीं करता। इसमें बरसात भी कंट्रीब्यूट करती है, बिजली भी कंट्रीब्यूट करती है, नहर का पानी भी कंट्रीब्यूट करता है और डीजल भी कंट्रीब्यूट करता है। स्पीकर सर, आदमी खुद भी इसमें कंट्रीब्यूट करता है। अब सांगवान साहब नाराज न हो जाएं लेकिन इसमें जानवर भी कंट्रीब्यूट करता है।

श्री सतपाल सांगवान : स्पीकर सर, ये तो चार्जशीट हो रखे हैं जबकि मैं इनकी तरह से चार्जशीट तो नहीं हो रखा हूं। (विघ्न) इन्होंने कल भी सुबह से शाम तक झूठ के अलावा कोई और शब्द नहीं कहा है। (विघ्न) स्पीकर सर, छाज तो बोले सो बोले छलनी भी बोले। अगर मैं इनके ऊपर पर्सनल अटैक पर आ गया तो इनको जबाव देने में मुश्किल आ जाएगी। इनसे जबाव नहीं दिया जाएगा। मुझे भी इनके बारे में बहुत कुछ पता है। ये मुझसे पूछ लें मैं इनको बता दूंगा।

प्रो० सम्पत सिंह : मुझे परमात्मा वह दिन न दिखाए कि आपके पास जाकर पूछना पड़े। सर, जैसे मैं कह रहा था कि बहुत से ऐसे साधन हैं जो इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं लेकिन जहां तक बिजली का कंट्रीब्यूशन है इसके बारे में मैं कहना चाहता हूं। हमने यह नहीं कहा कि हमने वहां पर पूरी डिमांड मीट आउट कर दी है लेकिन हमने वहां पर बिजली देने में प्रायोरिटी अवश्य दिखायी है। मैं इनको फिगर्ज देकर बताना चाहता हूं कि नारनौल सर्कल में अक्टूबर, 1998 में 19 लाख यूनिट्स बिजली की सप्लाई की गयी थी जबकि अक्टूबर, 1999 में 32 लाख यूनिट्स बिजली की सप्लाई की गयी है। (विघ्न) इसके साथ-साथ अध्यक्ष महोदय, दो बातें कैप्टन साहब ने पूछी हैं। अगर ये मेरी बात को कौशियसली सुनते तो यह सैल्फ ऐक्सप्लेनेट्री है। एक तो इन्होंने यह पूछा है कि जो सुधारीकरण का सिस्टम चालू किया है उसका क्या सिस्टम चालू किया है। दूसरा टैरिफ के बारे में पूछा था that is given at page No. 4 of the statement. That is why any other question does not arise.

कैप्टन अजय सिंह यादव : फ्री पॉवर का क्या किया है और टयूबवैल कनैक्शंज भी पैंडिंग पड़े हैं ?

Prof. Sampat Singh : Thank you for raising the question of tubewells. टयूबवैल का आपने पहले पूछा नहीं था। अच्छा रहा, आपने याद दिला दिया। पिछली जो सरकार गई, वह तीन साल से ज्यादा चली लेकिन उन लोगों ने कोई टयूबवैल कनैक्शन नहीं दिया। इस सरकार के आने के बाद प्रयास चल रहे हैं। हर चीज में टाइम लगता है। जिन लोगों ने टयूबवैल कनैक्शन के लिए ऐप्लाई कर रखा है और जिनकी टैस्ट रिपोर्ट आ रही है वहां कनैक्शन प्रायरोटी पर देने की कोशिश कर रहे हैं। छांट कर तीस हजार ट्यूबवैल आइडैंटिफाई किए हैं। तीस हजार ट्यूबवैल के लिए प्रोजैक्ट बनाकर आर०ई०सी० को सबमिट कर दिया है और जो पॉवर मिनिस्टर हैं, उन्होंने हमारे मुख्यमंत्री जी की मौजूदगी में और वैसे भी चिट्ठी लिखकर माना है कि आर०ई०सी० का लोन आपको देंगे। 30 हजार ट्यूबवैल के कनैक्शन देना यह इस सरकार की उपलब्धि है।

नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : अब एक मंत्री नियम 15 के अधीन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं—

> कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मदों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम "सभा की बैठकें" के उपबंधों से मुक्त किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ—

> कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मदों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम "सभा की बैठकें" के उपबंधों से मुक्त किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

> कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मदों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम "सभा की बैठकें" के उपबंधों से मुक्त किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : अब एक मंत्री नियम 16 के अधीन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं—

> कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रहेगी।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ—

> कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रहेगी।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

> कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रहेगी।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सदन की मेज पर रखे गए कागज-पत्र

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब एक मंत्री सदन की मेज पर कागज-पत्र रखेंगे।

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to lay on the Table of the House—

> The 31st Annual Report and Accounts of Haryana Agro Industries Corporation Limited for the year 1997-98 as required under Section 619-A(3) of the Companies Act, 1956.

The 31st Annual Report of the Haryana Warehousing Corporation for the year 1997-98 as required under Section 31(11) of the Warehousing Corporation Act, 1962.

The Annual Report of Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural Univeristy, Hisar for the year 1996-97 as required under Section 39(3) of the Haryana and Punjab Agricultural Universities Act, 1970.

The 24th Annual Report of the Haryana Land Reclamation and Development Corporation Limited for the year 1997-98 as required under Section 619-A(3) of the Companies Act, 1956.

वर्ष 1994-95 के अनुदानों तथा विनियोजनों से अधिक मांगों पर चर्चा तथा मतदान

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, पूर्व प्रथा के अनुसार सदन का समय बचाने के लिए, कार्यसूची में दी गई सभी अनुदानों की मांगें एक साथ पढ़ी तथा प्रस्तुत की गई समझी जायेंगी। माननीय सदस्य मांगों पर चर्चा कर सकते हैं लेकिन वह बोलते समय उस मांग का क्रमांक (डिमांड नम्बर) बता दें जिस डिमांड पर वे चर्चा करना चाहते हैं।

कि गृह के संबंध में वर्ष 1994-95 के दौरान विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदानों से अधिक किए गए खर्चे को विनियमित करने के लिए 9,45,79,566 रुपये तक की राशि का अनुदान स्वीकृत किया जाये।

कि आबकारी व कराधान के संबंध में वर्ष 1994-95 के दौरान विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान से अधिक किए गए खर्चे को विनियमित करने के लिए 63,89,437 रुपये तक की राशि का अनुदान स्वीकृत किया जाए।

कि वित्त के संबंध में वर्ष 1994-95 के दौरान विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान से अधिक किए गए खर्चे को विनियमित करने के लिए 3,31,03,109 रुपये तक की राशि का अनुदान स्वीकृत किया जाये।

कि भवन व सड़कें के संबंध में वर्ष 1994-95 के दौरान विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान से अधिक किए गए खर्चे को विनियमित करने के लिए 7,39,31,672 रुपये तक की राशि का अनुदान स्वीकृत किया जाये।

कि शिक्षा के संबंध में वर्ष 1994-95 के दौरान विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान से अधिक किए गए खर्चे को विनियमित करने के लिए 10,02,73,941 रुपये तक की राशि का अनुदान स्वीकृत किया जाये।

कि चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य के संबंध में वर्ष 1994-95 के दौरान विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान से अधिक किए गए खर्चे को विनियमित करने के लिए 3,45,504 रुपये तक की राशि का अनुदान स्वीकृत किया जाये।

कि खाद्य एवं पूर्ति के संबंध में वर्ष 1994-95 के दौरान विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान से अधिक किए गए खर्चे को विनियमित करने के लिए 2,09,973 रुपये तक की राशि का अनुदान स्वीकृत किया जाये।

[श्री अध्यक्ष]

> कि पशु पालन के संबंध में वर्ष 1994-95 के दौरान विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान से अधिक किए गए खर्चे को विनियमित करने के लिए 75,33,691 रुपये तक की राशि का अनुदान स्वीकृत किया जाये।

> कि सहकारिता के संबंध में वर्ष 1994-95 के दौरान विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान से अधिक किए गए खर्चे को विनियमित करने के लिए 34,45,731 रुपये तक की राशि का अनुदान स्वीकृत किया जाये।

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह) : स्पीकर सर, ये डिमाण्ड्ज 1994-95 की हैं इन पर पहले ही काफी चर्चा हो चुकी है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इनको सीधे ही पास कर दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

> कि गृह के संबंध में वर्ष 1994-95 के दौरान विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान से अधिक किए गए खर्चे को विनियमित करने के लिए 9,45,79,566 रुपये तक की राशि का अनुदान स्वीकृत किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

> कि आबकारी व कराधान के संबंध में वर्ष 1994-95 के दौरान विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान से अधिक किए गए खर्चे को विनियमित करने के लिए 63,89,437 रुपये तक की राशि का अनुदान स्वीकृत किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

> कि वित्त के संबंध में वर्ष 1994-95 के दौरान विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान से अधिक किए गए खर्चे को विनियमित करने के लिए 3,31,03,109 रुपये तक की राशि का अनुदान स्वीकृत किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

> कि भवन व सड़कें के संबंध में वर्ष 1994-95 के दौरान विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान से अधिक किए गए खर्चे को विनियमित करने के लिए 7,39,31,672 रुपये तक की राशि का अनुदान स्वीकृत किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

> कि शिक्षा के संबंध में वर्ष 1994-95 के दौरान विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान से अधिक किए गए खर्चे को विनियमित करने के लिए 10,02,73,941 रुपये तक की राशि का अनुदान स्वीकृत किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य के संबंध में वर्ष 1994-95 के दौरान विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदानों से अधिक किए गए खर्चे को विनियमित करने के लिए 3,45,504 रुपये तक की राशि का अनुदान स्वीकृत किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि खाद्य एवं पूर्ति के संबंध में वर्ष 1994-95 के दौरान विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदानों से अधिक किए गए खर्चे को विनियमित करने के लिए 2,09,973 रुपये तक की राशि का अनुदान स्वीकृत किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि पशु पालन के संबंध में वर्ष 1994-95 के दौरान विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदानों से अधिक किए गए खर्चे को विनियमित करने के लिए 75,33,691 रुपये तक की राशि का अनुदान स्वीकृत किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि सहकारिता के संबंध में वर्ष 1994-95 के दौरान विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुदानों से अधिक किए गए खर्चे को विनियमित करने के लिए 34,45,731 रुपये तक की राशि का अनुदान स्वीकृत किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

बिल्ज—

11.00 बजे | **श्री अध्यक्ष :** अगर हाउस सहमत हो तो हरियाणा विनियोग (संख्या-3) विधेयक 1999 पर बाद में चर्चा कर ली जाए।

आवाज़ें : ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, इस बिल को बाद में टेक अप किया जाएगा।

(1) दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं0 4) बिल, 1999

श्री अध्यक्ष : अब एक मंत्री हरियाणा विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1999 प्रस्तुत करेंगे और उस पर विचार करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to introduce the Haryana Appropriation (No. 4) Bill, 1999.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Appropriation (No. 4) Bill be taken into consideration at once.

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ—

कि हरियाणा विनियोग (संख्या 4) विधेयक, पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि हरियाणा विनियोग (संख्या 4) विधेयक, पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : अब सदन बिल पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा।

क्लाज 2

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि क्लाज 2 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 3

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि क्लाज 3 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

शिड्यूल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि शिड्यूल बिल का शिड्यूल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज-1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि क्लाज 1 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि इनैक्टिंग फार्मूला बिल का इनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि टाईटल बिल का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : अब मंत्री जी प्रस्ताव करेंगे कि बिल पास किया जाए।

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ—

कि बिल पास किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि बिल पास किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

(2) दि हरियाणा म्यूनिसिपल (सैकण्ड अमैंडमैंट) बिल, 1999

श्री अध्यक्ष : अब एक मंत्री हरियाणा नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1999 प्रस्तुत करेंगे और उस पर तुरन्त विचार करने के लिए प्रस्ताव करेंगे।

नगर एवं ग्रामीण आयोजना मंत्री (श्री धीरपाल सिंह) : स्पीकर सर, मैं हरियाणा नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1999 प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं—

कि हरियाणा नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ—

कि हरियाणा नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाये।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला (नरवाना) : स्पीकर सर, जो हरियाणा नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1999 पेश किया है इसमें औक्ट्राय को अबोलिश करने का प्रावधान मूलभूत रूप से किया गया है। स्पीकर सर, संविधान में जब 72वीं और 73वीं अमैंडमैंट की गई थी तो उस समय संविधान में चैप्टर 9 तथा चैप्टर 9(ऐ) ऐड किये गये थे। इस अमैंडमैंट के तहत आर्टिकल 243(आई)

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

के अनुसार हर सरकार की यह जिम्मेवारी है कि वह अपने यहां एक फाईनैंस कमीशन नियुक्त करे। पंचायती राज इन्स्टीच्यूशन बनाने का सपना स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी का था। उन्होंने ही यह बिल पायलैट किया था और वे ही इस बिल को पार्लियामैंट में लेकर आये थे। स्पीकर सर, इस बिल के अंदर उस समय स्पेसीफिकली यह प्रावधान किया गया था कि जब म्यूनिसीपल कमेटीज एवं पंचायती राज और जो दूसरे इन्स्टीच्यूशंज हैं जैसे पंचायत समितियां हैं, जिला परिषद हैं, वे जब तक वित्तीय तौर पर स्वावलंबी नहीं होंगी तब तक उनका अपना कोई मायना नहीं है। स्पीकर सर, जब तक ये संस्थाएं वित्तीय तौर पर स्वावलंबी नहीं होंगी तब तक देश में प्रदेश में सच्चे लोकतंत्र और प्रजातंत्र की स्थापना भी नहीं हो सकती। इसलिए उस समय इस बिल के आर्टिकल 243(आई) के चैप्टर 9 के अंदर यह प्रावधान किया गया था जो कि मैंडेटरी है। स्पीकर सर, हरियाणा सरकार को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से इस बारे में कई बार निर्देश भी आए हैं और सरकार से इस बारे में पूछा भी गया है कि क्या आपने अपने यहां पर कोई फाइनैंस कमीशन क्रिएट किया है ? स्पीकर सर, आर्टिकल 243(आई) जो कि चैप्टर 9 का हिस्सा है और आर्टिकल 243(वाई) जो चैप्टर 9-ऐ का हिस्सा है इनके तहत फाईनैंस कमीशन बनाना सरकार की संवैधानिक जिम्मेवारी है। चूंकि अब औक्ट्राय अबोलिश होने लग रहा है और कल मंत्री जी ने कहा था कि इससे 68 करोड़ रुपये का नुकसान होगा और सरकार ने चालू वर्ष के लिए 23 करोड़ रुपये का इस घाटे की जगह प्रावधान किया है। स्पीकर सर, इसलिए मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या इन्होंने अपने यहां फाईनैंस कमीशन बनाया है अगर नहीं बनाया तो कब तक बनायेंगे। क्या ऐसा करके सरकार अपनी संवैधानिक जिम्मेवारी से दूर नहीं भाग रही ? यदि सरकार फाईनैंस कमीशन अपने यहां बनाना चाहती है तो कब तक बनायेगी और उसके लिए बजटरी एस्टीमेट कितना रखा जायेगा ?

नगर एवं ग्रामीण आयोजना मंत्री (श्री धीरपाल सिंह) : स्पीकर सर, माननीय सदस्य बार-बार औक्ट्राय की ही बात कर रहे हैं। कल भी मैंने बताया था कि हरियाणा के मुख्य मंत्री महोदय श्री ओम प्रकाश चौटाला जी ने 1 नवम्बर, 1999 से हरियाणा प्रदेश से चुंगी समाप्त कर दी है। चुंगी समाप्त करने के कारणों का भी उल्लेख कर दिया गया है। लेकिन आज सदस्यगण ने कोई दूसरी बात जाहिर कर दी। स्पीकर सर, मैं मेरे माननीय साथियों को बताना चाहूंगा कि जिस समय आर्डिनैंस जारी किया गया था वह इसलिए किया गया था क्योंकि उस समय विधान सभा की कार्यवाही नहीं चल रही थी। यह सरकार का दायित्व भी है। स्पीकर सर, कल भी हमने इस बारे में बताया था और आज भी मैं मेरे माननीय साथियों को बताना चाहूंगा कि हमने वित्त आयोग की नियुक्ति कर दी है, जिस बारे में मेरे माननीय साथी सुरजेवाला जी कह रहे हैं उस आयोग ने अपनी रिपोर्ट भी दे दी है तथा उस रिपोर्ट के आधार पर ही सरकार ने एक सब-समेटी का गठन किया है। उस सब-कमेटी की भी एक मीटिंग हो चुकी है और जैसे ही सब-कमेटी की रिपोर्ट आयेगी, उस रिपोर्ट के आधार पर जो भी जायज बात होगी और लोगों के हित की बात होगी, उसे अनदेखा नहीं किया जाएगा और जो बातें लोगों के अहित की होंगी उन्हें अनदेखा किया जाएगा। फिर भी मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह जानकारी देना चाहता हूं कि जब तक सब-कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती तब तक सरकारी खजाने से 5 करोड़ रुपए हर महीने के हिसाब से म्यूनिसिपल कमेटियों को दे रहे हैं। इनको किसी तरह की चिन्ता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। (शोर)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बताया कि फाइनैंस कमीशन क्रिएट कर दिया गया है यह बात सही नहीं है। अभी तक कोई फाइनैंस कमीशन गठित नहीं किया गया है। मंत्री जी इस विषय में अपने विभाग से दोबारा जानकारी ले लें। (शोर)

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने विभाग से इस बारे में पूरी जानकारी ली है। उस जानकारी के अन्तर्गत ही मैंने अपनी बात हाउस के अन्दर कही है। वित्त आयोग का गठन हुआ था। उसके आधार पर ही सब-कमेटी बनाई गई है जिसकी एक मीटींग भी हो चुकी है। मैं फिर जोर देकर कह रहा हूं कि वह सब-कमेटी जो भी रिकमैंडेशन देगी उसमें जो बातें लोगों के हित की होंगी उन्हें स्वीकार किया जाएगा। जो बातें लोगों के हित में नहीं होंगी उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा। (शोर) यह केवल राजनीतिक चर्चा करने वाली कोई बात नहीं है बल्कि माननीय सदस्य द्वारा चौ० ओम प्रकाश चौटाला जी, मुख्यमंत्री, हरियाणा सरकार को बधाई देनी चाहिए कि इतने लम्बे अर्से से चुंगी माफी की जो लोगों की डिमाण्ड लम्बित पड़ी थी उसको पूरा करके 62 करोड़ 20 लाख रुपये का लोगों को फायदा पहुंचाया है। (शोर)

श्री मनी राम गोदारा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सुर्जेवाला जी कह रहे हैं कि यह उनकी जानकारी की बात है कि कोई सब-कमेटी नहीं बनाई गई है जबकि मंत्री जी कह रहे हैं कि सब-कमेटी बनाई गई है। इसमें कोई कन्फ्यूजन जरूर है। अगर मंत्री जी कहते हैं कि सब-कमेटी बनाई है तो उनके पास इस सम्बन्ध में कोई तो चीज अथवा कागजात होने चाहिएं।

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, कोई सदस्य अज्ञानता से कुछ कहता है तो उसका क्या किया जाए ? बल्कि मंत्री जी ने तो यहां तक कह दिया कि सब-कमेटी की एक मीटींग भी हो चुकी है। इससे भी आगे बढ़कर और क्या बात हो सकती है। (शोर)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, इन्होंने जो फाइनैंस कमीशन गठित किया है उसके चेयरमैन का नाम बता दें। (शोर)

श्री धीरपाल सिंह : मैंने कहा है कि फाइनैंस कमीशन बना था उसके आधार पर ही सब-कमेटी का गठन हुआ। इसमें मुझे किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं है। (शोर)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, ये उसके चेयरमैन का नाम तो बता दें। (शोर)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, फाइनैंस कमीशन का गठन हुआ था और पहले उसके चेयरमैन बिसला साहब थे और उसके बाद डा० कमला वर्मा थीं।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, कोई फाइनैंस कमीशन नहीं बनाया गया। (शोर)

श्री धीरपाल सिंह : उस फाइनैंस कमीशन के चेयरमैन इनकी पार्टी के ही सदस्य बिसला साहब रह चुके हैं। इनको पता होना चाहिए। (शोर)

डा० कमला वर्मा : अध्यक्ष महोदय, फाइनैंस कमीशन बना था उसकी कई मीटींगें हुई थी तथा कई सिफारिशें भी की गई और नगरपालिकाओं तथा पंचायती राज संस्थाओं को आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई गई।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : आज जो फाईनैंस कमीशन है उसका चेयरमैन कौन है ?

श्री धीरपाल सिंह : स्पीकर साहब, बिसला साहब और बहन कमला वर्मा जी ने अपनी अपनी जो रिपोर्टस दी हैं अगर उनको सुरजेवाला साहब देखना चाहते हैं तो ये मेरे आफिस में आ जाएं मैं सारी की सारी रिपोर्ट इनके सामने रख दूंगा। ये रिपोर्ट को आराम से पढ़ लें और अपने दिमाग को साफ कर लें।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन से निवेदन करूंगा कि रणदीप सिंह बेचारा बच्चा है इसकी बात को आई गई करें। (हंसी)

कैप्टन अजय सिंह यादव (रिवाड़ी) : स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री जी ने कहा कि ट्रेडर्ज की बहुत बुरी हालत थी, उसको ध्यान में रखते हुए और ट्रेडर्ज को सम्मान देने के लिए औकट्राय अबोलिश की है।

श्री मनी राम गोदारा : औकट्राय अबोलिश कहां कर दी।

श्री धीरपाल सिंह : चौधरी साहब, माननीय मुख्य मंत्री जी के आदेशों की पालना करते हुए 1-11-99 से हरियाणा प्रदेश में औकट्राय अबोलिश कर दी गई है।

श्री मनी राम गोदारा : आपने साथ साथ यह भी कहा है कि इस मामले के लिए कमेटी गठित की है।

श्री धीरपाल सिंह : स्पीकर साहब, मैंने बिनती की है कि पहले बिसला साहब वित्त आयोग के चेयरमैन थे, उसके बाद बहन कमला वर्मा चेयरमैन बनी। उनकी रिपोर्ट आ गई है। उस पर सब कमेटी बनी है। लेकिन हरियाणा प्रदेश में औकट्राय 1-11-99 से अबोलिश हो गई है। विधान सभा बैठी नहीं थी इसलिए पहले इस बारे में आर्डीनैंस लाने की आवश्यकता पड़ी। आर्डीनैंस के बाद यह बिल लाया गया है जिस पर चर्चा हो रही है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : गोदारा साहब, कोई आयोग स्थाई नहीं होता है। हर पांच साल के बाद बदल जाता है। अब बच्चा हो तो उसको समझाएं बुजुर्ग को क्या समझाएं।

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर साहब, औकट्राय अबोलिश करने के बाद बहुत सी ऐसी म्यूनिसिपल कमेटीज हैं जिनकी बहुत बुरी हालत है। ऐसी बहुत सी म्यूनिसिपल कमेटीज हैं जिनके पास अपने एम्पलाइज को तनखाह देने के लिए पैसा नहीं है। उन कमेटीज में एम्पलाइज को पिछले 3-3 और 4-4 महीने से तनखाह नहीं मिली है। कुछ ऐसी म्यूनिसिपल कमेटी हैं जिनकी आय का साधन केवलमात्र औकट्राय थी। कुछ ऐसी म्यूनिसिपल कमेटी हैं जिनकी अपनी कोई आय नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो म्यूनिसिपल कमेटी अपने एम्पलाइज को तनखाह नहीं दे पा रही हैं उन एम्पलाइज को तनखाह देने के बारे में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है। (शोर)

श्री मनी राम गोदारा : स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो बिल पेश किया गया है इस पर बहस करने की बात है और इस बिल की हर क्लाज पर बहस करने की बात है। हम इस बिल की हर आईटम पर बहस करेंगे यह सीधी सी बात है। आपने जो बिल पेश किया है उस पर डिस्कशन तो हम करेंगे।

श्री धीरपाल सिंह : आप खुली बहस करें। ये पूछना चाहते हैं इनका जवाब तो देना पड़ेगा।

कैप्टन अजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो औक्ट्राय खत्म किया गया है उससे कई विकास के काम रुक गए हैं। जैसे जो स्लम एरियाज थे उनमें अब कोई काम नहीं हो रहा। लोकल बाडीज के जो मैम्बर चुनकर आते थे और औक्ट्राय के माध्यम से कुछ पैसा म्यूनिसिपल कमेटीज के पास आता था लेकिन अब वह पैसा नहीं आयेगा जिस कारण वे कोई डिवैल्पमैंट के काम अपने एरियाज में नहीं करा पाएंगे। जितनी भी सरकारें अब तक आई हैं वे कोई न कोई टैक्स माफ करती रही हैं जिस कारण डिवैल्पमैंट के काम रुक जाते हैं। मेरी इस बारे में व्यापारियों से बातचीत हुई है। व्यापारियों ने बताया कि इससे हमारे ऊपर कोई खास असर नहीं पड़ा हां जो लाईन में खड़े होते थे उससे जरूर बचे हैं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि नगरपालिकाओं की आर्थिक हालात सुधारने

के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं। दूसरे मैं यह जानना चाहता हूं कि जो सब कमेटी बनाई गई है वह किन गाईड लाइन्ज पर काम करेगी ?

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश में 82 नगरपालिकाएं और नगर परिषदें हैं। इनमें से 20 नगरपालिकाएं ऐसी हैं जहां पर जो चुंगी आती थी उससे अधिक का खर्चा वहां पर हो रहा था। ये आज स्लम एरियाज की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि ये अपने समय में जब 1991 से 1996 तक मंत्री रहे तो उस समय इन्होंने कितना काम स्लम एरियाज के लिए करवाया ? साथ ही साथ मैं इनकी जानकारी के लिए यह भी बताना चाहूंगा कि रिवाड़ी नगरपालिका ऐसी है जहां पर या तो आय खर्च के बराबर थी या कम थी। हमने 1-11-99 को चुंगी खत्म की है। आज चुंगी को खत्म हुए 16 दिन होने जा रहे हैं। सरकार चुंगी के 3108 कर्मचारियों को समायोजित करने की कार्यवाही कर रही है। हमारे मुख्य मंत्री चौटाला साहब ने यह साफ तौर पर कहा है कि जब तक वे समायोजित नहीं हो पाएंगे तब तक उनकी पे सरकारी कोष से दी जायेगी।

श्री मनीराम गोदारा (भट्टू कलां) : स्पीकर सर, इस बिल के ऑब्जैक्ट्स एण्ड रीजन्ज में यह लिखा है :—

> "Considering that octroi has adverse impact on trade and commerce, that there is waste of time and fuel at check posts and there is corruption/leakage in its administration/assessment and that in many municipalities it has high collection cost, the State Government decided to abolish octroi in the State of Haryana with effect from 1st November, 1999. Accordingly, the Haryana Municipal (Second Amendment) Ordinance, 1999 (Haryana Ordinance No. 5 of 1999) was promulgated on 1st November, 1999. The proposed Bill now seeks to replace the Ordinance with the Bill in the ensuing Session of Haryana Vidhan Sabha."

इस मामले के बारे में बहुत लम्बी बहस भी हुई थी। ऐसा नहीं है कि हम इसके खिलाफ हैं। जब हमारी सरकार थी उस वक्त हमारी लोकल बॉडीज़ मिनिस्टर बहन कमला वर्मा जी थीं। इनके सामने भी पूरे तौर पर हर पहलू पर गौर करके डिस्कशन हुई कि हम इसके अन्दर क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। इसको कैसे माफ किया जा सकता है तथा ऐसा कौन सा तरीका अपनाया जा सकता है कि यह चुंगी माफ हो जाए। आखिर में यह काम मेरे जिम्मे लगा दिया गया।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : गोदारा साहब, आप उस सब-कमेटी के चेयरमैन थे।

श्री मनी राम गोदारा : मैं उसका चेयरमैन नहीं था इसलिए इस मामले के अन्दर ऐसा जवाब नहीं दिया है। चेयरमैन के नाते मैंने कुछ नहीं किया। कैबिनेट के अन्दर रख कर इसका फैसला किया गया था कि बहन कमला वर्मा जी दूसरी स्टेटों के अन्दर जाएंगी और स्टडी करेंगी कि किस तरीके से इसको माफ किया जाए।

श्री धीरपाल सिंह : जो बात आपने कही है वह सारी सरकारी रिकार्ड में दर्ज है इसी के आधार पर ये कह रहे हैं।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैंने कल भी यह बात कही थी और आज इनको याद दिलाने के लिए फिर बता देता हूं कि एक सब-कमेटी बनाई गई थी जिसके चेयरमैन गोदारा साहब थे। उस सब-कमेटी ने यह निर्णय लेना था कि म्यूनिसिपल टैक्स घटाया जाए। अगर सही तरीके से देखा जाए तो आप इस टैक्स को घटाना या माफ करना नहीं चाहते थे।

श्री मनी राम गोदारा : अध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल गलत बात है। मैंने यह कहा था कि इसको थोरोली स्टडी किया जाए। प्रो० राम बिलास शर्मा जी और शोरेवाला जी उस सब-कमेटी के मैम्बर थे। वह सब-कमेटी सात मैम्बरों की थी जिनमें से इस समय छः सदस्य इनकी सरकार में हैं।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इन छः लोगों ने इनकी बात का विरोध किया था और इसको माफ करना चाहते थे लेकिन ये म्यूनिसिपल कमेटीज का टैक्स बढ़ाना चाहते थे। इनके हाथ में होम मिनिस्ट्री का डण्डा भी था फिर भी कुछ नहीं कर पाए।

श्री मनी राम गोदारा : अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें जो प्रयास छोड़ दिए गए हैं उनके बारे बोलना चाहता हूं। किस हिसाब से ये म्यूनिसिपल कमेटीज की डिमाण्ड को पूरा करेंगे ? क्या क्राईटीरिया उसके लिए लिया गया है या क्या क्राईटीरिया रखेंगे और किस ढंग से यह होना चाहिए जिससे म्यूनिसिपल कमेटियों को कोई आमदनी हो सके क्योंकि लोकल बोडीज़ की तरफ से बार-बार मांग आती रही है कि उनके आमदनी के साधनों को बढ़ाया जाए। जब तक म्यूनिसिपल कमेटियों को आमदनी के साधन उपलब्ध नहीं करवाए जाएंगे तब तक वे डिवैल्पमैंट कैसे कर पाएंगी। उनके पास साधन उपलब्ध न होने से विकास के कोई काम नहीं होंगे इसलिए उस सब-कमेटी के अन्दर यह फैसला किया गया था। वह मैं बता देता हूं। पहले जो टैक्स लिया जाता था वह वजन पर लिया जाता था माल की कीमत के अनुसार टैक्स नहीं लिया जाता था। एक ट्रक में अगर लोहा लदा है तो उस पर भी उतना ही टैक्स था जितना उतने ही वजन से सोने के लदे हुए ट्रक पर था इसलिए यह फैसला किया गया था कि माल के हिसाब से म्यूनिसिपल कमेटी का टैक्स लगे। हमारे ऑफिसर्ज़ भी बैठे हुए थे उनसे बराबर की स्टेट्स में लागू टैक्स के बारे में पूछा गया था जो टैक्स हम ले रहे हैं बराबर की स्टेट्स ने जो टैक्स लगाया है वह उससे ज्यादा तो नहीं है। हमारे पास जो रिपोर्ट आई थी वह यह थी कि बराबर की स्टेट्स में हर आईटम से आधे से ज्यादा कम है। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, इनको पता है कि यह सरकारी रिकार्ड है उस समय गोदारा साहब होम मिनिस्टर थे और उस कमेटी के चेयरमैन भी थे। अगर मैं यह रिपोर्ट पढ़ कर सुना दूं तो इनको सब कुछ याद आ जाएगा। यह रिपोर्ट काफी लम्बी है इसका रैलेवैन्ट पोर्शन मैं कोट कर देता हूं।

> "The then Chief Secretary also recommended that the Octroi should not be abolished. Therefore, the Sub-Committee came to the conclusion that Octroi should not be abolished."

श्री मनी राम गोदारा : मैं भी यही कह रहा हूं।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : आप टैक्स बढ़ाने के पक्षधर थे और बहन जी घटाने के पक्ष में थीं।

श्रीमती कमला वर्मा : अध्यक्ष महोदय, उस वक्त जो कमेटी बनी थी उसने अपना निर्णय लिया। यह बात तो माननी पड़ेगी कि व्यापारी टैक्स से दुखी थे और इस सरकार ने आने के बाद इसको खत्म कर दिया तो इसमें बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। (विघ्न)

श्री मनी राम गोदारा : अध्यक्ष महोदय, अगर ये जमुना नगर और जगाधरी को पैरिस बनाना चाहते हैं तो हम इसको अपीज करते हैं हम इसके लिए तैयार नहीं हैं।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : गोदारा साहब, मैंने केवल एक बात कही है कि आप यह कह रहे थे कि आप उस कमेटी में नहीं थे। आप उस कमेटी के चेयरमैन थे उसमें जो लिखा है वह मैं आपको बता देता हूं।

> "The Sub-Committee came to the conclusion that Octroi should not be abolished."

श्री मनी राम गोदारा : मैंने जो कहा है और जिस तरीके से कहा है वह कुछ और है। आप जो कर रहे हैं और जिस तरीके से कह रहे हैं वह कुछ और तरीका है। (विघ्न)

श्री चरण दास शोरेवाला : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने तो बढ़ा दिया था और उसके बाद वह मामला कैबिनेट में गया। जब कैबिनेट में गया तो इलैक्शन का मामला आ गया था और इन्होंने वह मामला बन्द कर दिया।

श्री मनी राम गोदारा : मैं जो आपसे बात कह रहा हूं वह आप सुनें। पोलिटीकल आदमी कोई भी बात चाहे किसी ढंग से कहे। उस वक्त जो बात सामने आई थी वह हमने करी थी आप देखें यह राजस्थान में भी हो चुका है। म्यूनिसिपल कमेटी में अगर कमेटी का टैक्स और दूसरे टैक्स माफ कर दिए जाएंगे तो आमदनी का सोर्स क्या होगा ? (विघ्न)

श्री धीरपाल सिंह : आप यह बताएं कि आप इसके पक्ष में है या विरोध में हैं ?

श्री मनी राम गोदारा : मैं इसके विरोध में हूं। मैं तो यह कहूंगा कि आप किसी भी पोलिटिकल दबाव में आकर ऐसा न करें। आप राजस्थान में जाकर देखें कि वहां पर क्या हुआ था।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : गोदारा साहब, सरकार का काम केवल पैसा अर्जित करना ही नहीं है बल्कि सरकार का काम लोगों की मूलभूत जरूरियात पूरी करना है। हम यहां पर इसीलिए ही बैठे हैं कि लोगों की मूलभूत जरूरियात पूरी करें। सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह इस प्रदेश के लोगों को सम्मानजनक जीवन व्यतीत करने का अवसर प्रदान करे।

श्री मनी राम गोदारा : वह पैसा भी तो लोगों का ही है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : इसी के दृष्टिगत हमने औक्ट्राय समाप्त करने का निर्णय लिया है आप यह बात दिमाग से निकाल दो कि पैसा कहां से आएगा। पैसा इकट्ठा करना सरकार का काम नहीं है सरकार का काम लोगों की सुविधाओं को देखना है। अगर सब आपकी तरह से सोचने लगें फिर तो अस्पताल भी बंद हो जाएंगे, वाटर वर्क्स भी बंद हो जाएंगे। सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह लोगों की जरूरियात को पूरी करे। पैसा इकट्ठा करने का काम हमारा नहीं है। यह सोच तो केवल आपकी ही हो सकती है, आपकी जो यह सामन्तशाही सोच है इसको आप बदलें।

श्री मनी राम गोदारा : स्पीकर सर, इनको, उन आदमियों को बाद में बताना पड़ेगा कि आज जो यह खजाने से 65 करोड़ रुपये आप दे रहे हैं वह किसका पैसा है ?

श्री धीरपाल सिंह : वह पैसा लोगों का है और लोगों के लिए है। हम आपकी तरह नहीं हैं कि आपने रिकमंडेशन जारी कर दी कि चुंगी बढ़ा दो और बाद में जब व्यापारी भाईयों और उपभोक्ताओं का

[श्री धीरपाल सिंह]
डंडा लगा तो आप में भी, चौधरी बंसी लाल जी में भी यह हिम्मत नहीं हुई कि आप चुंगी बढ़ा दो। आप हिम्मत पैदा करो लेकिन आप लोगों ने तो लोगों को सुविधा देना सीखा ही नहीं है। आपने तो केवल लोगों को परेशानी देना ही सीखा है। आपने सवा तीन साल में लोगों को परेशानियों के अलावा और दिया ही क्या है। (विघ्न)

श्री मनी राम गोदारा : इस तरह से रटी रटाई बातों से काम नहीं चलता। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : मनीराम जी, अब आप बैठें क्योंकि आपकी बात पूरी हो चुकी है।

श्री मनी राम गोदारा : सर, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। मैं जनरल डिस्कशन पर डिस्कस कर रहा हूं और इस पर मैं दो या तीन घंटे बोल सकता हूं। आप मुझे अपनी बात कम्पलीट करने दें। (विघ्न) स्पीकर सर, मैं अपनी बात पूरी करने के लिए खड़ा हुआ हूं न कि लोगों को जानवर कहने के लिए खड़ा हुआ हूं।

श्री धीरपाल सिंह : स्पीकर सर, गोदारा साहब हमारे बहुत ही वरिष्ठ विधायक हैं, दूसरे भी हमारे विधायक साथी बैठे हैं जिस ढंग से हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने बोलने के लिए सबको खुली छूट दी है वैसी छूट हमें कभी भी नहीं मिली। आप 1996 से लेकर 1998 तक का रिकार्ड उठाकर देख लें हमें बिलों पर बोलने के लिए एक मिनट का भी फालतू समय नहीं दिया जाता था। मैं 1982 से मैम्बर हूं लेकिन हमें कभी भी इतना समय बोलने के लिए नहीं मिलता था लेकिन गोदारा साहब, आप बोलिए आपको तो बोलने की पूरी छूट मिली हुई है।

श्री मनी राम गोदारा : स्पीकर सर, मैं यह बात कहना चाहता था कि मैं इस बिल की जनरल डिस्कशन पर बोल रहा हूं और जनरल डिस्कशन पर कोई मैम्बर कितनी ही देर तक बोल सकता है। (विघ्न) ये हर बार यही कह देते हैं कि 1996 में यह हुआ, 1997 में यह हुआ और 1998 में यह हुआ।

श्री धीरपाल सिंह : गोदारा साहब, जिस चेयर पर आप बैठे हैं इसी पर मैं भी बैठता था लेकिन हमें कभी भी बिलों पर फालतू समय बोलने के लिए नहीं दिया जाता था जबकि अब मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं कि आप जितना चाहे बोलें।

श्री मनी राम गोदारा : मैं आपकी अनुमति से नहीं बोल रहा हूं। मैं अध्यक्ष जी की अनुमति से बोल रहा हूं। मैं यह कह रहा था कि बार-बार जो 1997 और 1998 की बात करते हो तो जो बात मैं कहना नहीं चाहता था लेकिन मुझे कहनी पड़ेगी। गांव वाली बात है। एक पंडित और एक मौलवी दोनों साथ-साथ रहते थे। पड़ोस में रहते थे। दोनों दोस्त थे। जरूरत पड़ने पर एक दूसरे के घर से बर्तन चारपाई ले जाते थे। एक बार पंडित जी तीर्थ यात्रा पर गए। जब वहां से लौट कर आए तो उन्हें उनके अन्य पड़ौसियों ने कहा कि पंडित जी, मौलवी जी आपके घर से बर्तन उठाकर ले गए थे और आपकी थाली में उन्होंने मीट खाया। पंडित जी ने कहा कि अच्छा उन्होंने ऐसा किया अब मैं उसकी थाली में गोबर खाऊंगा। मेरा कहने का भाव यह है कि हम अगर कुछ करते थे तो वही काम करोगे क्या ? हम जो बात कह रहे हैं उसे सुनो। हम कायदे कानून की बात कह रहे हैं। ठीक है हमने 1997, 1998 और 1999 में किया लेकिन अब जो मैं कह रहा हूं वह भी तो मैं ही कह रहा हूं। मेरे कहने का मतलब यह था कि जब यह मुद्दा हमारे पास आया तो अनौफिशियली तौर पर आया। हमने बातचीत की और उस वक्त यह साफ हुआ और टैक्स लगाने की बात पर मैंने खुद कहा, मैं यह बात सड़कों पर भी मानूंगा, हल्के में भी मानूंगा कि मैंने कहा कि किसान पर इस असैस का बोझ पड़ेगा, चाहे सेल्ज टैक्स का असैस हो, चाहे किसी और चीज का असैस हो and I am not prepared for it. आपने इस पर विचार नहीं

किया। अगर आप 68 करोड़ रुपया दे रहे हैं क्या वह जनता के लिए दे रहे हैं ? जनता कौन है ? गांव के अंदर किसान जो खेत में पानी लगाता है क्या वह जनता नहीं है ?

श्री धीरपाल सिंह : आप किसानों के और जनता के ज्यादा हमदर्द थे। दारू के मुद्दे पर आपने स्टेट के 1200 करोड़ रुपये का भट्ठा बैठा दिया। मैं तो आपके सामने बच्चा हूं। आपने कौन सा परमिट ले रखा है। मैंने अगर कह दिया कि जनता का पैसा जनता के लिए है तो इसमें गलत क्या कह दिया ?

श्री मनी राम गोदारा : मुझे तो इस बात से कष्ट है क्योंकि मैं भी जनता में आता हूं।

श्री धीरपाल सिंह : मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही है। आप तो मंशा बना कर आये हैं कि इस मुद्दे पर भागेंगे। आप अपने समय में चुंगी माफ नहीं कर पाए। अब आप भागने की कोशिश कर रहे हैं। आप यह बताएं कि उपभोक्ता कौन है ? जो किसान बाजार में जाता है जूते खरीदता है, खाद खरीदता है, बीज खरीदता है क्या वह उपभोक्ता नहीं है ? Who is he ? किसान से क्या अभिप्रायः है।

श्री मनी राम गोदारा : मैं भी यही कहता हूं। मेरी बात का जवाब दे देना।

श्री अध्यक्ष : गोदारा साहब, आपको बोलते हुए काफी समय हो गया है। आप बिल के सिद्धान्तों की बात कीजिए।

श्री मनी राम गोदारा : अध्यक्ष महोदय, मैं बिल पर ही बोल रहा हूं। उससे बाहर तो मैं एक शब्द भी नहीं बोला हूं।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार के समय फाइनैंस कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दी थी उसको एग्जामिन करने के लिए एक सब-कमेटी बनाई थी उस सब-कमेटी के चेयरमैन गोदारा साहब थे। इनकी उम्र के हिसाब से याददाश्त कमजोर हो गई है।

श्री मनी राम गोदारा : अध्यक्ष महोदय, जो बातें मेरे सामने हुई हैं उनको मैं बता रहा हूं। उनके लिए मेरी याददाश्त कमजोर नहीं हुई है।

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी की कहने की मन्शा यह थी कि फाईनैंस कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दी थी उसको एग्जामिन करने के लिए एक सब-कमेटी बनाई गई थी और गोदारा साहब उस सब-कमेटी के चेयरमैन थे यह बात उनके ध्यान में नहीं है। लेकिन उस सब-कमेटी की कोई भी मीटिंग इन्होंने नहीं की।

श्री मनी राम गोदारा : मैं जिस कमेटी का चेयरमैन था उसकी मैंने मीटिंग की थी। मैं उस कमेटी का चेयरमैन था जिस कमेटी ने यह फैसला करना था कि म्यूनिसिपल कमेटी द्वारा जो चुंगी लगाई जाती है वह किस आईटम पर कम लगनी चाहिए और किस आईटम पर ज्यादा लगनी चाहिए। उस कमेटी के सिवाए मैं किसी कमेटी का चेयरमैन नहीं था।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, उस समय जितनी भी कमेटियां बनाई गई थीं गोदारा साहब उन सभी कमेटियों के चेयरमेन थे इसलिए इनको याद नहीं रहा। (विघ्न)

श्री मनी राम गोदारा : अध्यक्ष महोदय, मैं किसी कमेटी का चेयरमैन नहीं था। चौटाला साहब इस बारे में मुझे आदेश दिखा दें। मैं सिर्फ इनके कहने मात्र से नहीं मानता।

श्री अध्यक्ष : गोदारा साहब, आपको बोलते हुए काफी समय हो गया है इसलिए आप बैठ जाएं।

श्री मनी राम गोदारा : अध्यक्ष महोदय, मैं तो दो ही बातें कहना चाहता हूं। एक तो यह कि हम जो भी डिसीजन लें वह जूडीशियस डिसीजन लें, पोलिटिकल कंसिड्रेशन को सामने रखते हुए लोगों पर फाईनेंस का बोझ न डालें। दूसरी बात यह है कि अगर आप 96 करोड़, 65 करोड़ या 70 करोड़ रुपया खजाने में से देते हैं तो उस पैसे में उस आदमी का भी हक है जो एक आने, चार आने और आठ आने में नमक खरीदता है। आप उस आदमी के लिए भी उस खजाने का पैसा बरतो। यह नहीं कि पोलिटिकल हिसाब से सोचो और उस पैसे को यूटीलाईज करो। गवर्नमैंट लैवल पर जो भी फैसला होगा, वह जूडीशियस होगा। जूडीशियस फैसला करते वक्त बहुत सोचना पड़ेगा कि किसान से लेकर मजदूर तक किसके ऊपर कितना बोझ पड़ता है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : हम राजनीतिज्ञ लोग हैं और जो भी राजनीतिक निर्णय इस सदन में लिए जाते हैं, वे निर्णय लोगों के हित के दृष्टिगत लिए जाते हैं। आपने कहा कि चुंगी माफ करके सरकार ने 68 करोड़ रुपए का नुक्सान उठाया है। मुझे बड़ा अफसोस है कि शराब बन्दी के वक्त जब 1200 करोड़ रुपए का नुक्सान हो रहा था तब आपकी जुबान से एक भी शब्द नहीं निकला और अब बोल रहे हो। जब शराब बन्दी को खोला गया तब आपसे पूछा नहीं गया और आप प्रजातांत्रिक पद्धति को पांव तले रौंद गए। जब शराब को बन्द किया गया और उसको खोला गया तब न ही आपसे और न ही इस सदन से पूछा गया था। उस समय आपकी जुबान बन्द हो गई थी।

श्री मनी राम गोदारा : मेरी जुबान बन्द नहीं हुई थी बल्कि राम बिलास जी इस बारे में बोले थे।

डा० कमला वर्मा (यमुनानगर) : अध्यक्ष महोदय, राम बिलास जी को तो कागज दे दिया गया था कि आप बिल पेश करो और उनको सरकार में प्रमुख पार्टनर होते हुए बिल पेश करना पड़ा। (शोर)

श्री हर्ष कुमार : स्पीकर सर, * * * *

श्री अध्यक्ष : हर्ष कुमार जी जो कुछ भी कह रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए।

श्री कर्ण सिंह दलाल (पलवल) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से धीरपाल सिंह जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो हरियाणा नगर निगम (द्वितीय) संशोधन विधेयक, 1999 पर चर्चा हो रही है। इन्होंने चुंगी खत्म करने का फैसला लिया है। यह फैसला बहुत ही अच्छा है। मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं कि क्या ये कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे कि म्यूनिसिपल कमेटियों में जो पैसा जाएगा तो वह किस तरीके से जाएगा और वह कहां-कहां यूटिलाईज होगा ? जो पैसा वहां जाएगा क्या उसका यूटीलाईजेशन उसी तरीके से होगा जैसे हरियाणा सरकार के खाते से सी०ए०टी०ए० के जरिए से होता है ?क्योंकि जब वह पैसा कमेटियों में जाता है तो जनता के चुने हुए नुमाइन्दे नियमों की पालना न करते हुए उस पैसे को कहीं और खर्च कर देते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मेरा सभी माननीय सदस्यों से नम्र निवेदन है कि आप अपनी-अपनी सीटों पर बैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान) हर्ष कुमार जी, प्लीज आप भी बैठिये। हर्ष कुमार जी जो कुछ भी कहें वह रिकार्ड न किया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री हर्ष कुमार : अध्यक्ष महोदय, * * * *

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और पूछना चाहता हूं कि पिछले दिनों जब हमारी सरकार थी उस समय एक प्रस्ताव पर चर्चा हुई थी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज आप सभी अपनी सीटों पर बैठें। (शोर एवं व्यवधान) गोदारा साहब, प्लीज आप बैठें। (शोर एवं व्यवधान) चौहान साहब, आप भी बैठें।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं चौहान साहब की बहुत इज्जत करता हूं इसलिए मैं इनके बारे में कोई ऐसी-वैसी बात नहीं कहना चाहता जिससे लोग हंसे। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा के अंदर चौधरी बंसी लाल जी की सरकार मेरे खून पसीने से बनी थी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री हर्ष कुमार : अध्यक्ष महोदय, दलाल साहब कहते हैं कि इनके खून पसीने से हमारी सरकार बनी थी, यह गलत है। बल्कि इनको राजनीति में लाने वाले ही चौधरी बंसी लाल जी थे। ये तो हरद्वारी लाल जी के पैर दबाते थे।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी श्री हर्ष कुमार जी को कहना चाहता हूं कि ये हाउस की गरिमा को बनाये रखें। जब स्पीकर साहब स्वयं इनको खड़े होकर बैठने के लिए कहें तब तो कम से कम ये बैठ जायें। अध्यक्ष महोदय, ये आपसे अनुमति लिये बगैर ही बोलते रहते हैं।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, हर्ष कुमार जी ने कहा कि मैं चौधरी हरद्वारी लाल जी के पैर दबाता था। मैं इनको इस बारे में बताना चाहूंगा कि मैं चौधरी हरद्वारी लाल जी के बहुत नजदीक था और मैं उन्हें अपने पिता के समान समझता था। उनकी बहुत इज्जत करता हूं। एक बुजर्ग की जितनी भी इज्जत की जाये वह कम होती है। अध्यक्ष महोदय, इन भाईयों ने तो टिकट लेने के लिए मेरे पैर दबाये थे।

श्री हर्ष कुमार : अध्यक्ष महोदय, हमने तो इनके पैर नहीं दबाये। लेकिन जब गया लाल जी के लड़के उदयभान को पार्टी से निकाल दिया था तब ये मेरे पास आये थे कि मैं उसको टिकट दिलवा दूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हर्ष कुमार जी, आप बैठिये।

श्री हर्ष कुमार : अध्यक्ष महोदय, अगर कोई व्यक्तिगत तौर पर मुझ पर कटाक्ष करेगा तो मैं उसका जवाब तो दूंगा ही। (शोर एवं व्यवधान)

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो व्यक्ति यहां हाजिर नहीं है और न ही विधान सभा में 12.00 बजे प्रवेश कर सकता है, उसका नाम लेकर बेकार में बहस की जा रही है। (शोर)

श्री मनी राम गोदारा : अध्यक्ष महोदय, यहां पर बिल की बहस थी और ये लोग दूसरी तरह की चर्चा करने लग गये हैं। (शोर)

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था के प्रश्न की बात जो है तो यहां पर गया लाल के बेटे की बात आई जिस पर मैंने कहा कि जो विधान सभा में प्रवेश नहीं कर सकता और अपनी बात कह नहीं सकता उसके ऊपर चर्चा नहीं होनी चाहिए जबकि उधर वाले विपक्ष के साथी ये कह रहे हैं कि ऐसी प्रथा रही है। यदि ऐसी प्रथा है तो आप विधान सभा का माहौल क्यों खराब कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगन नाथ : स्पीकर साहब, दलाल साहब जाट होते हुए बी०जे०पी० में हैं। यह बात समझ में नहीं आई।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चौ० जगन नाथ को बताना चाहूंगा क्योंकि ये भूल चुके हैं कि कल भी हमारी दोनों पार्टियों के नेता चौ० ओम प्रकाश चौटाला ने इन पार्टियों की विचारधारा के बारे में बताया था। चौ० जगन नाथ अभी बीच में उठकर कह रहे थे कि मैं जाट हूं और बी०जे०पी० में चला गया लेकिन आपके माध्यम से मैं इनको बताना चाहूंगा कि इन्हीं दोनों पार्टियों ने मिलकर ही पिछले दिनों लोक सभा की दस की दस सीटों पर जीत हासिल की है। (शोर)

श्री जगन नाथ : अध्यक्ष महोदय, इससे पहले 1984 में इनकी दो सीटें ही आई थीं। (शोर)

डा० कमला वर्मा : अध्यक्ष महोदय, दो से दो सौ भी हो गई हैं।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि हरियाणा के अन्दर कई नगरपालिकाएं एग्जिसटैंस में आई और लोगों को इस बात के ऊपर एतराज था कि पंचायतों के कुछ एरियाज नगरपालिकाओं में मिला लिए। इनके विचार में कुछ ऐसी नगरपालिकाएं हैं जो वायबल नहीं थीं जो राजनीतिक कारणों से बनी थीं और फिर पुनः उनकी जगह पंचायतें बनीं।

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, चूंकि चुंगी समाप्ति के आर्डीनैंस की एवज में यह बिल आया है। इस पर चर्चा होते हुए माननीय और आदरणीय विधायक गोदारा जी ने चर्चा में इधर-उधर की बातें कीं। लेकिन मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं कि कबीर जी एक बात कह गये थे कि "बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोए, जो मन खोजे अपना तो मुझ से बुरा न कोए।" (शोर) गोदारा साहब, आप तो धन्य होते कि जब हरियाणा प्रदेश दिशाहीन हो रहा था और हमारी पार्टी ने तथा आदरणीय चौ० ओम प्रकाश चौटाला ने इसी सदन में शराबबन्दी की एवज में आपको भरपूर समर्थन दिया था। अध्यक्ष महोदय, इनकी पार्टी का नेतृत्व गुमराह हो रहा था और बार-बार शंका जाहिर हो रही थी कि युवा पीढ़ी दिशाहीन हो रही है, शराब माफिया पैदा हो रहा है, 1200 करोड़ के घाटे पैदा किए गए, सड़कें टूट गईं, विकास कुछ हुआ नहीं। तब तो इनको कुछ चिन्ता हुई नहीं क्योंकि ये कुछ भी नहीं कर पाये। भारतीय जनता पार्टी का प्रयास था कि चुंगी समाप्त हो इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा विकास पार्टी के सहयोग से सरकार बनी थी। बी०जे०पी० का चुंगी समाप्ति का प्रयास क्यों था इस बारे इन्होंने बिल के औबजैक्शन एंड रीजंज पढ़े होंगे कि फजूल ज्यादा खर्च होता था, भ्रष्टाचार की संभावना थी और कई ऐसे मुद्दे थे जो इसमें अंकित हैं। (शोर) हमने हमारे मुख्य मंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के आदेशों की पालना करते हुए प्रदेश में चुंगी समाप्त की। चुंगी समाप्त करने के लिए हमारे ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं था। हमने जन भावनाओं की कदर करते हुए, छोटे दुकानदारों के साथ हमदर्दी दिखाते हुए और हमने अपने दायित्व को निभाते हुए तथा जनता की भावनाओं को समझते हुए प्रदेश से चुंगी समाप्त की है। प्रदेश में चुंगी समाप्त करने से किसानों को भी लाभ हुआ है क्योंकि चुंगी खाद, दवाई, सब्जी, कपड़ा और जूतों पर लगती है इनमें से कोई ऐसा आइटम नहीं है जिसको किसान नहीं खरीदते। जो सही उपभोक्ता है वह किसान है। उपभोक्ता कोई भी हो सकता है। उपभोक्ता किसान हो सकता है। उपभोक्ता चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी हो सकते हैं, गोदारा साहब हो सकते हैं और विधान सभा के पूर्व अध्यक्ष प्रो० छत्तर सिंह चौहान हो सकते हैं।

श्री बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, उपभोक्ता तो गांवों से अपना उत्पादन मंडी में ले कर आते हैं।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि किसान अपने खेत का उत्पादन मंडियों में ले कर जाता है लेकिन किसान वहां से अपनी जरूरियात की चीजें भी खरीद कर लाता है। आप समझे नहीं वह यह कह रहे हैं कि जिन चीजों पर चुंगी लगती थी उनको किसान भी खरीदते थे उससे किसानों को भी राहत मिली है।

श्री मनी राम गोदारा : चुंगी समाप्त करने का फैसला आपका पोलिटिकल फैसला है।

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह) : स्पीकर साहब, मैं एक बात क्लैरीफाई करना चाहता हूं। बार-बार सदस्यों ने अपनी चिन्ताएं जाहिर की हैं कि चुंगी समाप्त करने से सरकार को करोड़ों रुपए का घाटा होगा। जहां तक ऐस्टैब्लिशमैंट का ताल्लुक है वे सारे एम्पलाइज दूसरे डिपार्टमैंट्स में कंटीन्यू करेंगे जिससे 20-22 करोड़ रुपए उसमें एडजैस्ट हो जाएंगे। इससे अलग जो पैसा रह जाता है उस पैसे का सवाल है। अगर सरकार अपने टारगेट लेकर चले तो अपने रिसोर्सिज से उस घाटे को पूरा कर सकती है। आलरेडी जो टैक्स लगाए हुए हैं उनकी चोरी को रोका जाए। उन टैक्सिज की रिकवरी सही ढंग से की जाए। स्पीकर साहब, हमारे मुख्य मंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने 24 जुलाई को मुख्य मंत्री पद की शपथ ली थी उस समय स्टेट का एक्साइज माइनस में चल रहा था। उसके कारण अनेकों हो सकते हैं क्योंकि उस समय की सरकार के समय में मध्य प्रदेश या दूसरे प्रदेशों के ट्रकों वाले टैक्स का एक नया पैसा नहीं दे रहे थे और हमारे प्रदेश में शराबबंदी के दौरान उन प्रदेशों की शराब बिक रही थी हमारे यहां एक्साइज का घाटा हो रहा था। हमारी सरकार आने के बाद प्रदेश का एक्साइज 15-16 परसैंट बढ़ा है। जहां तक सेल्ज टैक्स की बात है वह 26 परसेन्ट इन्क्रीज हुआ है। (शोर एवं विघ्न)

श्री मनी राम गोदारा : आप टैक्स इन्क्रीज करें और सरकार की अधिक आमदन बढ़ाएं इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। (विघ्न)

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम हर फील्ड के अन्दर रिकवरी अधिक से अधिक करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने सेल्ज टैक्स की रिकवरी में बहुत ज्यादा बढ़ौतरी की है। पहले 250 करोड़ रुपये के सेल्ज टैक्स के एरियर्ज बकाया थे। हमने कर उगाहने के लिए एक नयी स्कीम बनायी है। उस नई स्कीम से स्टेट को रेवेन्यू अधिक आयेगा। (शोर एवं विघ्न) आप सभी लोग जो इसका विरोध कर रहे हैं आप ये बताएं कि क्या जो चुंगी खत्म की गई है आप उसके हक में हैं या खिलाफ हैं ?

आवाजें : हम हक में हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि हरियाणा नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : अब सदन विधेयक पर क्लाज वाई क्लाज विचार करेगा।

क्लाज 2

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि क्लाज 2 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 3

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि क्लाज 3 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 4

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि क्लाज 4 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 5

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि क्लाज 5 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 6

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि क्लाज 6 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 7

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि क्लाज 7 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 8

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि क्लाज 8 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि क्लाज 1 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि इनैक्टिंग फार्मूला बिल का इनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि टाईटल बिल का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : अब, मंत्री जी प्रस्ताव करेंगे कि बिल पास किया जाए।

नगर एवं ग्रामीण आयोजना मन्त्री (श्री धीरपाल सिंह) : स्पीकर सर, मैं प्रस्ताव करता हूं—

कि बिल पास किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

कि बिल पास किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि बिल पास किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

(3) दि हरियाणा म्यूनिसिपल कारपोरेशन (सैकिण्ड अमैंडमैंट) बिल, 1999

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब नगर एवं ग्रामीण आयोजना मन्त्री हरियाणा नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1999 प्रस्तुत करेंगे और इस बिल पर विचार करने के लिए मोशन मूव करेंगे।

नगर एवं ग्रामीण आयोजना मन्त्री (श्री धीरपाल सिंह) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1999 प्रस्तुत करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं—

कि हरियाणा नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ—

कि हरियाणा नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री मनी राम गोदारा (भट्टू कलां) : अध्यक्ष महोदय, जिस वक्त हमारे बी०जे०पी० के भाई कहते थे कि यह माफ हो जाना चाहिए क्योंकि यह हमारे एजैण्डा में और हमारे मैनिफैस्टो में भी है, उस

[श्री मनी राम गोदारा]
वक्त इसके साथ ही साथ यह बात भी कहते थे कि म्यूनिसिपल कमेटीज की ऑक्टरॉय खत्म करने के बाद जो घाटा होगा वह हम सैंटर से ला कर देंगे।

डा० कमला वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं इनकी जानकारी के लिए यह बताना चाहूंगी कि हम इस बारे में अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। (विघ्न)

श्री मनी राम गोदारा : अध्यक्ष महोदय, अब ये अपनी कमिटमैंट मानें तथा 68 करोड़ का जो घाटा होगा वह सैंटरल गवर्नमैंट से ला कर दें।

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, 68 करोड़ में से 20 करोड़ रुपये तो प्रशासनिक खर्चा है। ये बार-बार इसी बात को उठा रहे हैं। 3108 कर्मचारी जो नगरपालिकाओं में कार्य कर रहे थे, वे अलग-अलग विभागों में समायोजित किये जाएंगे। वे जिस महकमे में जाएंगे वहां से तनख्वाह लेंगे। इसको भी ये रिपीट कर रहे हैं। (विघ्न)

श्री मनी राम गोदारा : अध्यक्ष महोदय, ये मेरी बात तो सुनें। चाहे एक भी पैसे के खर्च की बात हो, मैं बहन जी से नहीं बल्कि सरकार से पूछता हूं कि इस बारे में उनका क्या स्टैंड है ? बहन जी गवर्नमैंट थोड़े ही हैं। (विघ्न) मैं तो इनको गवर्नमैंट का स्पोर्टर मानता हूं। ये गवर्नमैंट नहीं हैं। (विघ्न) जहां तक मैनिफैस्टो की बात है, अगर सैंटर की तरफ से पैसा आता है तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। (विघ्न) (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न है—

कि हरियाणा नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री उपाध्यक्ष : अब सदन बिल पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा।

क्लाज-2

श्री बीरेन्द्र सिंह (उचाना कलां) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी सबमिशन है कि आप हमारी तरफ भी थोड़ा देख लिया करें। क्लाज-बाई-क्लाज तथा जब बिल पेश होता है या बिल इण्ट्रोडयूस होता है तो उस समय हमें बोलने का मौका होता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो चौटाला साहब से सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं जो यह चुंगी है इसका एक फायदा तो था कि माल का रिकार्ड रहता था। कोई भी सरकार हो या किसी की भी सरकार हो व्यापारी अपने माल का ऐसा कोई ऑफिशियल रिकार्ड नहीं रखता या सरकार को नहीं देता। चुंगी से उसका एक रिकार्ड तो था। मिसाल के तौर पर मैं यह बताना चाहता हूं कि एक ट्रक लोड में 20 हजार का सामान है तो उसकी चुंगी 400 रुपये थी और एक ट्रक में ऐसा सामान है जिसकी कीमत 20 लाख रुपये है उसकी चुंगी भी 400 रुपये ही थी। (विघ्न)

नगर एवं ग्रामीण आयोजना मंत्री (श्री धीरपाल सिंह) : चौधरी साहब, अब चुंगी तो समाप्त हो चुकी है।

श्री बीरेन्द्र सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इन्हें पहले बात को समझ लेना चाहिए फिर जवाब देना चाहिए। (विघ्न) लोकल सैल्फ गवर्नमैंट का जो कन्सैप्ट है उसमें यह फिट नहीं है यह काम तो किसी पंजाबी को दे देते तो ठीक रहता। (विघ्न) आप पंचायती राज के लिए फिट हो। लोकल सैल्फ गवर्नमैंट दूसरी चीज है। (विघ्न) मैं मुख्यमंत्री को केवल इतना कहना चाहता हूं कि आपके पास ऐसा रिकार्ड था। (विघ्न)

श्री मनी राम गोदारा : उपाध्यक्ष महोदय, सर छोटूराम वह आदमी था जिसने किसानों की भलाई के लिए बहुत कुछ किया था। क्या आप भी किसान की भलाई के लिए उन्हीं की तरह काम करेंगे या बातें ही बातें करेंगे ?

मुख्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : गोदारा साहब आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है और आप बैठे-बैठे ही बात कह सकते हैं। हम सभी दीन बन्धू स्वर्गीय सर छोटू राम जी का ऐतराम करते हैं लेकिन जो अपने आप को सर छोटूराम जी का दयोता कहता है वह भजन लाल की मिनिस्टरी में कोआप्रेशन मिनिस्टर था वह इसी सदन में बिल लेकर आया था कि किसानों पर चक्रवर्ति ब्याज लगाया जाए। वह ब्याज चौधरी देवी लाल की सरकार ने समाप्त कर दिया था। हम तो सर छोटू राम जी का ऐतराम करेंगे लेकिन जो अपने को उनका दयोता कहता है उनकी विरासत खाना चाहता है वह कोआप्रेटिव मिनिस्टर के तौर पर ऐसा बिल लाया था। चौधरी देवी लाल ने कहा था कि अगर मूल से दौगुना ब्याज होगा तो उसको वसूल नहीं करेंगे। (विघ्न)

श्री बीरेन्द्र सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अगर मैं इनकी बात को मान लूं और मैं इनको यह कहूं कि आप चौधरी देवी लाल जी के बेटे हैं और वह चक्रवर्ति ब्याज आज भी एग्जीस्ट करता हो तो क्या आप उसको समाप्त कर दोगे ? अगर आप में हिम्मत है तो आप हमें बताएं।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : हमारी सरकार चौधरी देवी लाल के नक्शे कदम पर चलती रही है और अन्त तक चलेगी। हम चौधरी देवी लाल की नीतियों को इम्पलीमैंट करेंगे। मैं इस बात के लिए वचनबद्ध हूं। लेकिन अपने आपको चौधरी छोटूराम का दयोता कहने वाला एक ऐसा बिल सदन में लेकर आए और उसको पास करवाए कि किसानों पर चक्रवर्ति ब्याज लगाया जाए। आज आप किसानों के साथ हमदर्दी की बात करते हैं। (विघ्न) मैं अब भी यही कहता हूं कि हम चौधरी देवी लाल जी नीतियों पर चलेंगे और उन्हें इम्पलीमैंट करेंगे। यह फैसला हमारी सरकार का है। हमारी सरकार ने चौधरी देवी लाल के जन्म दिवस पर जिन योजनाओं की घोषणा की थी वह हमने लागू की हैं और आप उसमें बाधक बनने का प्रयास कर रहे हैं। (विघ्न)

श्री बीरेन्द्र सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जो-जो घोषणाएं इन्होंने उनके जन्म दिन पर की थी उनमें से एक भी इन्होंने लागू नहीं की है। (विघ्न) कुछ समय पहले बोलते हुए इन्होंने कहा था कि पेंशन के बारे में जनवरी में फैसला करेंगे। आप हमें यह बताएं कि आपने जो-जो घोषणाएं की थीं वह कहां गई ?

श्री ओम प्रकाश चौटाला : नहीं-नहीं ऐसी बात नहीं हैं। बीरेन्द्र सिंह, आपकी सरकार के वक्त जिसमें आप भी मंत्री थे यह कंडीशन लगाई गई थी कि जिसके पास पांच एकड़ जमीन होगी उसको पेंशन नहीं मिलेगी। हमने आते ही वह जमीन वाली कंडीशन भी समाप्त कर दी है। किसी के पास कितनी भी जमीन हो हम उसको 100 रुपए से बढ़ाकर 200 रुपए पैंशन देने का काम करेंगे। आज आप किसानों की भलाई की बात करते हैं। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बीच में मत बोलें।

श्री बीरेन्द्र सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जो मुद्दे की बात कहना चाहता था कि इनके पास एक रिकार्ड था जिससे यह पता चलता था कि कितनी ऐसी सेल्ज टैक्स की आईटम्ज हैं जो रिकार्ड में म्यूनिसीपल कमेटी के थ्रू चुंगी द्वारा आती थीं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सेल्ज टैक्स आपका मेजर आईटम है। मैं तो यहां पर यह कह सकता हूं कि आपने जो सैल्ज टैक्स समाप्त किया है यह एक अच्छी

[श्री बीरेन्द्र सिंह]
शुरूआत की है। लेकिन आप यह मानकर चलें कि सेल्ज टैक्स से स्टेट को 1200 करोड़ रुपए का सबसे मेजर रैवेन्यू आता था वह बंद हो जाएगा। अब क्या आपके पास कोई ऐसा पैमाना होगा जिससे आपको यह पता चलेगा कि किस-किस आईटम पर व्यापारी ने सेल्ज टैक्स की अदायगी ठीक ढंग से की है ? पहले तो आपके पास एक रिकार्ड था। जैसे एक मिसाल दी है कि एक ट्रक में 10 लाख का माल है उस पर भी 400 रुपए चुंगी लगती है और जिस ट्रक में 20 हजार का माल है उस पर भी चार सौ रुपए चुंगी लगेगी। आपने हरियाणा में 250-300 करोड़ रुपये का बर्डन एक्सचेकर पर डाल दिया क्या वह ठीक है ? इस बारे में सम्पत सिंह जी ने कहा का हमने रिसोर्सिज को मोबलाइज करने के लिए एक कमेटी बनायी है लेकिन हमें तो आज तक पता नहीं लगा है कि उस कमेटी ने आपको अपनी कोई रिकमैंडेशन दी है या नहीं। एक बात आपने यह भी कही है कि हम अपने सभी पड़ौसी स्टेट्स के बराबर सेल्ज टैक्स करेंगे। लेकिन मैं तो यह कहता हूं कि अगर आपने इस मामले में कम्पीटीशन में आना है तो सबसे पहले इसको रिड्यूस करें ताकि दूसरी स्टेट्स भी आपको फॉलो करें। आज अगर हरियाणा में किसी को अपना ट्रक या फोर व्हीलर खरीदना होता है तो उसकी यही कोशिश होती है कि वह लुधियाना से जाकर खरीदें ताकि उसके सेल्ज टैक्स की बचत हो। इस तरह की परिस्थिति आज हमारे स्टेट की है। हमारे यहां पर आज एक भी नयी इंडस्ट्री नहीं आ रही है क्योंकि हमारे यहां स्टेट की सेल्ज टैक्स की पोलिसी ठीक नहीं है। पिछले 32 सालों से जब से हरियाणा बना है सैंकड़ों बार सैल्ज टैक्स ऐक्ट में अमैंडमैंट हुई है। चीफ मिनिस्टर चाहे कोई भी रहा हो उसने अपनी विल के हिसाब से, अपने निजी स्वार्थों के हिसाब से, लोगों को या उद्योगपतियों को फायदा देने के हिसाब से इस सैल्ज टैक्स को ऊपर नीचे किया है। इसलिए अगर यही हालात रहे तो इस तरह की व्यवस्था से आप स्टेट को फाईनेंशियल क्राइसिज में डाल देंगे। पहले आपको अपने रिसोर्सिज की तरफ देखना चाहिए और उसके बाद ही आपको जो आप अपने पोपुलर स्लोगन देते हो, उनके क्रियान्वयन की बात करनी चाहिए।

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह) : डिप्टी स्पीकर सर, अभी चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी सेल्ज टैक्स की बात कर रहे थे लेकिन मैं आपके द्वारा इनको याद दिलाना चाहता हूं कि स्टेट की एक कमेटी सेल्ज टैक्स के रैशनेलाइजेशन और सिम्पलीफिकेशन के लिए बनी हुई है। यह कमेटी केवल मात्र दूसरी उन कमेटीज की तरह बनी हुई नहीं है जो बनी तो थीं लेकिन उसके बाद वे रद्दी की टोकरी में चली गयीं। उन कमेटीज का यह भी पता ही नहीं होता था कि उनका चेयरमैन कौन होता था और उनके मैम्बर्ज कौन होते थे। अभी जैसे गोदारा साहब ने भी कहा था कि मैं तो फलां कमेटी का मैम्बर बना ही नहीं था। (विघ्न) तो इस कमेटी की वैसी बात नहीं है। सर, जहां तक सेल्ज टैक्स कमेटी की बात है पहले भी ऐसी कमेटी बनी हैं पहले भी मिनिस्ट्रियल कमेटी सब कमेटी बनायी जाती थीं और इनमें एक आधा अपनी पार्टी से संबंधित कोई व्यापारी भी रख लेते थे। लेकिन हमारी सरकार ने अब जो इस बारे में कमेटी बनायी है उसमें मैं यह नहीं कहता कि सभी पार्टियों से संबंधित लोग हैं लेकिन आलमोस्ट डिफरेंट पार्टियों से संबंधित लोग इसमें शामिल किये गये हैं। इसके अलावा जो नोन पोलिटिकल लोग हैं उन्हें भी इस कमेटी में शामिल किया गया है। बीरेन्द्र सिंह जी, आपकी अपनी पार्टी के व्यापार सैल के अध्यक्ष श्री बजरंग दास को भी इसमें शामिल किया गया है।

श्री बीरेन्द्र सिंह : वह हमारी पार्टी से संबंधित नहीं हैं।

प्रो० सम्पत सिंह : लेकिन चौधरी भजन लाल जी तो कहते हैं कि वे आपकी ही पार्टी से रिलेटिड हैं। ठीक है आपकी पार्टी से नहीं होंगे। हमें तो पता नहीं। इसका मतलब तो आपकी दो पार्टीयां हैं।

श्री बीरेन्द्र सिंह : ये व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं लेकिन व्यापार मंडल तो हमारी पार्टी नहीं है।

प्रो० सम्पत सिंह : अगर वह व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी हैं तो वह भी आपकी पार्टी से ही जुड़ा हुआ है वह भी कांग्रेस पार्टी से ही एफेलिएटिड है।

श्री बीरेन्द्र सिंह : वह तो बंसी लाल जी की पार्टी से संबंधित है।

प्रो० सम्पत सिंह : अगर वह बंसी लाल जी की पार्टी से जुड़ा हुआ होता तो फिर ये उन पर लाठी क्यों बरसाते। वह हमारे से तो संबंधित था नहीं। अगर ऐसा होता तो ये उस पर 307 का मुकदमा क्यों बनाते ? इसलिए संबंधित तो वह आपकी पार्टी से ही है। खैर कोई बात नहीं। सर, इसके अलावा इस कमेटी में और लोगों को भी शामिल किया गया है जैसे चैम्बर्ज ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज के जो चेयरमैन हैं उनको इस कमेटी का एक्स-ओफिशियो चेयरमैन बनाया गया है। अब तक इस कमेटी की चार मीटिंग्ज हो चुकी हैं। डिफरैंट आर्गेनाइजेशंज की इस कमेटी के पास रिप्रैजेंटेशन्ज आयी हुई है। आपकी तरह से नहीं कि आपकी तरफ से इस बारे में सिंगल लाइन की भी एडवाइज नहीं आयी हुई है। हम आपको इन्वाइट करते हैं कि आप इस बारे में खुद रिप्रैजेंटेशन दें। हम आपकी सलाह को भी मानेंगे। अब तक इस कमेटी ने अपनी तीन चार रिकमंडेशंज़ भी दे दी हैं जिनको मैं यहां पर बताना नहीं चाहता क्योंकि अभी तक उनको कैबिनेट ने ऐप्रूव नहीं किया है। हमें उम्मीद है कि आने वाले फोर्ट नाइट के अंदर कैबिनेट इन चारों रिकमंडेशंज़ को पास कर देगी। बीरेन्द्र सिंह जी, यह कमेटी यूं ही नहीं बनी है। आपने सेल्ज टैक्स के अंदर विरोधाभास की बात भी कही है लेकिन साथ ही साथ एक तरफ तो आपने यह भी कह दिया कि सेल्ज टैक्स को चैक करने के लिए उसकी चोरी को रोकने के लिए चुंगी ही एक रास्ता थी और दूसरी तरफ आपने वजन की बात भी कही कि चुंगी बैरियर पर वजन भी नापा जाता था लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले चुंगी के ऊपर कोई वैल्यू नहीं नापी जाती थी। पहले ऐसे होता था कि एक लोड ट्रक आया तो उस लोड के अंदर कितने लाख का माल था या कितने करोड़ रुपये का माल था वह यह नहीं देखा जाता था। उस समय यह देखा जाता था कि उसमें दो क्विंटल माल है या चार क्विंटल माल है और इसी हिसाब से पर्ची काटी जाती थी।

श्री बीरेन्द्र सिंह : वजन के साथ-साथ उस ट्रक में क्या चीज होती थी यह भी पर्ची में लिखा जाता था। आईटम लिखी जाती थी।

प्रो० सम्पत सिंह : आप मेरी बात सुनें। उसमें आईटम की वैल्यू नहीं लिखी जाती थी। वैल्यू के बिना उसकी कीमत का क्या रहेगा ? आप इसको कैसे चैक करेंगे। चैक करने की वजह से यह बढ़ा है। दूसरी बात मैं आपको यह बता दूं कि इन्फर्मेशन और टैक्नोलौजी को हम और ऐडवांस स्टेज पर ले जा रहे हैं कुछ दिन में आप देखेंगे कि ट्रेजरी, अकाउंट्स, ऐक्साइज, सेल्जटैक्स व मार्किट कमेटी की फीसों को हम कम्प्यूट्राइज करने जा रहे हैं जो कि फुलप्रूफ होगा और इसमें शत प्रतिशत रिकवरी होगी और चोरी की गुंजाइश नहीं होगी। हम रिसोर्सिज जुटाना जानते हैं। बीरेन्द्र जी, आप कहते हैं कि मैं तो हर जगह फिट हूं लेकिन अकेले फिट होने से कुछ नहीं होता। **We are doing something. We are on action, Birender Singh Ji, you will see the results in the coming days.**

श्री बीरेन्द्र सिंह : अकेले कम्प्यूटर से चोरी नहीं रुकती।

प्रो० सम्पत सिंह : हम ऐडवांस टैक्नोलौजी तैयार कर रहे हैं।

श्री बीरेन्द्र सिंह : रेवेन्यू का दूसरा सोर्स खान था आपने उसको ही लोगों के हाथों में थमा दिया।

प्रो० सम्पत सिंह : हमने किसी को कोई नयी लीज नहीं दी है। ये तो इनके करम होंगे। बीरेन्द्र सिंह जी या तो यह लीज आपने दी होंगी या इन लोगों ने दी होंगी।

श्री बीरेन्द्र सिंह : हरियाणा प्रदेश की खानें आपने लोगों को बेच दीं।

प्रो० सम्पत सिंह : यह सब आपके जिम्मे है। खान वाला मामला चाहे नामी हो या बेनामी, ये आपके जिम्मे है।

श्री बीरेन्द्र सिंह : हमने कभी ये काम नहीं किए।

श्री मनी राम गोदारा : आप एक बिल ले आओ, खानों को कैंसिल करने के बारे में तो हम सारे उसका समर्थन करेंगे।

श्रीमती करतार देवी : आप सभी पार्टियों के लिए ऐसा नहीं कह सकते हैं। आप हमारी पार्टी के लिए तो कम से कम ऐसा कह ही नहीं सकते हैं।

प्रो० सम्पत सिंह : बहिन जी, मैं अलमौस्ट कह रहा हूं मैंने नाम नहीं लिया। मैं नामी और बेनामी सभी लीजिज के लिए कह रहा हूं।

श्रीमती करतार देवी : आपने सबका नाम लिया है अध्यक्ष महोदय, नाम निकलवाइए।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, नाम किसी का इन्होंने नहीं लिया है। बहन जी को वहम हो गया है। बहन जी, आपकी पार्टी के एक सदस्य खान माफिया की वकालत करते हैं। पता नहीं फीस लेकर करते हैं या बिना फीस लिए ही करते हैं।

श्री खुर्शीद अहमद : मेरे जिले में खान की लीज के मामले में यदि कोई गड़बड़ होती तो मुझे यहां इस बारे में कहना ही पड़ेगा। गड़बड़ चाहे लीज़ देने वालों में हो या लेने वालों में हो इनमें आपस में लेनदेन होता है। मैं तो यह कहता हूं कि इन लीजों के छोटे-छोटे टुकड़े कराकर उन लोगों को दे दो जो उनमें काम कर रहे हैं। यह तो आप लोगों का करप्शन है। आपका हिस्सा होता है तब आप ऐसा काम करते हो। वरना बेदर्दी से कोई खजाने को नहीं लूटता। Those leases have either been given by you people or these people.

श्री ओम प्रकाश चौटाला : जब इन लोगों ने 1200 करोड़ रुपये का नुकसान कर दिया था तब आप लोगों को सांप सूंघ गया था। तुमने इस सरकार को लूटने का अवसर प्रदान किया था और मुझे तो यह अंदेशा है कि अब भी अवसरवादी ताकतें मिलकर कोई नया गुल खिलाने जा रही हैं।

प्रो० सम्पत सिंह : डिप्टी स्पीकर सर, अभी चौधरी बीरेन्द्र सिंह और बहन करतार देवी काफी उत्सुक हुए और खानों के जिक्र पर काफी विरोध हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, मैं चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी को एक बात बताना चाहता हूं कि जिस दिन कांग्रेस पार्टी ने चौधरी बंसी लाल जी की सरकार को 20 दिन का जीवनदान दिया था उन्हीं 20 दिनों में 43 लीज दिए गये थे इसलिए कांग्रेस पार्टी इसके लिए ज्यादा दोषी है। अगर ये उनको जीवनदान नहीं देते तो ये लीज नहीं दिए जाते। इस मामले में हो सकता है कि उसके बदले में इन्हें कोई कीमत मिल गई हो या कोई कीमत दी हो।

श्रीमती करतार देवी : उपाध्यक्ष महोदय, यह बात बिल्कुल निराधार है हमारी पार्टी ने कोई कीमत नहीं ली और न ही दी।

प्रो० सम्पत सिंह : आप यह बात रिकार्ड में देख सकते हैं कि उन 20 दिनों के अन्दर 43 लीज दी गई थीं। जिस समय आपकी पार्टी ने आई०सी०यू० में लटकी चौधरी बंसी लाल जी की सरकार को आक्सीजन का सिलैन्डर लगाया था उन दिनों ही ये 43 लीज दी गई थी।

श्रीमती करतार देवी : उपाध्यक्ष महोदय, हमने चौधरी बंसी लाल जी को समर्थन दिया था लेकिन हमने बंसी लाल जी को कहा था कि आपका बी०जे०पी० से ऐसा समझौता हुआ है कि जिसके लिए एक दिन आपको पछताना पड़ेगा। यह बात हमने बंसी लाल जी को समर्थन देने से पहले कही थी। उसके बाद चौधरी बंसी लाल जी ने इस बात के लिए हाउस में माफी भी मांगी थी। आज जो आदमी हमेशा मजदूरों और किसानों के हितों की वकालत करता है आज वह भी बी०जे०पी० के साथ समझौता करता है। * * * * * * * । फिर ये हरियाणा की जनता के बीच में जाकर राजनीति करने की बातें करते हैं इसके लिए इन्हें भी एक दिन पछताना पड़ेगा। हमने चौधरी बंसी लाल जी से कोई राजनीतिक समझौता नहीं किया। यह तो आपकी पार्टी ही है जो कभी केन्द्र को समर्थन देती है और कभी समर्थन वापिस लेती है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहन करतार देवी जी को बताना चाहता हूं कि हम जो भी निर्णय लेते हैं बहुत सोच-समझकर लेते हैं। तीसरी जमात में एक कहावत आती है कि पहले बात को तोलो फिर मुंह से बोलो। इण्डियन नैशनल लोकदल ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता निभाया है और आगे भी निभायेंगे। यह नहीं कि बहन जी की तरह हरियाणा विकास पार्टी से पहले तो समझौता कर लिया और बाद में अखबारों में ब्यान देते फिरें कि अगर हम हरियाणा विकास पार्टी के साथ समझौता नहीं करते तो चुनावों में हमारी ऐसी दुर्गति नहीं होती। इसके लिए आप लोगों को प्रायश्चित करना पड़ा। हम सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करते। हम जो भी निर्णय लेते हैं उसको सोच-समझकर लेते हैं और उस निर्णय को निभाया करते हैं। आपकी पार्टी की तरह अवसरवादी समझौता नहीं करते जो बाद में टूट जाये।

श्री रामबिलास शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी पर्सनल एक्सप्लेनेशन है। कांग्रेस पार्टी को कहने की आदत है सुनने की थोड़ी है।

श्रीमती करतार देवी : उपाध्यक्ष महोदय, लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के समझौते के बारे में हमारी पार्टी को पता है कि किस तरह से * * * * * * * ।

श्री उपाध्यक्ष : बहन करतार देवी जी जो भी कह रही हैं वह रिकार्ड न किया जाये।

श्री रामबिलास शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी पर्सनल एक्सप्लेनेशन है। (विघ्न)

श्री बीरेन्द्र सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आपने बोलने के लिए समय तो मुझे दिया था और बोल रामबिलास शर्मा जी रहे हैं। मेरी बात अभी खत्म कहां हुई है। मुझे तो बीच में ही आपने बैठा दिया था।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : उपाध्यक्ष महोदय, चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी तो उसी दिन बैठ गये थे जब इनकी पार्टी ने हरियाणा विकास पार्टी से हाथ मिलाया था।

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

वैयक्तिक स्पष्टीकरण

श्री राम बिलास शर्मा द्वारा

श्री रामबिलास शर्मा : डिप्टी स्पीकर सर, मेरी पर्सनल एक्सप्लेनेशन है ये चौ० बीरेन्द्र सिंह बार-बार बी०जे०पी० की चिन्ता कर रहे हैं। (शोर) बीरेन्द्र सिंह कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है। बहन करतार देवी कांग्रेस पार्टी की विधायक दल की नेता हैं। * * * * * * * । ये कहते हैं कि बी०जे०पी० की इंडियन नैशनल लोकदल से नहीं निभेगी। ये हमारा भविष्य बता रहे हैं। चौहान साहब भी कहते हैं कि आपका समझौता नहीं निभेगा। जगन नाथ भी यही बात दोहरा रहे हैं। यह सोचना इनका काम नहीं है कि हमारा इंडियन नैशनल लोकदल के साथ किया गया समझौता निभेगा या नहीं। हम हर काम मूहर्त निकलवाकर करते हैं। हमें पता रहता है कि हमें क्या करना है। * * * * * * * (शोर)

कैप्टन अजय सिंह यादव : * * * * * * *

(इस समय कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य नारे लगाते हुए वैल में आ गए)

श्री ओम प्रकाश चौटाला : ये जगन नाथ जहां भी जाता है, बखेड़े करवाता है।

श्री बीरेन्द्र सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, राम बिलास शर्मा जी ने सोनिया गांधी जी के बारे में जो बातें कहीं हैं उससे इस सदन की मर्यादायें भंग हुई हैं। इन्होंने इस बारे में जो कुछ भी कहा है वह सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप लोग अपनी-अपनी सीटों पर बैठें।

श्री बीरेन्द्र सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जो बात शर्मा जी ने कही है उसे वे वापिस लें। (शोर)

श्री उपाध्यक्ष : बीरेन्द्र सिंह जी पहले आपने ही जिस बिल पर चर्चा हो रही थी उससे हटकर बात की। अब तो शर्मा जी ने उसका जवाब दिया है। (शोर एवं व्यवधान) जब एक्शन होगा तो रिएक्शन भी जरूर होगा। आप सभी अपनी अपनी सीटों पर जाकर अपनी बात कहें।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के भाईयों से अनुरोध करूंगा कि ये अपनी-अपनी सीटों पर जाकर अपनी बात कहें। सदन की वैल में खड़े होकर न बोलें। अगर ये सदन की वैल में खड़े होकर नारे-बाजी करेंगे तो इससे सदन की मर्यादा भंग होगी।

श्री बीरेन्द्र सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, हमने आपकी बात मान ली है और हम सब अपनी-अपनी सीटों पर आ गये हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि राम बिलास शर्मा जी ने इस महान सदन को मिस-लीड किया है इसलिए ये अपने शब्द वापिस लें और माफी मांगें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज आप सब बैठिये। आपने सदन का क्या हाल कर दिया है। हरियाणा की जनता, जो कुछ भी आप यहां कर रहे हैं वह देख रही है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप बिल से संबंधित बात ही करें, दूसरे मुद्दे न उठायें। (शोर एवं व्यवधान) दोनों पक्षों की ओर से इस मामले संबंधित जो कुछ कहा है वह रिकार्ड से निकाल दिया जाये।

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

श्रीमती करतार देवी : उपाध्यक्ष महोदय, आपको अधिकार है कि आप मेरी बातें कार्यवाही से निकलवा सकते हैं। लेकिन मैंने तो हरियाणा की राजनीति के बारे में कहा था।

श्री उपाध्यक्ष : बहन जी अब यह मुद्दा खत्म हो गया है इसलिए आपने अगर बोलना है तो बिल के बारे में बोलिये।

श्रीमती करतार देवी : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तो सिर्फ हरियाणा की राजनीति के बारे में कहा था और ये सोनिया गांधी के बारे में बातें कहने लग गए। ये लोग हिन्दू संस्कृति की बात करते हैं जबकि भारत की एक महान महिला की इज्जत नहीं करते। (शोर एवं व्यवधान)

दि हरियाणा म्यूनिसिपल कारपोरेशन (सैकिण्ड अमैंडमैंट) बिल, 1999 (पुनरारम्भ)

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा बिल पर हो रही है, इसलिए बिल पर ही चर्चा चलनी चाहिए। बहन करतार देवी अब वे सारी बातें खत्म हो चुकी हैं और आप क्यों उसी बात को लम्बा खींच रही हैं। कृपया आप बैठ जाएं। (शोर)

श्रीमती करतार देवी : उपाध्यक्ष महोदय, * * * * * * * (शोर)

श्री उपाध्यक्ष : बहन जी जो कुछ भी कह रही हैं उसे रिकार्ड न किया जाए।

श्रीमती करतार देवी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोई गलत बात नहीं कह रही हूं। (शोर)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न है—

कि क्लाज 2 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज—3

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न है—

कि क्लाज 3 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 4

वाक-आउट

श्री बीरेन्द्र सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस क्लाज के बारे में कुछ कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप इस बिल पर पहले ही काफी बोल चुके हैं इसलिए आप बैठ जाएं। (शोर)

श्री बीरेन्द्र सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप मुझे बोलने का मौका नहीं देते तो मैं एज ए प्रोटैस्ट सदन से वाक-आऊट करता हूं।

(इस समय इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य श्री बीरेन्द्र सिंह सदन से वाक-आउट कर गए।)

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

दि हरियाणा म्यूनिसिपल कारपोरेशन (सैकिण्ड अमैंडमैंट) बिल, 1999 (पुनरारम्भ)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न है—

कि क्लाज 4 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज—5

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न है—

कि क्लाज 5 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज—6

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न है—

कि क्लाज 6 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज—1

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न है—

कि क्लाज 1 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इनैक्टिंग फार्मूला

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न है—

कि इनैक्टिंग फार्मूला बिल का इनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न है—

कि टाईटल बिल का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री उपाध्यक्ष : अब मंत्री जी प्रस्ताव करेंगे कि बिल पास किया जाए।

नगर एवं ग्रामीण आयोजना मंत्री (श्री धीरपाल सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं—

कि बिल पास किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ—

कि बिल पास किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न है—

कि बिल पास किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

(4) दि हरियाणा लोकायुक्त बिल, 1999

श्री उपाध्यक्ष : अब मुख्य मंत्री हरियाणा लोकायुक्त विधेयक, 1999 प्रस्तुत करेंगे और उस पर विचार करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा लोकायुक्त विधेयक, 1999 प्रस्तुत करता हूं। मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं—

कि हरियाणा लोकायुक्त विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ—

कि हरियाणा लोकायुक्त विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह) : डिप्टी स्पीकर सर, मैं इस बिल पर कुछ कहना चाहता हूं। इस बारे में मैं जो कहने जा रहा हूं उसके मुताबिक इस बिल पर डिस्कशन लाई नहीं करती। मैं कहना चाहता हूं कि The Haryana Lokayukta Act, 1997 was repealed vide Haryana Ordinace No. 4 of 1999 (Haryana Lokayukta (Repeal) Ordinance, 1999), issued on 18-09-1999. The said Ordinance is under challenge, **(At this stage Hon'ble Mr. Speaker occupied the Chair)** Speaker Sir, I would like to draw your attention that the said Ordinance is under challenge before the Hon'ble Supreme Court of India in two writ petitions, one being Writ Petition (Civil) No. 438 of 1999, titled as "The District Bar Association, Faridabad Vs. State of Haryana and the other being Writ Petition (Civil) No. 442 of 1999, titled as Justice I.P. Vasishth (Retd.) Vs. State of Haryana. Both these writ petitions came up for hearing on 15-10-1999 in the Hon'ble Supreme Court of India before Hon'ble Mr. Justice S.P. Bharucha and Hon'ble Mr. Justice Syed Shah Mohammed Quadri and the following order was passed :

"W.P. 438/99

> Learned Attorney General states that in the forthcoming session of the Legislative Assembly of the State an Appropriation Bill to reintroduce the Lokayukta system is being introduced. Adjourned for six weeks.

W.P. 442/99

> List after six weeks alongwith WP(C) No. 438/99."

[प्रो० सम्पत सिंह]

आनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना करते हुए हम यह बिल लेकर आए हैं। Since the matter is pending/sub-judice before the Hon'ble Supreme Court of India, therefore, no discussion can be held regarding the Ordinance dated 18-9-1999 repealing the Haryana Lokayukta Act, 1997. गोदारा साहब, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक और उनके टाईम फ्रेम के मुताबिक यह बिल हम फर्स्ट सैशन के अन्दर लेकर आए हैं और उन्हीं के मुताबिक यह सैशन बुलाया गया है। कोई माननीय सदस्य इस सैशन को शीतकालीन सैशन कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है और कोई यह कह रहा है कि यह चुनाव के लिए सैशन बुलाया गया है। आपके सामने फैक्चुअल पोजीशन आ गई है। विद इन दीज वीक्स हम आर्डीनैंस लेकर आए और जब आर्डीनैंस आ जाता है तो स्वाभाविक है कि उसको बिल के रूप में लाना पड़ेगा।

श्री मनी राम गोदारा (भट्टू कलां) : यह भी स्वाभाविक है कि हाउस के अन्दर जो चीज आती है उस पर हाउस के हर मैम्बर का राइट है कि वे उस बारे में अपने विचार रखें।

प्रो० सम्पत सिंह : मैंने तो आपके सामने फैक्चुअल पोजीशन बता दी है। आप इस बारे में अपने विचार रखें या न रखें यह आपकी मर्जी है।

श्री मनी राम गोदारा : हाउस के अन्दर जो चीज आ जाती है उस पर डिस्कशन होगी। ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है कि हाउस के अन्दर कोई चीज आए और उस पर डिस्कशन न की जाए। यदि आपके पास ऐसा कोई क्राइटेरिया है तो आप बता दें कि चर्चा नहीं होनी चाहिए।

प्रो० सम्पत सिंह : आपकी पार्टी की सरकार के समय में इस बिल पर कोई बहस ही नहीं हुई थी। उस समय अपोजिशन लीडर को हाउस से सस्पैंड कर दिया गया था। जिसके विरोध में विपक्ष के सभी दूसरे मैम्बर्ज सदन से एज ऐ प्रोटैस्ट-वाक-आउट कर गए थे।

श्री मनी राम गोदारा : आप भी उस समय सदन से वाक-आउट करके चले गए थे।

प्रो० सम्पत सिंह : हम वाक-आउट नहीं करके गए थे। हमें हाउस से सस्पैंड किया गया था और अपोजिशन लीडर को सस्पैंड किया गया था।

श्री मनी राम गोदारा : जिस किसी ने ऐसा किया वह भुगतेगा। सवाल इस चीज का है कि आप यह बिल हाउस में लाए हैं और इस चीज के बावजूद लाए हैं चूंकि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के अन्दर हमारी सरकार के समय के लोकायुक्त ने आपके फैसले के खिलाफ अपील की हुई है जिनको आप हटाया हुआ समझते हैं। हम उनको अब भी लोकायुक्त समझते हैं। आपने जो आर्डीनैंस जारी किया या जो बिल हाउस में लाए हैं उस पर विचार करने के लिए हमारे माननीय न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के सबसे ऊंचे न्यायाधीश होते हैं, उन्होंने असैप्ट किया है। आप कहते हैं कि आर्डीनैंस आने के बाद बिल जरूर हाउस में लाना पड़ेगा। पहले यह भी होता रहा है कि आर्डीनैंस लैप्स होते रहे हैं।

Prof. Sampat Singh : The learned Attorney General states that in the

13.00 बजे forthcoming Session of the Legislative Assembly of the State, an appropriate Bill to reintroduce the Lokayukta system is being introduced. उन्होंने यह कहा है कि जो फर्स्ट सैशन आये उसमें यह बिल लेकर आयें इसलिए हम यह बिल लेकर आये हैं।

श्री मनी राम गोदारा : अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह जानना चाहता हूं कि हाऊस के अन्दर जो बिल आता है उस पर चर्चा होगी या नहीं। आप चाहे बिल एटार्नी जनरल के कहने पर लायें या किसी के कहने पर लायें लेकिन जो बिल यहां पर आयेगा उस पर चर्चा तो होगी ही। कोई भी अथोरिटी इस चीज को नहीं रोक सकती, सिवाय आपके। **You are the authority because** हाउस ने आपको अख्तयार दिया है। **You are the master to decide** what to do or to see what is not to be done. अब इस मामले के अन्दर चाहे आप कुछ भी फैसला लें वह आपको अधिकार है लेकिन आपका काम तो ये कर रहे हैं जो कि इनको नहीं करना चाहिए था। यह काम तो आपका है कि आप बोलने का मौका दें या नहीं लेकिन ये कैसे रोक सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : गोदारा साहब आपको और इनको कहने का पूरा अधिकार है लेकिन फैसला करना तो मेरा अधिकार है।

श्री मनी राम गोदारा : ये लोग रूल्ज के मुताबिक कहें तो ठीक है बगैर रूल्ज के बात करें, वह ठीक नहीं है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : गोदारा साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या पहले रूल्ज के मुताबिक काम होता था। आपके पीछे चौहान साहब बैठे हैं, इनसे पूछो ? (शोर)

प्रो० छत्तर सिंह चौहान : जिस आदमी को बोलने के लिए 108 मिनट तक का समय दिया गया हो और फिर वह कहे कि बोलने का समय नहीं दिया गया, यह अच्छी बात नहीं है।

श्री मनी राम गोदारा : अध्यक्ष महोदय, इस साईड में जितने भी मैम्बर्ज बैठे हुए हैं उनमें मैं सबसे पढ़ा लिखा सम्पत सिंह जी को मानता था। ये भी कुछ ठीक ढंग से बात न करें तो अच्छा नहीं लगता। हाउस की कार्यवाही रूल्ज के हिसाब से चले। (विघ्न) हरेक मैम्बर को बोलने का राईट है। सी०एम० साहब कह रहे थे कि जब पिछली सरकार के वक्त यह लोकपाल बिल पेश हुआ था तो उस वक्त हमें बोलने नहीं दिया गया था और हमारे को यहां से निकाल दिया था। (विघ्न) अब ये उस बात को दिमाग में रखकर कोई बात करें तो यह इनके लिए अच्छा नहीं लगता। मेरा कहना यह है कि लोकायुक्त का बिल पहले ही पास हो चुका है। अब नया बिल लाने की आवश्यकता ही नहीं थी। हां इतना जरूर हो सकता था कि जो बिल पहले ही पास हुआ है उसकी किसी एक-आध क्लाज में कोई अमैंडमैंट जरूर की जा सकती थी। वह तो एप्रोप्रियेट की जा सकती है और इसमें कुछ खास बात नहीं है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं रखी गई जो डैमोक्रेसी की बात कहने वाले के अनुसार हो। उनके दिमाग के अन्दर इस लोकायुक्त बिल के मामले में डैमोक्रेसी की बात न करके एक ऐसी भावना पैदा की गई क्योंकि हमें नहीं पूछा गया इसलिए हम नया बिल लाएंगे, केवल आप इस भावना से बिल लाए यह अच्छी बात नहीं है। इसके अतिरिक्त और कोई बात नहीं थी। वह तो एक अमैंडमैंट भी हो सकती थी, सारा बिल और ऑर्डिनेंस लाने की जरूरत नहीं थी। अगर आप कुछ सुधार चाहते थे तो उसके बारे में अमैंडमैंट सरकार ला सकती थी। इस बिल में भी वही सारी बातें हैं, इसमें नया क्या है। जो ये कहते थे कि आपकी गवर्नमैंट यानि कि पिछली गवर्नमैंट, डिक्टेटरशिप की गवर्नमैंट थी और सारे गलत काम करने वाली थी। वह सारे गलत काम की जिम्मेदार थी। (विघ्न) ये तो कुछ नहीं बोलते क्योंकि यह इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि ये यहीं पर थे। (विघ्न) बहन जी कहने लगीं शराब के मामले के अन्दर इनका जिम्मा लगा था इसलिए बोले। अध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात याद आ गई। ख्रुश्चोव अपनी पार्टी में बोल रहा था, उसने कहा कि स्टालिन ने यह किया और स्टालिन ने वह किया, स्टालिन ने इतने आदमी मरवाए, स्टालिन ने

[श्री मनी राम गोदारा]

इतने वर्करज़ को मरवा दिया उन वर्करों की मीटिंग में पीछे से एक आवाज़ आई, आप उस वक्त कहां थे। तो ख्रुश्चेव कहता है कि कौन बोलता है, वह बोलने वाला चुप हो गया। उसने कहा बोलने वाली बात थी यह नहीं बोले इसलिए मैं भी नहीं बोला। ये भी कह सकते हैं कि यह इसलिए नहीं हुआ कि आप नहीं बोले तो हम भी नहीं बोले। इस मामले के अन्दर एक बड़ी सीधी बात है। प्रो० साहब तथा सी०एम० साहब को बताना चाहता हूं कि यह सरकार की बात नहीं थी यह बिल ऑलरेडी एक ऐसा कम्पलीट बिल था जिसमें बहुत ज्यादा अमैंडमैंट की जरूरत नहीं थी। अगर इनको कुछ जरूरत थी या कोई दोष दिखाई दिया था तो जो आपने रखा है उसे देखते हुए मुझे बड़ा अचम्भा हुआ है। इनकी उस सोच पर जो ये एक्सप्लेन कर रहे थे मुझे बड़ा अचम्भा होता है। हमारी सरकार की सोच, हमारी सारी वर्किंग, हमारा सारा धन्धा प्रजातन्त्र के रूप में था। जिस मकसद से लोकायुक्त बना उसका मुद्दा यह था कि लोकायुक्त के मामले के अन्दर उसकी नियुक्ति, उसकी फंक्शनिंग, उसके सामने शिकायत और उसका फैसला किसी से भी इन्फ्लूएंसड न हो। लोकायुक्त को चाहे किसी भी स्टेट या सैंटर में लगाने की बात करते हैं उसका मेन मुद्दा यही है कि उसकी एप्वायंटमैंट, उसकी फंक्शनिंग, उसके डिसिज़न्ज किसी तरह से भी किसी भी स्टेज पर किसी भी आदमी से इन्फ्लुएंसड न हो। यही मुद्दा रख कर लोकायुक्त बनाया गया था। अगर यही मुद्दे न हों फिर तो वह सरकारी ऑफिसर ही रह जाएगा जैसे कि आपके सैक्रेट्री यहां पर बैठे हुए हैं वैसा ही लोकायुक्त हो जाएगा। उसने गवर्नमैंट का ही हुक्म मानना है, गवर्नमैंट के फैसले को ही मानना है, जो गवर्नमैंट चाहे वही करना है, जैसा सरकार ने चाहा फाईल बना दी। अगर यही सब कुछ करना है तो फिर लोकायुक्त की जरूरत ही क्या है। अध्यक्ष महोदय, लोकायुक्त की जरूरत इसलिए है कि उस पर कोई भी असर न डाले और इन सारी चीजों को सोच कर ही ऐसा बिल लाया गया था। अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि जब यह बिल सदन के सामने लाया गया था इस मामले के अन्दर ये लोग वाक-आउट कर गए या इनको निकाला गया मैंने यह बात भी मान ली लेकिन अगर उस बिल के अन्दर कोई कमी थी तो उसे अमैंडमैंट के जरिए ठीक कर सकते थे। नया बिल लाना वाजिब नहीं था। आप इस बिल की क्लाज 2 की सब क्लाज-डी देखें। In clause (d) it is mentioned - "competent authority in relation to the complaint" यानी जिस आदमी के खिलाफ शिकायत की जाएगी उसकी शिकायत पर कार्यवाही कैसे होगी। पुराने बिल के अन्दर यह है कि सूओमोटो जो भी उस बिल के अन्दर मैनशंड जिस किसी आदमी के खिलाफ शिकायत होगी वह लोकायुक्त के पास जाएगी और लोकायुक्त उस पर कार्यवाही करेगा। इसलिए आप यह बताएं कि पुराना लोकपाल बिल ज्यादा डैमोक्रेटिक है या आप जो लाए हैं वह ज्यादा डैमोक्रेटिक है। इस बिल के मुताबिक जिस किसी पावरफुल रहे आदमी के खिलाफ कम्पलेंट होगी उस पर कार्यवाही करने के लिए जो कम्पीटैंट अथोरिटी होगी उसके बारे में बताना चाहूंगा। अगर चीफ मिनिस्टर की कम्पलेंट होगी तो इसके लिए परमिशन गवर्नर से लेनी होगी और यह गवर्नर की मर्जी पर है कि वह उसको स्वीकार करे या न करे। इसके लिए गवर्नर के ऊपर कोई पाबन्दी नहीं है। चाहे उस कम्पलेंट के साथ कितने ही बड़े सबूत हो, चाहे वह कितनी ही सही कम्पलेंट हो। यह गवर्नर की डिस्क्रीशन पर है कि वह उस कम्पलेंट को चीफ मिनिस्टर के खिलाफ स्वीकार करता है या नहीं। आप यह बताएं कि एक सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस, हाई कोर्ट का जस्टिस या जस्टिस लोकायुक्त के रूप में डायरैक्ट सूओ मोटो कम्पलेंट लेता है और उस पर कार्यवाही करता है तो यह ज्यादा वाजिब है या discretion of the Governor. Do you think Governor is more important and more judicious than any Justice of the High Court or Supreme Court of India. He may be a Governor. हमारे कांस्टीच्यूशन के मुताबिक हम इसको इतना इम्पार्शियल नहीं

मान सकते। मुझे अफसोस है और मैं सी०एम० साहब से प्रार्थना करूंगा कि ऐसा करना अच्छा नहीं दिखाई देता है। आप लोकायुक्त को इतना बड़ा फैसला करने के लिए, हर तरह का फैसला करने के लिए नियुक्त करते हैं और इसलिए करते हैं कि वह करप्शन के मामले में इम्पार्शियल होकर चीफ मिनिस्टर को, मिनिस्टर को और किसी को भी बुला सकता है तो यह ज्यादा एप्रोप्रिएट होता। उसमें ज्यादा हमारा वकार बनता। इसलिए यह कहना कि चीफ मिनिस्टर के खिलाफ शिकायत आएगी तो गवर्नर उसको अपनी डिस्क्रीशन पर स्वीकार करेगा। यह ठीक नहीं है। (विघ्न) इसमें लाजमी नहीं है कि शिकायत के साथ सबूत भी हों। आप शिकायत के साथ जो भी सबूत दें उसमें किसी किस्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए लेकिन अगर कोई चीफ मिनिस्टर के खिलाफ सबूत के साथ शिकायत करता है तो उसमें गवर्नर की मर्जी है कि वह उसको स्वीकार करे या न करे और आल अदर्ज पब्लिक सर्वेन्ट्स के खिलाफ कोई शिकायत होगी तो उसके लिए चीफ मिनिस्टर से इजाजत लेनी पड़ेगी। मुख्य मंत्री जी आप तो बहुत इन्साफ पसन्द आदमी हैं। आप तो कानून से बाहर जा नहीं सकते। क्या पता आपका भी हमारे जैसा ही वक्त आ जाए। फिर चीफ मिनिस्टर क्या करेगा। यह जो आल अदर्ज सर्वेन्टस के खिलाफ शिकायत पर कार्यवाही करने के लिए मांग को स्वीकार करने की चीफ मिनिस्टर की अथौरिटी है मैं इसको एप्रोप्रिएट नहीं मानता। मैं समझता हूं कि इसका कोई जवाब भी आपके पास नहीं है। इसका यह अलटरनेटिव नहीं है जो आपने किया है। इसलिए इसमें एक अच्छा वकार नहीं बनता और एक अच्छा वकार न बनने से इस लोकायुक्त को लगाने से क्या होगा कि उसकी कोई अहमियत नहीं होगी। पुराने लोकायुक्त बिल में सैक्शन 3(1) में अप्वायमैन्ट ऑफ लोकायुक्त में यह था कि जो लोकायुक्त होगा वह

> "3(1) For the purpose of conducting investigations in accordance with the provisions of this Act, the Governor shall, by warrant under his hand and seal, appoint a person to be known as the Lokpal."

आगे प्रोवाईजो 1 में लिखा है—

> "Provided that the Lokpal shall be appointed on the advice of the Chief Minister who shall consult the Speaker of the Haryana Legislative Assembly, and the Chief Justice of India in case of appointment of a person who is or has been a Judge of the Supreme Court or Chief Justice of High Court, and Chief Justice of High Court in case of appointment of a person who is or has been a Judge of a High Court."

अगर उसकी अप्वायंटमैन्ट भी करेंगे तो पुराने लोकायुक्त ऐक्ट में यह है कि स्पीकर, लीडर ऑफ दी अपोजीशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह लेकर चीफ मिनिस्टर उसको अप्वायंट करने के लिए नाम भेजेगा। इस पद के लिए वह सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को नियुक्त करने के लिए नाम भेज सकता है। that was much more appropriate not even more appropriate but that was right thing. इस मामले में लोकायुक्त की एक सही रूप में अप्वायटमैन्ट थी लेकिन अब इसके बजाए इन्होंने यह किया है—

> "Provided further that the result of consultation shall have persuasive value but not binding on the Chief Minister."

हो सकता है कि मैं यह पुट करते वक्त आपको सही तरह से समझा न पाऊं लेकिन पुराने ऐक्ट में यह है कि चीफ मिनिस्टर, स्पीकर, लीडर ऑफ दी अपोजीशन एवं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह लेकर लोकायुक्त की अप्वायंटमैन्ट के लिए नाम भेजेगा। लेकिन अब आप जो बिल ला रहे हैं उसके

[श्री मनी राम गोदारा]
प्रोवाइजो 2 के मुताबिक चीफ मिनिस्टर उनकी कंसलटेशन से ऐग्री करें या न करें उस पर कोई बाइडिंग नहीं है। यदि चीफ मीनिस्टर ऐग्री नहीं करता तो चाहे स्पीकर, लीडर ऑफ दी अपोजीशन या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यानी ये तीनों भारत के किसी भी व्यक्ति को इस पद पर लगाने के लिए अपनी सलाह दें उसकी कोई वैल्यू नहीं है। यदि चीफ मीनिस्टर ऐग्री नहीं करता तो उसकी अप्वायमैंट एज ए लोकायुक्त नहीं हो सकती। मेरे कहने का मतलब यह है कि ठीक है कोई किसी आदमी को पसंद करता है या नहीं करता है लेकिन सिस्टम को तो कम से कम आप अपने हाथ में लेने की कोशिश न करो। हमें तो इस बिल में यही दिखाई दे रहा है कि आप सिस्टम को ही अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं। आप कहते हैं कि हम यह बिल फलां तारीख से लाना चाहते थे। यह आपकी मर्जी है कि आप इसको किस तारीख से लाना चाहते हैं। इसमें हमें कोई ऐतराज भी नहीं है। हमारी तरफ से तो चाहे आप इसको 1947 से लागू कर दो और यदि 1947 से भी किसी को शिकायत है तो चाहें आप इसको परमानैन्ट कर दो। हमारे हिसाब से तो चाहें आप जिस दिन से कोई आदमी पैदा हुआ है और यदि उसके खिलाफ तब से कोई शिकायत हुई है तो उस दिन से बेशक लागू कर दो। हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन इस बिल में जो दो बातें आपने रखी हैं उन दो बातों को अगर कोई भी इस सिविलाइज्ड संसार में पढ़ेगा, देखेगा या सुनेगा तो यह महसूस करेगा कि यह एक सही रूप में जस्टिस देने वाली सोच नहीं है। चीफ मिनिस्टर के खिलाफ इंक्वायरी की बात होगी तो उसमें गवर्नर से इजाजत लेनी पड़ेगी व उसके लिए गवर्नर की डिस्क्रीशन है और अगर किसी मिनिस्टर या किसी आफीसर के खिलाफ कोई इंक्वायरी जाएगी तो चीफ मिनिस्टर की परमीशन होगी, यह ठीक नहीं है। फिर तो आपका विजिलैंस डिपार्टमैंट है उसकी क्या जरूरत है ? इसमें आगे जाकर बाइंडिंग है कि चीफ मिनिस्टर अगर किसी मिनिस्टर या ऑफीसर के खिलाफ इंक्वायरी के लिए ऐग्री करेगा तो उस पर कार्यवाही होगी, अगर चीफ मिनिस्टर ऐग्री नहीं करेगा तो नहीं होगी, चाहे उस शिकायत को गवर्नर, लीडर आफ दि अपोजीशन, स्पीकर या कोई भी उसको रिकमैंड करे लेकिन बाइंडिंग है कि चीफ मिनिस्टर उस पर कार्यवाही करने के लिए ऐग्री करें इसलिए मेरा निवेदन है कि आप ये दोनों क्लॉजिज वापिस लें। मैं उम्मीद करता हूं कि इस लोकायुक्त बिल के मामले के अंदर आप यह क्लीयर करें कि आपकी मंशा क्या है ? यही कहकर मैं अपना स्थान लेता हूं। धन्यवाद।

श्री खुर्शीद अहमद (नूंह) : स्पीकर साहब, पहले लोकायुक्त आर्डीनेंस पेश किया गया। उसके बाद बिल पेश किया गया है। इसके स्टेटमैंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंज में कोई चीज ऐसी नहीं है कि इन्होंने यह नई चीज की है उसमें जो कमियां थीं उनको हम दूर करेंगे। इसके अंदर यह कहीं प्वाइंट आउट नहीं किया गया कि इसमें कमियां कौन सी थीं ? यह बिल्कुल ही कन्फयुजिंग स्टेटमैंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंज है। जैसा मेरे साथी श्री मनी राम गोदारा प्वाइंट आउट कर रहे थे। पहले वाले लोकपाल बिल की क्लॉज-2 की सब क्लॉज-बी में यह था—

> "Competent authority" in relation to a complaint against a public servant was Governor.

गवर्नर लोकायुक्त की जूरीसडिक्शन में आता था या नहीं आता था, यह उसमें डिफाइन नहीं था। अब इसमें यह किया गया है कि अगर चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कोई शिकायत होगी तो वह गवर्नर को जाएगी और गवर्नर उस पर कार्यवाही करने के लिए लोकायुक्त को भेजें या नहीं यह गवर्नर की मर्जी है। बजाय इसके कि इसमें कुछ इम्प्रूवमैंट होती, इसको नीचे लाने की बात की गई है। एक आदमी जिसके

लिए Lokpal is competent to enquire into the deeds or misdeeds, whatever they may be. उसी आदमी के बारे में कह दिया गया कि उसके बारे में की गई शिकायत को गवर्नर महोदय देखेंगे। बाकी सारे जो दूसरे लोग हैं वे भी उसी फुटिंग में होंगे, उसी प्रोसीजर को फेस करेंगे और वही लोकायुक्त उनका फैसला करेगा। अब जो उसी लोकायुक्त के पास खुद अंडर स्क्रूटिनी है वही दूसरे सर्वेंटस के बारे में की गई शिकायत पर कार्यवाही करने के बारे में केस भेजेगा या नहीं भेजेगा यह उसकी मर्जी है तो इसमें इम्प्रूवमैंट के बजाय यह एक रिट्रोग्रेड स्टैप है। जैसा गोदारा साहब ने कहा कि गवर्नर उसके तहत नहीं है। चीफ मिनिस्टर तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, महीनों में बदलते हैं, सालों में बदलते हैं, पांच साल से फालतू तो कोई मुश्किल ही चलता है अब खुद वह जब उसके सामने ऐज ए आंसरिंग पार्टी खड़ा है फिर तो लोकायुक्त लाने की जिम्मेदारी ठीक ढंग से नहीं निभा पाएगा। आज भी आप किसी भी आदमी के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ क्रप्शन एक्ट के तहत केस दर्ज कर दो और कंपीटेंट एथोरिटी से उसकी इंक्वायरी के लिए मंजूरी ले लें। वही प्रोसीजर आपने इस लोकायुक्त बिल में एडाप्ट किया है। जो पॉवर मैजिस्ट्रेट और सैशन जज की हैं उसी लेवल पर आपने लोकायुक्त को ला दिया है। It is totally retrograde step. It is a malafide step. दूसरा प्रोसीजर लोकायुक्त की नियुक्ति के बारे में है। लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए चीफ मिनिस्टर द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से कंसल्ट किया जाये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से तो लोकायुक्त को नियुक्त करने का कोई मतलब ही नहीं रह जायेगा। कंसल्ट करने के मामले के बारे स्पष्टीकरण दिया जाये। These powers are only persuasive. It means that the Chief Justice of India and Chief Justice of High Court is expected to persuade the Chief Minister. ऐसी बात लीडर ऑफ ओपोजीशन के और स्पीकर के बारे में हो सकती है because they are Hon'ble members of this House. लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इण्डिया और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को मैजिस्ट्रेट और सैशन जज के लैवल पर लाना ठीक बात नहीं होगी। It comes into futility. This Act has been made more defective and totally ineffective for conducting an enquiry. वैसे इस सरकार ने इस लोकायुक्त बिल से कोई लेना-देना नहीं है, कोई पूछताछ नहीं की जायेगी। इसलिए यह कोई मानने वाली बात नहीं है। सरकार को चाहिये तो यह था कि जो 1997 में लोकायुक्त बिल पास हुआ था उसके डिफैक्ट्स को रिमूव करती। It is a contradictory affair. अगर ऐसा ही करना था फिर लोकायुक्त बिल को लाने की ही जरूरत नहीं थी। फिर तो बगैर लोकायुक्त के ही काम चल सकता था। आपने तो लोकायुक्त को भी मैजिस्ट्रेट और सैशन जज के लैवल पर लाकर रख दिया है। आपने लोकायुक्त पर दो कम्पीटेंट अथोरिटीज बनाई हैं। चीफ मिनिस्टर के मामले में तो कंपीटेंट अथोरिटी गवर्नर महोदय को बनाया है और चीफ मिनिस्टर के अलावा कोई भी पब्लिक मैन है उसके केस में कंपीटेंट एथोरिटी आपने चीफ मिनिस्टर को बनाया है। इसका मतलब तो यह हुआ कि चीफ मिनिस्टर जिसके खिलाफ एक्शन नहीं लेना चाहेगा उसके केस को दबाकर बैठ जायेगा। मेरा तो अनुरोध है कि इस क्लाज को लोकायुक्त बिल से रिमूव कर दिया जाये। गवर्नर महोदय को कंपीटेंट एथोरिटी बनाना ठीक बात है क्योंकि स्टेट का हैड होने के नाते गवर्नर महोदय राजनीति से ऊपर होता है। Every Chief Minister is a political man. उसका हर फैसला कितना भी पाक हो लेकिन वह पोलिटिकल कंसीड्रेशन के इंफ्लूएंस से ही होता है। अगर इस तरफ इंसाफ नहीं होगा तो मामला बिल्कुल गड़बड़ हो जायेगा। आज हर एक संस्था की और हर व्यक्ति की अपनी ग्रीवेन्सिज होती हैं अगर आप इस तरह की पाबन्दी लगा देंगे तो यह बिल्कुल गलत बात हो जायेगी। इसलिए मैं समझता हूं कि इस लोकायुक्त बिल को सरकार द्वारा विदड्रा कर लेना चाहिए। They could bring new Act

[श्री खुर्शीद अहमद]
removing the competent authority altogether from the Act itself. इन्हीं चन्द लफ्ज़ों के साथ इस बात को कहते हुए मैं इस लोकायुक्त बिल का विरोध करता हूं और अपना स्थान लेता हूं। धन्यवाद।

प्रो० छत्तर सिंह चौहान (मुंढाल खुर्द) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने इस लोकायुक्त बिल के स्टेटमैंट ऑफ औबजैक्टस एण्ड रीजन्ज में लिखा है :—

"The necessity of this institution of Lokayukta was realised by the State of Haryana and the Haryana Lokayukta Act, 1997 was passed. However, this act was found wanting to fulfil the purpose for which it was enacted." जैसा कि माननीय चौधरी खुर्शीद अहमद जी ने और श्री मनी राम गोदारा साहब ने बात की, अच्छा होता माननीय मुख्य मंत्री जी जो 1997 में लोकायुक्त बिल पास हुआ था उसकी खामियां इस सदन को बताते। वैसे कोई भी एक्ट हो उसमें अमैंडमैंट की जा सकती है। लेकिन इस प्रकार से रिपील करना और एक डिफैक्टिव और इन-एफैक्टिव बिल को लाना ठीक बात नहीं है। यह इस बात का परिचायक है कि इस गवर्नमैंट की मैलाफाईडी इन्टैंशन थी। यह गवर्नमैंट प्रैजुडिशड थी, यह सरकार नहीं चाहती थी कि इस प्रदेश में पहले जिस स्वतन्त्र लोकायुक्त की नियुक्ति हुई थी वह कार्यरत रहे। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से यह अनुरोध करूंगा कि यदि वे किसी कारणवश यह बिल ले भी आए हैं तो कोई बात नहीं लेकिन मैं यह बात कहना चाहूंगा और वह हरियाणा के हित की बात भी है कि इस बिल को सिलैक्ट कमेटी के पास भेज दिया जाए ताकि इस पर अच्छी तरह गहनता से विचार करे और इसमें जो 2-3 डिफैक्ट हैं उनको रिमूव कर दें। मैं वह बात नहीं कहना चाहूंगा जो गोदारा साहब और चौ० खुर्शीद अहमद जी ने कही हैं। मैं तो केवल एक बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस बिल की क्लाज-3 में जो लिखा है that I am reading, which is regarding the appointment of Lokayukta. In proviso 2 of clause 3, it is mentioned—

> "Provided further that the result of consultation shall have persuasive value but not bindig on the Chief Minister."

अब मैं इस बिल की क्लाज 3 की सब क्लाज (2) पढ़ कर सुना देता हूं :—

> "A notification by the State Government about the consultation having been held as envisaged in sub-section (1) shall be conclusive proof thereof."

स्पीकर सर, 1997 में लोकायुक्त बिल पास किया गया कि प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति हो और लोकायुक्त की नियुक्ति इसलिए हो कि इस प्रदेश में जो सत्ता में हो, चाहे वह अधिकारी हों, राजनीतिज्ञ हों या दूसरे और कोई भी हो अगर अपने दायरे से बाहर काम करें, लोगों के अधिकारों का किसी प्रकार से हनन करें उसके लिए एक ऐसी स्वतन्त्र संस्था की स्थापना की गई थी जिसके अन्तर्गत उनके खिलाफ लोग लोकायुक्त के पास जाएं, अपना एफीडैविट दें। उस एफीडैविट के आधार पर लोकायुक्त अपना सुओ-मोटो एक्शन लेगा। लेकिन मुख्य मंत्री महोदय के खिलाफ ऐसा आरोप हो तो उसका फैसला गवर्नर साहब करेंगे और वह भी गवर्नर साहब की डिसक्रीशन है कि वह इंक्वायरी के लिए शिकायत लोकायुक्त को भेजें या न भेजें यह उनकी मर्जी है अगर वह नहीं भेजते हैं, then there is no way out. दूसरी तरफ जो मुख्य मंत्री के कृपापात्र अधिकारी, कर्मचारी, मिनिस्टर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर हैं उनके खिलाफ

कोई गम्भीर आरोप हो तो सी०एम० साहब कह देंगे यह शिकायत लोकायुक्त को इंक्वायरी के लिए न भेजी जाए तो उस शिकायत का महत्व ही खत्म हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मुख्य मंत्री से निवेदन है कि वे पार्टी पोलीटिक्स से ऊपर उठकर माननीय चौ० बंसी लाल की सरकार ने जो इतना अच्छा बिल लाकर इनैक्टमैंट की थी उसको इस भावना से न लें कि यह पिछली सरकार का बनाया गया था। बिल आते हैं, एक्ट बनते हैं, यह एक प्रोसीजर है। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय से एक बार पुनः निवेदन करता हूं कि पार्टी पोलीटिक्स से ऊपर उठकर, प्रिजुडिशियल से ऊपर उठकर, पूर्वग्रह से ऊपर उठकर इस प्रदेश के हित को देखते हुए इस बिल में जो 3-4 खामियां है उनके ऊपर फिर से विचार करें। इस बार आपकी मैजोरिटी है इसलिए आप चाहे इस काले बिल को पास कर लें वरना आने वाली पीढ़ियां इस सरकार द्वारा लाए गए काले बिल के लिए सरकार को माफ नहीं करेगी। अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला (नरवाना) : स्पीकर सर, लोकपाल का जो इन्स्टीच्यूशन है इसकी स्थापना पूरे संसार में विशेषतौर से भारतवर्ष में मुख्य रूप से दो बातों को लेकर की गई है। एक तो यह कि लोकपाल निर्भीक हो, निडर हो और स्वतंत्र हो। ऐसा होना किसी भी लोकपाल बिल के लिए, अधिनियम के लिए उसका मूलभूत आधार है। दूसरा लोकपाल के द्वारा अदालतों को स्थानापनन्न करने की कोशिश की गई कि अदालतों के बदले में दोषी व्यक्तियों को लोकपाल द्वारा जल्दी से जल्दी सजा दी जायेगी। स्पीकर सर, मौजूदा सरकार द्वारा जो लोकपाल बिल आज पेश किया गया है उसको मैं और मेरी पार्टी के साथी देखते हैं तो एक बात साफ नजर आती है कि पिछली सरकार तो सरकारी जेबी लोकपाल बनाने के लिए 1997 में लोकपाल बिल लेकर आई थी और मौजूदा सरकार जो लोकपाल बिल लेकर आई है वह मुख्य मंत्री जेबी बिल है। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी के और इस सदन के ध्यान में कुछ ऐसी बातें लाना चाहूंगा, जिससे साफ हो जाता है कि यह बिल किस तरह से मुख्य मंत्री पर आश्रित रहेगा। इस बारे में मेरे से पहले खुर्शीद अहमद जी भी बता चुके हैं कि इस बिल के क्लॉज 2 की सब क्लाज डी में मुख्य मंत्री महोदय स्वयं ही कंपीटैंट हैं कि वे अपने को छोड़कर हर किसी के खिलाफ कार्यवाही करा सकते हैं। सिर्फ मुख्य मंत्री के खिलाफ कार्यवाही करने का अधिकार गवर्नर को होगा। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी दूसरे पब्लिक सर्वेन्टस के खिलाफ कोई भी शिकायत हो उसकी इंक्वायरी कराने के लिए कंपीटैंट अथोरिटी मुख्य मंत्री होगा। स्पीकर सर, यहां कंपीटैंट अथोरिटी का क्या महत्व है। यह मैं बताता हूं। जब लोकपाल इस बिल की क्लाज 18 के तहत अगर किसी के खिलाफ सजा सुनता है तो इस क्लाज के तहत वह अपनी फाईडिंग्ज कंपीटैंट अथोरिटी के पास भेजेगा, यानि मुख्य मंत्री जी के पास भेजेगा कि उसके खिलाफ कार्यवाही करनी है या नहीं। इस बात का प्रावधान इस बिल की क्लाज 18 की सब-क्लाज-1 और सब क्लाज (बी) के अंदर किया गया है, जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं—

It says :—

"18. (1) If, after inquiry in respect, of a complaint, the Lokayukta is satisfied—

(b) that all or any of the allegations or grievances have or has been substantiated either wholly or partly, he shall, by report in writing, communicate his findings, appropriate recommendations and suggestions to the competent authority and intimate the complainant and the public servant concerned about his having made the report."

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

स्पीकर सर, अगर ऐसा ही है तो पुलिस महकमा पहले से ही मुख्य मंत्री महोदय के पास है। फिर किसी स्वतंत्र अथोरिटी को नियुक्त करने की क्या आवश्यकता है। स्पीकर सर, इसी तरह से इस बिल की क्लाज 19 की सब क्लाज-2 में लोकायुक्त को इंटैरिम डायरैक्शन देने का तो अधिकार है परंतु वह डायरैक्शन भी तभी दे सकता है जब मुख्य मंत्री जी चाहेंगे। क्योंकि उन डायरैक्शंज पर कार्यवाही करनी है या नहीं करनी इस बात का अधिकार मुख्य मंत्री जी के पास है। स्पीकर सर, इसी तरह से लोकपाल का जो दूसरा महत्वपूर्ण प्वायंट है कि वह किसी के खिलाफ कार्यवाही कर सकेगा, इसके प्रव्यू में तो बहुत से लोगों को ले आये परंतु लोकपाल को यह अधिकार नहीं दिया गया कि अगर शिकायत आये तो वह अपनी मर्जी से कार्यवाही कर सके। यह अधिकार भी मौजूदा सरकार ने अपने पास ही रख लिया। इसके लिए स्पीकर सर, मैं आपका ध्यान इस बिल की क्लाज 8(1) की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा क्योंकि आप भी इसके प्रव्यू में आते हैं। इस क्लाज में कहा है कि—

> "8. (1) Subject to the provisions of this Act, the Lokayukta may on receipt of a reference from Government proceed to inquire into the allegations or the grievances made against a public servant.

स्पीकर सर, जब तक सरकार यह नहीं चाहेगी कि किसी के खिलाफ कार्यवाही करनी है तब तक कार्यवाही नहीं होगी। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, इसी तरह से मैं आपका ध्यान इस तरफ भी दिलाना चाहूंगा कि लोकपाल किस बात की जांच कर सकेगा और किसकी नहीं। इस बात का अधिकार भी सरकार ने अपने पास ही रख लिया है। सर, मैं आपका ध्यान इस बिल की क्लाज 13 की ओर दिलाना चाहूंगा। क्लाज 13 में यह अख्तियार भी सरकार को दे दिया कि जो मर्जी कागज लोकपाल को दिखाना चाहेंगे, दिखा देंगे और जो दिल में न आए वह कागज नहीं दिखाएंगे फिर इसका मतलब तो यह है कि वे जांच नहीं कर सकेंगे। इस तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करने के लिये क्लाज 13 का प्रोवाइजो पढ़कर सुनाता हूं जिसमें लिखा है कि—

> "Provided that the State Government may withhold the production of any record or document relating to the affairs of the State on grounds of security or in public interest. . ."

सर, यहां मैं स्वयं से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि अगर सरकार को ऐसा कोई कागज या फाइल लोकपाल को दिखाने में आपत्ति है जिससे उसे लगे कि लोकपाल उसकी जांच करेगा तो सरकार गिर जाएगी तब सरकार यह आर्डर कर देगी कि जनहित में वह कागज लोकपाल को नहीं दिखाएगी और लोकपाल की वह बात मानना या न मानना भी सरकार के हाथ में है। इससे तो लोकपाल मुख्य मंत्री या सरकार के हाथ की कठपुतली बनकर रह जाएगा। सर, इसी प्रकार से क्लाज-14(1) में जहां इस बात का अख्तियार लोकपाल को दिया गया कि वह किसी भी पब्लिक सर्वेन्ट या दूसरे व्यक्ति की सलाह लेना चाहे तो ले सकता है वहां दूसरे हाथ से वह ताकत आपने उससे छीन ली क्योंकि क्लाज 14(1) के अन्दर प्रोवाइजो में यह लिख दिया है कि—

> "Provided that no person, wihout the prior permission of the appropriate Government shall be required or authorised by virtue of the provisions contained in this Act to furnish any such information or answer any such question or produce so much of

> any document as might involve the disclosure of any information or production of any documents which is punishable under the provisions of the Official Secrets Act, 1923."

सर, मैं आपको यहां यह तो नहीं बताऊंगा कि आपके लॉ मिनिस्टर ने इस एक्ट के बारे में क्या लिखा है परन्तु आफिशियल सिकरेट एक्ट में यह लिखा है कि—

"उस सरकार के किसी पदेन व्यक्ति के द्वारा उसे विश्वासपूर्वक सौंपी गई, जो सरकार के पद पर रहे या रहे होने के कारण या सरकार की ओर से कोई अनुबन्ध मिलने या मिले होने के कारण या ऐसे पद या अनुबन्ध में बन्धे किसी व्यक्ति के मातहत रोजगार में होने या रहे होने के कारण उसकी जानकारी प्राप्त की है या उसकी पहुंच में है।" सर, इसका एक उदाहरण मैं आपको दूं। अगर आप इस लिहाज से देखें कि जो पंचवर्षीय योजना बनकर छपी हुई है, अगर बगैर सरकार की इजाजत के उस पंचवर्षीय योजना की प्रति भी कोई अफसर लोकपाल को दे देगा यानि सरकार की लिखित इजाजत के बगैर दे देगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही आप कर सकेंगे। इस प्रकार के ड्रेकोनियन और पूर्ण रूप से जैबी लोकपाल बनाने का मौजूदा सरकार ने जो प्रावधान निश्चित किया है उससे तो लोकपाल की स्वावलम्बिता पूर्ण तौर से कम्प्रोमाइज होकर रह जाएगी। सर, मैं आपका ध्यान क्लाज 3 की ओर भी दिलाना चाहूंगा जिसकी चर्चा माननीय विधायक चौ० मनी राम गोदारा ने लोकायुक्त की नियुक्ति के सम्बन्ध में की है। जो कुछ इन्होंने पहले पढ़ दिया है उसे मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। उसमें जो टोटल अख्तियार पिछले बिल में सरकार ने अपने हाथ में ले लिये थे उनमें अब एक प्रोवाइजो और जोड़ दिया है। उसमें लिखा कि जो अब कन्सलटेशन करोगे वह कन्सलटेशन बेमायना है, उसका कोई भी लाभ नहीं है। अगर मुख्य मंत्री चाहे तो वे उस कन्सलटेशन को इग्नोर कर सकते हैं। उस प्रोवाइजो में लिखा है कि—

> "Provided further that the result of consultation shall have persuasive value but not binding on the Chief Minister."

यह शायद आपने इस लिये किया क्योंकि जजिज के मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने भी और अपैक्स कोर्ट ने भी यह फैसला दे दिया था कि कन्सलटेशन मैनडेटरी है। सर, मेरे दल की तरफ से और अन्य साथियों की तरफ से मैं इस बिल के अन्दर एक संशोधन सुजैस्ट करना चाहता हूं। वह यह है कि यदि आप लोकपाल की स्वायत्तता को वाकई में रखना चाहते हैं तो उसकी नियुक्ति का बेसिक स्टैप यह होना चाहिए कि उसकी नियुक्ति एक कमेटी के द्वारा की जाए। जिसमें अध्यक्ष महोदय आप स्वयं हो, मुख्य मंत्री महोदय हो, विपक्ष के नेता हों और आर्टिकल 189 के तहत जो भी ग्रुप हाउस का कोरम पूरा करते हैं वे भी इस कमेटी के अन्दर शामिल हों और जो कंसलटेशन की बात है वह हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हों, वह मैन्डेटरी मानी जाए। लोकपाल की स्वावलम्बिता के लिये यही उसका अधिकार क्षेत्र है। इसके बगैर लोकपाल की नियुक्ति बेमायने होकर रह जाएगी। इसी प्रकार से इस सरकार ने लोकायुक्त की पोजीशन कंप्रोमाइज करने के लिए इस बिल में आगे प्रावधान किया है वह लोकायुक्त के स्टाफ को लेकर है। इस बिल की क्लाज 20 और 21 के अंदर लोकायुक्त के स्टाफ के बारे में चर्चा की गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस बिल की क्लाज 20 की तरफ दिलाना चाहूंगा। इस क्लाज के मुताबिक लोकायुक्त के स्टाफ की अप्वायंटमैंट और उसकी तनख्वाह वगैरह का फैसला करने का अख्तियार सरकार को दिया गया है इसलिए मेरी समझ में यह नहीं आया कि लोकायुक्त को क्या अख्तियार होगा ? इस बिल की क्लाज 20(1) में लिखा है—

> 20(1) "The Lokayukta may appoint in consultation with the State Government, such officers and staff as he may consider appropriate for the discharge of functions under this Act."

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

For every step, that he has to take, he has to consult the State Government. Then, he is virtually a department of the State Government.

इसी क्लाज की सब-क्लॉज-2 में लिखा है :—

"The categories of officers and staff who may be appointed under Sub-section (1) above and their conditions of service shall be such as may be prescribed in consultation with the Lokayukta."

सरकार प्रिस्क्राइब करेगी, लोकायुक्त की इस बारे में केवल सलाह लेगी। इसी प्रकार से इस बिल को क्लाज 21 में दोबारा फिर लोकायुक्त पर एक और कंडीशन जड़ दी उसमें लिखा है :—

21 "Without prejudice to the provisions of sub-section (1) of section 20, the Lokayukta may, in consultation with the State Government, for the purpose of conducting any inquiry or investigation under this Act, utilize the services of any officer or investigating agency of the State Government, or for reasons to be recorded in writing, of any other person or agency."

इसका मतलब यह हुआ कि अगर सरकार नहीं चाहेगी तो लोकायुक्त को पंगू बना कर रख देगी। अगर लोकायुक्त ने कोई औफिसर लगाना है तो उसके लिए उसको सरकार की सलाह लेनी पड़ेगी और उस औफिसर की तनखाह का फैसला करना है तो वह सरकार करेगी। अगर लोकायुक्त ने अपने किसी औफिसर को कहीं पर कोई जानकारी लेने के लिए भेजना है या कहीं पर किसी की इन्कवायरी करने के लिए भेजना है तो उसको भेजने का अख्तियार भी सरकार को होगा। (घंटी) स्पीकर साहब, मैं इररैलेवैंट नहीं बोल रहा हूं मैं तो आपके सामने सुझाव दे रहा हूं शायद सरकार के कान खुल जाएं। अध्यक्ष महोदय, यह आपके भाग्य में लिखा हो कि आप इस सरकार के कान खोल दें। आप मुझे दो मिनट का टाईम दे दें ताकि मैं अपनी बात कंकलूड कर सकूं। अध्यक्ष महोदय, एक बड़ी अहम बात है कि लोकपाल को जो स्वावलम्बिता है वह है वित्तीय स्वावलम्बिता। सरकार ने इस बिल में एक प्रावधान करके लोकपाल को एक यह अख्तियार तो दे दिया कि वह जिस किसी ऐजेंसी से चाहे उससे तफतीश करवा सकता है लेकिन लोकपाल जब भी किसी निर्भीक या निष्पक्ष ऐजेंसी के पास जाएगा तो वह ऐजेंसी लोकपाल की सर्वेन्ट नहीं है वह ऐजेंसी उस बात की उनसे कोई धनराशि लेगी। इस बिल में आपने एक यह भी प्रावधान कर दिया जिसके तहत लोकपाल को यह अख्तियार दे दिया कि वह किसी प्राइवेट ऐजेंसी से भी कोई इनवैस्टीगेशन करवा सकता है। यदि लोकपाल किसी प्राइवेट ऐजेंसी से कोई इनवैस्टीगेशन करवाएगा तो उसके पास पैसा कहां से आएगा उसके लिए लोकपाल को दोबारा सरकार के पास जाना पड़ेगा और सरकार से कंसलटेशन करनी पड़ेगी। यह सरकार की मर्जी है, मुख्य मंत्री की मर्जी है कि वह उसको ऐसा करने दे या न करने दे। अगर सरकार के या मुख्य मंत्री के माफिक आएगा तो करने देंगे अगर माफिक नहीं आएगा तो नहीं करने देंगे। अध्यक्ष महोदय, अगर सरकार लोकपाल को स्वावलम्बी बनाना चाहती है तो उसको वित्तीय स्वावलम्बी बनाएं क्योंकि सरकार सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी रिटायर्ड या किसी सिटिंग जज को लोकपाल लगाना चाहती है। मुझे पूरा यकीन है कि सरकार को उसकी मंशा पर कोई शक नहीं होगा। जब तक सरकार लोकपाल को वित्तीय स्वावलम्बी नहीं बनाएगी तब तक उसको हररोज की तफतीश, हररोज की तनख्वाह, हर रोज के कागज और पैन के लिए सरकार के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। जिन लोगों को जांच करने के लिए सरकार ने लोकपाल बैठाया है अगर लोकपाल को उन

लोगों के घर पर जा कर उनसे हररोज पैसा मांगना है तो वह किस प्रकार का स्वावलम्बी, स्वतंत्र, निर्भीक और निडर लोकपाल होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके नोटिस में यह बात लाना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री ने यह बयान दिया था कि उन्होंने लोकपाल का कार्यकाल 1966 से कर दिया है लेकिन पिछले लोकपाल बिल में 20 साल तक की कंडीशन थी। चौधरी बंसी लाल जी ने अपने समय में जो बिल लाया था उस बिल के अन्दर केवल 20 साल पहले तक के मामले ही लिए जा सकते थे वह 1966 से लागू नहीं था लेकिन इस बिल के अन्दर पीरियड जिसके लिए लोकपाल इनवैस्टीगेशन कर सकता है कोई कंडीशन नहीं है। यह बात सच है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि कल को कोई इसमें लिटिगेशन का सवाल खड़ा करे इससे अच्छा होगा कि सरकार इसमें यह स्पष्ट कर दे कि 1966 के बाद अगर कोई भी ऐसी बात हुई है तो लोकपाल उन सबकी तफ्तीश कर सकता है तो मुख्य मंत्री जी ने जो बात कही थी वह सिरे चढ़ने में और पूर्ण होने में मदद मिलेगी। (घंटी)

अध्यक्ष महोदय, इस बिल की क्लाज 27 के मुताबिक लोकपाल बिल को कार्यान्वित करने के लिए जो रूल्ज बनाने की बात है उसकी पावर भी सरकार ने स्वयं अपने पास रख ली है। यदि सरकार ही उसके रूल्ज बनायेगी और सरकारी अधिकारी ही उस पर कन्ट्रोल रखेंगे तो फिर लोकायुक्त का स्वयं का किसी पर क्या कन्ट्रोल रह जायेगा। यदि लोकायुक्त को निष्पक्ष बनाना है या उससे निष्पक्ष जांच करवानी है तो लोकायुक्त के अधिकारी लोकायुक्त के पास ही रहने चाहिए। वह कोई रिकमन्डेशन करता है तो सरकार उसको सदन के समक्ष लाये और उस पर सदन की राय लेकर फैसला करे। इसलिए लोकायुक्त की कार्यप्रणाली के लिए जो रूल्ज बनाने की बात सरकार ने अपने पास रखी है वह नहीं रखनी चाहिए बल्कि लोकायुक्त को स्वयं अपने रूल्ज बनाने देने चाहिएं। मेरा नम्र निवेदन है कि लोकायुक्त को किसी की जांच करने के लिए केवल जेबी संस्था न बनाया जाये। जिस ढंग से अब यह बिल पेश किया गया है उससे तो यह एक सरकारी महकमा सा लगता है। इसे आप निर्भिक और निडर बनाईए ताकि यह आयोग निष्पक्ष होकर काम कर सके। हमारा इस बिल पर सख्त एतराज है। जो बिल पेश किया गया है वह गलत है। मैं तो आपको यहां तक कहना चाहूंगा कि लोकायुक्त के बारे 1987 में जो बिल पेश किया गया था, यह बिल उससे भी खराब है। इसलिए मेरी हाउस के सदस्यों से प्रार्थना है कि इसे पास न होने दें सरकार से मेरा अनुरोध है कि इसे पास करवाने की बजाये इस बिल को सिलैकट कमेटी को भेज दें। सिलैक्ट कमेटी से जो सुझाव आएं उनके आधार पर इसे पुनः ले आये। अन्त में मैं फिर अनुरोध करता हूं कि इस बिल को पास न किया जाये।

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, जो लोकायुक्त बिल सदन के समक्ष पेश किया गया है इस पर कई साथियों ने अपने विचार रखे हैं। यहां पर बोलते हुए मनी राम गोदारा जी ने यह कहा कि इस बिल को लाने की आवश्यकता नहीं थी। मैं आपके द्वारा इस सदन के सदस्यों को बताना चाहता हूं कि जिस ढंग से पुराने लोकायुक्त का गठन किया गया था उस पर बहुत से लोगों को आपत्ति थी और इसी सदन में यह चर्चा भी आई थी। जब उसके विरोध में बात आई थी तो उस वक्त के मुख्य मंत्री ने उस बिल को सिलैक्ट कमेटी के पास भेजा था। सिलैक्ट कमेटी की रिपोर्ट आने पर, जिसने यह रिकमैंड किया था कि इसे पिछले 20 वर्ष से लागू किया जाये, इसे लागू किया। अध्यक्ष महोदय, जिस दिन यह बिल पेश हुआ, उसके बारे में मैं गोदारा साहब की पुरानी याद ताजा करवा दूं कि उस वक्त वह लोकायुक्त बिल कैसे पेश हुआ था। वह बिल 20 मार्च 1997 को पास हुआ था। उस वक्त की सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से 17-3-97 को विपक्ष के नेता को सदन से निष्कासित कर दिया था। मेरे को हाउस से निष्कासित करने के विरोध में कांग्रेस पार्टी के नेता चौ० भजन लाल ने यहां पर आवाज उठाई। आज

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

तो ये कांग्रेस पार्टी के भाई नेता विहीन चल रहे हैं। अब इनकी उप नेता करतार देवी जरूर काम कर रही है। पहले तो ये बगैर नेता के ही काम कर रहे थे। मेरे कहने का मतलब यह है कि 18 तारीख को भजन लाल जी ने मेरा मामला उठाया तो उनको भी 18 तारीख को हाउस से निष्कासित कर दिया गया। जिन हमारे साथियों ने स्पीकर की आवाज के विरुद्ध आवाज उठाई तो उनको भी यानि 18-3-97 को हाउस से निष्कासित कर दिया। उनमें धीरपाल जी व रमेश खटक शामिल थे। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद 20 तारीख को बिल पास हो गया जब कि पूरा विपक्षी दल उस बिल के विरोध में सदन से वाक-आउट कर गया था। जिस तरीके से वायदे किए गए थे उसके विपरीत जिस प्रकार का बिल प्रस्तुत किया गया, बड़े चातुर्य से चौधरी बंसी लाल जी ने अपनी सारी टैन्योर उसके परव्यू से निकाल दी। वे समझते थे कि केवल तूने ही बचना है बाकी इसकी झपट में कोई भी आए। यह नया लोकायुक्त विधेयक हम इसी लिए लेकर आए हैं ताकि उन सारी खामियों को दूर कर सकें। जिस प्रकार का वह लोकायुक्त विधेयक था अगर उसकी पूरी डिटेल मैं पढ़ूंगा तो बड़ा समय लग जाएगा, सभी लोगों ने उसको पढ़ा है जिस तरीके से यह पेश किया गया था उससे विधायकों के अधिकार स्नब कर दिए गए थे। किसी प्रकार से पिछली सरकार ने श्री आई०पी० वशिष्ठ, भूतपूर्व लोकायुक्त के इस अनुरोध को भी मान लिया कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च-न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बराबर उसको दर्जा दिया जाए। दिनांक 04-01-1999 को जारी अधिसूचना द्वारा यह व्यवस्था की गई थी कि लोकायुक्त समय-समय पर पंजाब एवं हरियाणा उच्च-न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को मिलने वाले वेतन तथा भत्तों के बराबर वेतन तथा भत्ते का हकदार होगा। उसे पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को मिलने वाली अन्य सुविधाएं जैसे सुसज्जित सरकारी आवास, वाहन, दूरभाष, यात्रा एवं दैनिक भत्ता आदि भी दिए गए थे। उस अधिसूचना द्वारा यह भी व्यवस्था की गई थी कि पांच वर्ष की सम्मत अवधि से पूर्व इन-इन परिस्थितियों के अधीन नियुक्त किए गए लोकायुक्त का पद और अधिकार समाप्त हो जाता है या इन विलेखों के अधीन नियुक्त किया उसका कोई पदाधिकारी हरियाणा लोकायुक्त 1997 की धारा 6 की उप-धारा के परन्तुक "क" के खण्ड "ख" में दिए गए इस खण्ड के अधीन किसी भी अन्य कारण के लिए पदाधिकार पद रिक्त करना अपेक्षित है तो उसे प्रतिकार के रूप में वेतन तथा भत्ते उस समय तक अर्जित अवकाश की नगदी तथा सुविधाएं जैसे सरकारी भत्ते इत्यादि की पूरी राशि सेवा अवधि की कुल शेष अवधि का भुगतान किया जाएगा। आज कांस्टीच्यूशन की बात की गई। श्री मनी राम गोदारा जी ने कंसल्टेशन का हवाला दे कर कहा है कि यह कंसल्टेशन के तहत होना चाहिए। कंसल्टेशन का मतलब सलाह-मश्विरा है और हमने यह बिल प्रस्तुत करने से पहले बाकायदगी से इस बारे में राय ली है। सुप्रीम कोर्ट के लीगल एक्सपर्ट श्री गोपाल सुब्रामण्यम, डा० सिंघवी, और कर्नल के०सी० अग्रवाल जैसे लोग जो कांस्टीच्यूशन के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं और आज हिन्दुस्तान में उनका कांस्टीच्यूशन एक्सपर्ट के तौर पर नाम है, हमने उन लोगों से परामर्श करके ही यह पुराना एक्ट रिपील किया है। हमने किसी दुर्भावना से इस बिल को पेश नहीं किया है बल्कि बहुत सोच-समझ कर और एक्सपर्ट्स से सलाह करके ही हमने सारे मामले को तय किया है। अध्यक्ष महोदय, अभी खुर्शीद अहमद साहब डिस्क्रिशन की बात कह रहे थे। डिस्क्रिशन का मतलब होता है अवेलेबल ऑप्शन में से उचित और उपयुक्त फैसला लेना न कि मनमर्जी करना। हमारी मन्शा मनमर्जी की नहीं है। खुर्शीद अहमद साहब, आप भी उस समय उस बिल का विरोध कर रहे थे। उस बिल के विरोध में जब आपने अपने आप को असहाय महसूस किया तो सदन से वाक-आउट करके चले गए थे। हम भी उसी बात का विरोध कर रहे थे और इसीलिए हम एक नया बिल ले कर आए हैं। इस में लेशमात्र भी कोई दुर्भावना नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में सुरजेवाला जी

ने खासकर चिन्ता जताई है। मैं उनको बताना चाहूंगा कि इसमें चिन्ता का कोई विषय नहीं है। इन्होंने कहा था कि इसमें पूछा नहीं। सुरजेवाला साहब, आपकी कांग्रेस पार्टी ने गवर्नर महोदय को जो मैमोरैण्डम दिया था उसकी बहुत-सी बातों को भी हमने इस बिल में कवर कर दिया है। (विघ्न)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, हमारी सिर्फ एक बात ही मानी गई है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, गनीमत है कि इन्होंने एक बात को तो माना है। मुझे तो यह भी उम्मीद नहीं थी कि ये एक बात को मानेंगे क्योंकि इनके हर बात में न कहने की आदत है। 14.00 बजे इसी हिसाब से क्लाज 8 के बारे में भी आपने एक अनर्गल बात कही है कि सरकार द्वारा भेजी गई कम्पलेंट पर ही लोकायुक्त जांच कर सकता है। यह हाउस को गुमराह करने वाली बात थी। अगर आप इस मामले में सीरियस होते तो जब हमने जस्टिस चहल की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था उस वक्त अखबारों में भी उसके बारे में विज्ञापन दिया था। आपमें से किसी ने भी उस कमेटी को कोई सुझाव नहीं दिया था। केवल मात्र एक वकील का सुझाव आया था। जब सरकार को गिराने का अवसर आता है तब तो अवसरवादी ताकतें इक्ट्ठी हो जाती हैं लेकिन लोकायुक्त कैसा हो उस पर सुझाव देने का अवसर आता है तो आपकी तरफ से कोई सुझाव नहीं आता है। हमने जिस दृष्टि से जिस बात को ध्यान में रखकर लोकायुक्त की नियुक्ति की बात की है तो आज हैरानी है कि आपको इस बात पर आपत्ति है। अब जैसा इन्होंने कह दिया कि चीफ मिनिस्टर को इसके लिए अख्तियार दिया है। मिनिस्टर, सैक्रेटरी के नीचे के लोग हैं उनके मामले में यानि की उनकी रिपोर्ट कंसीडर करने का अधिकार चीफ मिनिस्टर को है। लेकिन चीफ मिनिस्टर के अलावा पूर्व चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कोई ऐसी रिपोर्ट आएगी तो उसको कंसीडर करने का अधिकार गवर्नर को दिया है क्योंकि गवर्नर कांस्टीच्युशनल हैड है। अगर उस पर भी आपको आपत्ति है तो इसका मतलब यह है कि आपका संविधान में विश्वास ही नहीं है। हमने तो उनको ही अधिकार दिया हुआ है। हमारे सामने लोकायुक्त विधेयक लाने में कई दिक्कतें थीं। हमने यह सब विधि विशेषज्ञों से सलाह मश्विरा करके पुराना एक्ट रीपील किया है।इसमें एक कमी यह भी थी कि किसी जन-सेवक के विरुद्ध अपराध किए जाने की तिथि के 10 वर्ष बाद शिकायत दर्ज की जाती है तो हरियाणा का लोकायुक्त ऐसे आरोप की जांच नहीं कर सकता था। हमने इसमें यह किया है कि 1 नवम्बर 1966 से जब से हरियाणा बना है तब से भी किसी को किसी प्रकार की शिकायत है वह इनके समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। हम आपकी तरह जल्दबाजी में यह बिल नहीं लाये हैं। मनी राम जी कह रहे थे कि जल्दबाजी में यह बिल लाए हैं। मैं कहता हूं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। (विघ्न) चलो किसी ने भी कहा। मैं उनका बार-बार नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि अच्छा नहीं लगता। उनका नाम लेने से मेरी जुबान खराब हो जाती है इसलिए मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। मैं आपको एक बार फिर यह कहना चाहूंगा कि हमने यह सब जल्दी में नहीं किया है। हमने बाकायदा एक कमेटी का गठन किया था। (विघ्न) मैं यह कह रहा था कि हमने हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था। उन्होंने छानबीन करके रिपोर्ट दी है और वह रिपोर्ट आपके सामने है। हम ईमानदारी से इस बात के पक्षधर हैं कि 1 नवम्बर 1966 से जो कोई भी बेकायदगी किसी के खिलाफ हो वे सारी की सारी लोकायुक्त के समक्ष रखी जाएं। हमारी कोई इस बारे में दुर्भावना नहीं है। मैं ईमानदारी से इस बात का पक्षधर हूं कि जो लोग भ्रष्ट हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। उसके लिए एक अथॉरिटी का गठन किया है अब आपने कह दिया कि फलां अच्छा होता फलां कम अच्छा होता। हाउस सुप्रीम है और सदन के द्वारा हमने यह निर्णय लिया है। इसके लिए हम आपको फिर यही कहते हैं कि जब आप यह बिल पास कर देंगे उसके बाद आपसे फिर परामर्श किया जाएगा कि लोकायुक्त किस किस्म

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

का व्यक्ति आए। यह सब हम कानून कायदे के तहत करेंगे। हम ऐसे आदमी को नहीं लाएंगे जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट में दो साल से कार्यरत भी है और उसको लोकायुक्त लगा दें। जबकि कोई भी सरकारी कर्मचारी अगर किसी दूसरे विभाग में नौकरी ज्वायन करने जाता है तो वह भी अपने पहले विभाग से पूछ कर जाता है। बगैर पूछे नहीं जा सकता है। लेकिन पिछली सरकार के मुख्य मंत्री ने समझ लिया था जैसे कि स्टेट किसी एक की बापौती है। उन्होंने एक ऐसे ही व्यक्ति को लोकायुक्त लगाया था। यह स्टेट 1 करोड़ 80 लाख लोगों की सम्पति है और हम जो जनता के प्रतिनिधि हैं इस स्टेट के ट्रस्टी हैं। हमारी यह सोच होनी चाहिए कि इस स्टेट को कहीं भी कोई नुक्सान न हो। इसी की दृष्टिगत हम यह एक अच्छा बिल लेकर आए हैं और मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करूंगा कि इसमें किसी प्रकार की कोई दुर्भावना नहीं है। हम यह एक अच्छा बिल लाए हैं ताकि भ्रष्टाचार को जड़-मूल से समाप्त किया जा सके। हम इस बात के लिए वचनबद्ध हैं कि भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करेंगे। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन के सभी सम्मानित सदस्यों से निवेदन करूंगा कि एक ऐसा भी वक्त था कि पिछली सरकार ने विपक्ष को निकलवाकरके सर्व सम्मति से बिल पास करवाया था अब मैं आप सबसे कहूंगा कि आप सब यहां पर बैठे हुए हैं, इस बिल को सर्व-सम्मति से पास करवाएं। यही मेरा आप सब से निवेदन भी है। (विघ्न)

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, गोदारा साहब ने दो प्वायंट उठाए थे। मैं उन दोनों का जवाब दे देता हूं। आपने पहला जो सवाल उठाया था वह बिल्कुल मिस-लीडिंग था। इस बिल की कम्पलेंट से संबंधित जो क्लाज हैं उस बारे में आपने यह कहा कि वह सुओ मोटो नहीं जाएगी। आप हमें बताएं तो सही कि इसमें कहां लिखा है कि यह सुओ मोटो नहीं जाएगी। स्पीकर सर, इस बिल की क्लॉज 10(1) में जो प्रोविजंज रिलेटिंग टू कम्प्लेंट्स है, उसमें लिखा है—

> "Subject to the provisions of this Act, a complaint may be made under this Act to the Lokayukata—
>
> (a) in case of grievance by the person aggrieved;
>
> (b) in case of allegation by any person :
>
> "Provided that where the person aggrieved is dead or, is for any reason, unable to act for himself the complaint may be made by any person who in law represents his estate or, as the case may be, by any person permitted to act on his behalf."

पिछली सरकार ने इस बारे में जो प्रोविजन किए थे हमने तो उससे बैटर ही किया है। हालांकि पिछले बिल में तो ऐफिडेविट को भी वेव ऑफ कर रखा था। स्पीकर सर, अब मैं आपको इस लोकायुक्त बिल की क्लॉज 10(2) पढ़कर सुनाता हूं—

> "Every complaint involving an allegation or grievance shall be made in such form, and in such manner and shall be accompanied by such affidavit as may be prescribed."

आपने अपने बिल में तो इससे भी ज्यादा लिबर्टी दे दी थी। पिछली सरकार ने इस बारे में अपने बिल में लिखा है कि—

> "However the Lokayukta may dispense with such affidavit in any appropriate case."

इसका मतलब है कि वह ऐफिडेविट को भी डिसपोज ऑफ कर सकते थे, डिसपैंस विद कर सकते थे। बिना ऐफिडेविट के भी वह ऐप्लीकेशन ले सकते थे। आपने यह सब चीजें उस बिल में जोड़ी थीं लेकिन हमने तो वह सब कुछ डिलीट ही किया है। जो आप कह रहे हैं that is for implementation कि लोकायुक्त जो भी इंक्वायरी करके अपनी रिपोर्ट भेजेगा और यदि वह रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर के खिलाफ होती है तो वह गवर्नर के पास जाएगी क्योंकि गवर्नर ही कम्पीटैन्ट अथोरिटी है। अगर इसके लिए गवर्नर ही कम्पीटैन्ट अथोरिटी नहीं है तो आप ही बताएं कि फिर कौन कम्पीटैन्ट अथोरिटी होगा ? यह कम्पलेंट के लिए नहीं है। स्पीकर सर, ये हाउस को मिसलीड कर रहे हैं। कम्पलेंट की इंट्रोड्यूसिंग के लिए आपके बीच में न तो चीफ मिनिस्टर है, न मिनिस्टर है और न कोई गवर्नर है और डायरैक्टली कम्पलेंट कर सकते हैं।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : आप इस बिल की क्लॉज 10 पढ़कर देखिए।

प्रो० सम्पत सिंह : यह क्लॉज 10 तो मैंने अभी पढ़कर ही सुनायी है। आप सुनिये तो सही। Competent authority arises after the action taken by the Lokayukta, after the investigation made by the Lokayukta. Competent authority arises after that कम्पलेंट सुओ मोटो विद ऐफिडेविट जाएगी। इसके बिना तो कोई भी किसी की भी पगड़ी उछाल सकता है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : आप इस बिल की क्लॉज 8(1) में संशोधन क्यों नहीं कर देते। आप इसमें संशोधन कर दीजिए।

प्रो० सम्पत सिंह : आप इसको पढ़िए।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : हां, मैं इसको पढ़ देता हूं। इसमें लिखा है—

> "Subject to the provisions of this Act, the Lokayukta may on receipt of a reference from Government proceed to inquire into the allegations or the grievances made against a public servant."

It means until a reference is made by the Government, he can not proceed to inquire into the allegations. इस तरह से तो आप अगर लोकायुक्त के सामने रिश्वत लेंगे तो वह भी कुछ नहीं कह सकता क्योंकि अब आपने इस तरह का इसमें प्रोविजन कर दिया है। आप इसमें इस तरह का संशोधन कर दीजिए, बात खत्म हो जाएगी।

Prof. Sampat Singh : No, no. That is another complaint.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : आप इसमें सुओ मोटो वर्ड ऐड कर दीजिए बात खत्म हो जाएगी।

Prof. Sampat Singh : A complaint may go through the Government and may also go through affidavit.

Shri Randeep Singh Surjewala : This is the only provision. Sir, you may please clarify this. Only add the word "suo moto". That's all.

Prof. Sampat Singh : Have you not read this Clause 10 ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : इसमें अगर आप सिर्फ सुओ मोटो वर्ड ऐड कर देंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा।

Prof. Sampat Singh : This is better.

Shri Randeep Singh Surjewala : This is the worst Lokayukta Act I have seen. This is much more worse than the 1997 Act.

Prof. Sampat Singh : No, no. This is better. This Lokayukta Act is also in Maharashtra. I am having a copy of that. The same is in Andhra Pradesh and so many other States. But I am having a copy of the Lokayukta Act of Maharashtra. But what about Punjab Lokayukta Act ? पंजाब ने जो किया था, उस तरह से तो पिछली सरकार ने किया था। लेकिन हम ऐसा नहीं करना चाहते। आप जानते हैं कि पंजाब वालों का इस बारे में क्या हश्र हुआ ? आप तो वकील हैं।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : उनका तो लोकायुक्त की एप्वायंटमैंट का डिस्पयूट था। आपने तो इसमें एक प्रोविजो एड करके वह अख्तियार ही खत्म कर दिया।

प्रो० सम्पत सिंह : पुराने लोकायुक्त बिल में लोकायुक्त की री-अप्वायंटमैंट का कह दिया था इसमें हमने 5 वर्ष किया है और साथ में लिमिटेशन दी हैं। पहले री-एप्वायंटमैंट थी इसका मतलब है कि लोकायुक्त चीफ जस्टिस के चक्कर काटता रहे। यह रास्ता खोल रखा था Now, we have done improvement. इस बात को आपको मानना चाहिए। पहले क्या था जैसे सैलरी नैगोशिएबल थी। जैसे जूनियर मोस्ट जज हैं उसको भी तनख्वाह चीफ जस्टिस की दे रहे हो। सैलरी नैगोशिएबल है इसका मतलब है कि जो उसका ड्यू बनता है उससे फालतू उसको दे रहे हो, इसका मतलब आप फेवर लाना चाहते हैं अब हमने यह किया है कि जिस रैंक का आएगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस (रि०) आए चाहे कोई जज आए। (विघ्न)

दैनिक ट्रिब्यून के सम्पादक का स्वागत

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि दैनिक ट्रिब्यून के संपादक श्री विजय सहगल प्रैस गैलरी में सदन की कार्यवाही देखने के लिए बैठे हैं यह सदन उनका स्वागत करता है।

श्री अध्यक्ष : मैं भी उनका अभिनंदन करता हूं।

दि हरियाणा लोकायुक्त बिल, 1999 (पुनरारम्भ)

प्रो० सम्पत सिंह : अब इसमें इम्प्रूवमैंट किया गया है इसमें यह रखा गया है कि जिस पद से आएंगे वही सैलरी व सुविधाएं जारी रखी जाएंगी। पहले मनमर्जी पर छोड़ दिया था। साथ में टाइमबाउंड कर दिया कि विद इन वन ईयर रिपोर्ट देंगे, वरना तो रिपोर्ट पड़ी रहे अब वन ईयर की बाइंडिंग है साथ में एक क्लॉज और जोड़ दी है। अंतरिम रिपोर्ट देने का कह दिया गया वरना पहले कोई प्रोविजन नहीं था।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : इसमें जो डायरैक्शंज देने की बात है वह भी चीफ मिनिस्टर पर छोड़ी गई है कि वे दें या न दें ?

Prof. Sampat Singh : That interim direction will be given by the Lokayukta.

Shri Randeep Singh Surjewala : There is no mention of interim direction. You are misleading the House. स्पीकर सर, मंत्री जी हाउस को मिसलीड कर रहे हैं। वे अपने कागजात दोबारा खोलकर पढ़ लें। I am reading out clause 19. The heading is "Power to issue interim direction". In clause 19, it is mentioned—

> "The Lokayukta may, after receipt of a complaint, issue such interim direction as the case may warrant, so as to avoid grave injustice."

There is no word "report", Sir.

Prof. Sampat Singh : There was no provision for interim direction, earlier. there was no provision, So, this is the betterment of this Bill.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : किसी के खिलाफ कार्यवाही करनी है या नहीं, इसका फैसला मुख्य मंत्री जी का है।

Prof. Sampat Singh : Have you learnt that the Lokayukta shall complete the enquiry within one year ?

Shri Randeep Singh Surjewala : What will happen, if he will not complete the enquiry within one year ?

Prof. Sampat Singh : He will have to complete the enquiry within one year.

Shri Randeep Singh Surjewala : If he does not do, then what will be the consequences ?

Prof. Sampat Singh : It will depend upon him, what decision he takes. But he will have to dispose of that complaint.

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अध्यक्ष महोदय, लोकायुक्त कोई गलती करेगा तो फिर कोर्ट में भी जाने का अधिकार है। इसमें डरने की क्या बात रह गई है ? लोकायुक्त के फैसले के खिलाफ भी तो आप कोर्ट में जा सकते हैं।

प्रो० सम्पत सिंह : जहां तक कंसलटैंसी की बात है उसके बारे में इस बिल की क्लाज 3 के प्रोवाइज़ो में दिया है—

> "Provided further that the result of consultation shall have persuasive value but not binding on the Chief Minister."

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बाई-पास करने के लिए इस सरकार ने यह प्रोवाइज़ो ऐड की है।

Prof. Sampat Singh : Speaker Sir, consultation does not mean binding. Consultation is consultation. It is not binding.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, ऐडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन में नौ जजों की खण्ड पीठ ने अपने फैसले में कहा था कि लोकायुक्त की एप्वायंटमैंट में कंसल्टेशन बाईंडिंग है लेकिन इस सरकार ने अपने अधिवक्ताओं से राय ली। उन्होंने सरकार को सलाह दी कि अगर ऐसा किया जायेगा तो कंसल्टेशन बाईंडिंग हो जायेगी। इसलिए इस सरकार ने इस विधेयक में यह प्रोवाइज़ो ऐड की है।

Prof. Sampat Singh : Are you saying about Lokayukta or about consultation ?

Shri Randeep Singh Surjewala : I am saying about consultation with the Chief Justice of the concerned High Court or Chief Justice of India. क्योंकि कंसल्टेशन इस सरकार पर बाईंडिंग हो जाती इसलिए आपने अपने अधिवक्ताओं से राय लेकर इस प्रोवाइजो को ऐड किया है अगर ऐसा नहीं है तो आप अपनी फाइल निकालकर देख लीजिए उसमें ऐसा ही मिलेगा। इस बात के लिए मैं सरकार को चेलेंज करता हूं।

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, लोकायुक्त की नियुक्ति के बारे में अलग-अलग सब्जैक्ट्स के हिसाब से बाईंडिंग दी हुई हैं। कुछ के लिए कंसल्टेशन बाईंडिंग हैं और कुछ के लिए बाईंडिंग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह तो नहीं कहा कि लोकायुक्त की नियुक्ति के मामले में कंसल्टेशन बाईंडिंग हैं। क्या पिछली सरकार ने जब लोकायुक्त को एप्वायंट किया था उस समय लीडर ऑफ दि ओपोजिशन से कंसल्टेशन मांगी थी। उस समय माननीय सदस्य सुर्जेवाला जी इस सदन में नहीं बोले कि यह क्या हो रहा है।

श्री रणदीप सिंह सुर्जेवाला : अध्यक्ष महोदय, इसमें मानने की बात नहीं है। इस बिल में लिखा हुआ है इससे ज्यादा और क्या हो सकता है।

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, कंसल्टेशन के लिए जरूरी नहीं कि हर बात मानी जाये। जो बात मानने की होगी यह सरकार उस बात को मानने के लिए हर समय तैयार है और जो बात मानने की नहीं होगी उसको बिल्कुल नहीं माना जायेगा।

वाक-आउट

आवाजें : स्पीकर साहब, हम इस मोशन को पास करवाने के खिलाफ है इसलिए हम वाक-आऊट करते हैं।

(इस समय हरियाणा विकास पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के उपस्थित सदस्य सदन से वाक आऊट कर गये।)

दि हरियाणा लोकायुक्त बिल, 1999 (पुनरारम्भ)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि हरियाणा लोकायुक्त विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : अब सदन बिल पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा।

क्लाज-2

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि क्लाज 2 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज-3

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि क्लाज 3 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज-4

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि क्लाज 4 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज-5

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि क्लाज 5 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज-6

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि क्लाज 6 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज-7

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि क्लाज 7 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज-8

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि क्लाज 8 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज-9

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि क्लाज 9 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज-10

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि क्लाज 10 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज-11

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि क्लाज 11 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज-12

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि क्लाज 12 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज-13

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि क्लाज 13 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज-14

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि क्लाज 14 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज-15

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि क्लाज 15 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज-16

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि क्लाज 16 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज-17

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि क्लाज 17 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज-18

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि क्लाज 18 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज-19

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि क्लाज 19 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज-20

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि क्लाज 20 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज-21

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि क्लाज 21 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज-22

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि क्लाज 22 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज-23

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि क्लाज 23 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज-24

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि क्लाज 24 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज-25

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि क्लाज 25 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज-26

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि क्लाज 26 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज-27

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि क्लाज 27 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

शिड्यूल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि शिड्यूल बिल का शिड्यूल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज-1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि क्लाज 1 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि इनैक्टिंग फार्मूला बिल का इनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि टाइटल बिल का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : अब मुख्य मंत्री प्रस्ताव रखेंगे कि बिल पास किया जाए।

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं-

कि बिल पास किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ—

कि बिल पास किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि बिल पास किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

(5) दि हरियाणा पंचायती राज (सैकिण्ड अमैंडमैंट) बिल, 1999

नगर एवं ग्रामीण आयोजना मंत्री (श्री धीरपाल सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1999 प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं—

कि हरियाणा पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ—

कि हरियाणा पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि हरियाणा पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : अब सदन बिल पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा।

क्लाज-2

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि क्लाज-2 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज-1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि क्लाज-1 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि इनैक्टिंग फार्मूला बिल का इनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि टाईटल बिल का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : अब मंत्री जी प्रस्ताव करेंगे कि बिल पास किया जाये।

नगर एवं ग्राम आयोजना मंत्री (श्री धीरपाल सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं—

कि बिल पास किया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ—

कि बिल पास किया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि बिल पास किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

(6) दि पंजाब शिड्यूल्ड रोडज एंड कंट्रोल्ड एरियाज रिस्ट्रिक्शन औफ अनरैगुलेटिड डिवैल्पमैंट (हरियाणा सैकिण्ड अमैंडमैंट), बिल 1999

नगर एवं ग्रामीण आयोजना मंत्री (श्री धीरपाल सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र, अनियमित विकास निर्बन्धन (हरियाणा द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1999 प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं—

कि पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र, अनियमित विकास निर्बन्धन (हरियाणा द्वितीय संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ—

कि पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र, अनियमित विकास निर्बन्धन (हरियाणा द्वितीय संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र, अनियमित विकास निर्बन्धन (हरियाणा द्वितीय संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : अब सदन बिल पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा।

क्लाज 2 और 3

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि क्लाज 2 और 3 बिल का पार्ट बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज-1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि क्लाज 1 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि इनैक्टिंग फार्मूला बिल का इनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि टाईटल बिल का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : अब मंत्री जी प्रस्ताव करेंगे कि बिल पास किया जाए।

नगर एवं ग्रामीण आयोजना मंत्री (श्री धीरपाल सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं—

कि बिल पास किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ—

कि बिल पास किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि बिल पास किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

(7) दि पंजाब न्यू कैपिटल (पेरीफेरी) कन्ट्रोल (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1999

श्री अध्यक्ष : अब एक मंत्री पंजाब नई राजधानी (परिधि) नियन्त्रण (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 1999 प्रस्तुत करेंगे।

नगर एवं ग्रामीण आयोजना मंत्री (श्री धीरपाल सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं पंजाब नई राजधानी (परिधि) नियंत्रण (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 1999 प्रस्तुत करता हूं। मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं—

कि पंजाब नई राजधानी (परिधि) नियंत्रण (हरियाणा संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ—

कि पंजाब नई राजधानी (परिधि) नियंत्रण (हरियाणा संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि पंजाब नई राजधानी (परिधि) नियंत्रण (हरियाणा संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : अब सदन बिल पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा।

क्लाज 2 से 5

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि क्लाज 2 से 5 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि क्लाज 1 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि इनैक्टिंग फार्मूला बिल का इनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि टाईटल बिल का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : अब मंत्री जी प्रस्ताव करेंगे कि बिल पास किया जाए।

नगर एवं ग्रामीण आयोजना मंत्री (श्री धीरपाल सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं—

कि बिल पास किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ-

कि बिल पास किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि बिल पास किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

(8) दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं0 3) बिल, 1999

श्री अध्यक्ष : अब एक मंत्री हरियाणा विनियोग (सं0 3), विधेयक, 1999 प्रस्तुत करेंगे।

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to introduce the Haryana Appropriation (No. 3) Bill, 1999.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Appropriation (No. 3) Bill be taken into consideration at once.

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ—

कि हरियाणा विनियोग (सं0 3) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि हरियाणा विनियोग (सं0 3) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : अब सदन बिल पर क्लाज वाई क्लाज विचार करेगा।

क्लाज 2 और 3

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि क्लाज 2 और 3 बिल का पार्ट बनें

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

शिड्यूल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि शिड्यूल बिल का शिड्यूल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि क्लाज 1 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि इनैक्टिंग फार्मूला बिल का इनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि टाईटल बिल का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : अब मंत्री जी प्रस्ताव करेंगे कि बिल पास किया जाए।

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ—

कि बिल पास किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि बिल पास किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : अब सदन अनिश्चित काल के लिये स्थगित किया जाता है।

*14.36 बजे (तत्पश्चात सदन अनिश्चित काल के लिए *स्थगित हुआ।)